# आवास भारती

वर्ष 21 | अंक 82 | जनवरी–मार्च, 2022

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

# बैंक के प्रधान कार्यालय का वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2022 को किए गए राजभाषा प्रगति संबंधी निरीक्षण की कुछ झलकियां

बैंक के प्रबंध निदेशक निरीक्षण हेतु आए उप निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय एवं उनकी टीम का स्वागत करते हुए

बैंक के कार्यपालक निदेशक, उप निदेशक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय का पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत करते हुए

उप निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय एवं उनकी टीम के साथ उप महाप्रबंधक (राजभाषा)

# विषय सूची


| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1. | संदर्भ दरें: लिबोर से वैकल्पिक संदर्भ दरों की ओर | 9 |
| 2. | लिबोर से आगे क्या: नई बेंचमार्क दरों पर एक विचार | 12 |
| 3. | आवास वित्त कम्पनियों द्वारा पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण को बढ़ावा देने की तकनीकी एवं अनिवार्यता | 14 |
| 4. | आवास वित्त कंपनियों द्वारा पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करने की तकनीकें एवं अनिवार्यताएं | 16 |
| 5. | सूक्ष्म वित्त संस्थान एवं आवास वित्त | 18 |
| 6. | भू-संपदा तथा आवास | 20 |
| 7. | बैंकों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा का महत्व | 23 |
| 8. | स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता | 25 |
| 9. | आज़ादी के 75 वर्ष: उपलब्धियां और चुनौतियाँ | 27 |
| 10. | वेब 3.0: महत्त्व और चुनौतियाँ | 31 |
| 11. | पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकियों का उपयोग-सुप्टेक | 33 |
| 12. | ध्यान और योगासन | 35 |
| 13. | प्रतिभा पलायन | 39 |
| 14. | आभास | 42 |
| 15. | बिंदा | 44 |


| | |
|---|---|
| कुल तकनीकी लेख | – 10 |
| कुल सामान्य लेख | – 05 |
| कुल योग | – 15 |


# आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या, दिल्ली इन / 2001 / 6138

वर्ष 21, अंक 82, जनवरी-मार्च, 2022



**प्रधान संरक्षक**
श्री शारदा कुमार होता
प्रबंध निदेशक

**संरक्षक**
श्री वी. वैदीश्वरन
कार्यपालक निदेशक

**प्रधान संपादक**
वै. राजन
महाप्रबंधक

**संपादक**
रंजन कुमार बरून
उप महाप्रबंधक

**सहायक संपादक**
शोभित त्रिपाठी
राजभाषा अधिकारी

**संपादक मंडल**
अमित सिन्हा, उप महाप्रबंधक
प्रशांत कुमार राय, सहायक महाप्रबंधक
सुकृति वाधवा, क्षेत्रीय प्रबंधक
संजीव कुमार सिंह, प्रबंधक
रौनक अग्रवाल, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए ज़िम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।



राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय)

कोर-5 ए, 3-5 वां तल,
भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

# संपादक की कलम से...

प्रिय पाठकगण,

मुझे जनवरी – मार्च, 2022 का 82वां अंक अपने प्रभुत्व पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत सुखद प्रसन्नता हो रही है। देश में बढ़ता शहरीकरण काफी समय से एक नयी चुनौती के रूप में उभर रहा है। गावों से शहरों की ओर बढ़ते पलायन के चलते देश के महानगरों तथा अब तो मझौले शहरों पर भी प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से दबाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इसी दिशा में ऊर्जा की खपत तथा जल के बढ़ते हुए प्रयोग से हरित आवास का महत्व लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ऊर्जा दक्ष/हरित आवास को हमेशा से प्राथमिकता दी गयी है।

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की लड़ाई में देश के निर्माण स्टॉक के विकास और विस्तार की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश की कुल ऊर्जा खपत के 40 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा इमारतों द्वारा किया जा रहा है जिनका ऊर्जा का उपयोग सालाना 8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। यदि पारंपरिक अकुशल निर्माण प्रथाएं जारी रहती हैं, तो भवन 2050 तक 70 प्रतिशत से अधिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होंगे, इस प्रकार यह भारत की हरित महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा।

इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के अनुसार, 2030 तक आवश्यक 70 प्रतिशत इमारतों का निर्माण भारत में होना शेष है। यदि भारत इस विशाल मांग को पूरा करने के लिए हरित भवनों की अवधारणा को अपनाता है, तो यह पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए फायदे का सौदा होगा। भारत में हरित इमारतों का बाजार वर्तमान में विकास के प्रारंभिक चरण में है, केवल 5% इमारतों को हरे रंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि यह शुरुआत में एक चुनौती के रूप में सामने आ सकता है, लेकिन यह हरित भवनों के विकास के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है।

राष्ट्रीय आवास बैंक ने केएफडब्ल्यू और एएफडी कार्यक्रम के माध्यम से देश में विशेष रूप से किफायती खंड में हरित आवास/ऊर्जा कुशल आवास को बढ़ावा देने के लिए अतीत में कई पहल की हैं। बैंक ने पुनर्वित्त के माध्यम से 1,225 करोड़ रु. लगभग हरित आवास/ऊर्जा कुशल आवास के लिए संवितरित किये हैं। इसके अलावा, बैंक खुदरा हरित आवास पुनर्वित्त योजना में ब्याज दर रियायत भी दे रहा है।

बैंक द्वारा हालहीं में निष्पादित सनरेफ कार्यक्रम को सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया जिसकी सहायता से देश में 4,400 परिवारों को पुनर्वित्त प्रदान किया है, जिनमें से आधे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं।

इस कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में राष्ट्रीय आवास बैंक ने कई कार्यक्रम आयोजित किये तथा कई प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया। राष्ट्रीय आवास बैंक ने अपने अनुभव से यह पाया कि प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के सहयोग से देश में हरित आवासों के पुनर्वित्त पोषण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है।

वहीं दूसरी ओर यह देखने में आया है कि कई प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों विशेष रूप से बैंक एवं आवास वित्त कंपनियों द्वारा बड़ी संख्या में हरित आवासों के लिए ऋण तो प्रदान किया जा रहा है किन्तु उनको अपने ऋण प्रबंधन सॉफ्टवेयर में चिन्हित नहीं कर रही हैं जिसकी वजह से ये संस्थान इन ऋणों के लिए पुनर्वित्त का दावा राष्ट्रीय आवास बैंक को नहीं कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन संस्थानों के फ्रंट डेस्क कर्मचारी को भी हरित आवास के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी ग्राहकों को सही रूप से देने की जरुरत है जिससे ग्राहकों में इस सम्बन्ध में रुझान बढ़े।

दूसरी तरफ व्यावसायिक विकासकों को भी हरित आवासों के निर्माण के लिए नयी पद्धति को अंगीकार करते हुए आगे आना होगा जिससे देश में हरित आवासों के निर्माण को बल मिल सके। कई सारे मध्यम दर्जे के विकासक हरित आवासों के निर्माण में सक्रीय नहीं है क्योंकि उनकों हरित आवास निर्माण तथा पंजीयन एवं रेटिंग की जानकारी नहीं है। बैंक ने इस कार्यक्रम के तहत कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किया है तथा सम्बंधित पक्षों को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्तर पर कदम उठायें हैं।

देश द्वारा वैश्विक मंच पर कार्बन उत्सर्जन के सम्बन्ध में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बैंक द्वारा सनरेफ कार्यक्रम का सफल निष्पादन एक बेहतरीन उपलब्धि रही है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में देश में हरित आवासों के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति होगी एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा भी अपनी पूरी क्षमता से इस स्तुतय प्रयास में योगदान दिया जाएगा।

पत्रिका के इस अंक में आवास, सतर्कता, लिबोर, सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बंधित विषयों के साथ कुछ समान्य विषयों पर भी लेख प्रकाशित किये गये है। मुझे आशा है कि आपको पत्रिका का यह अंक भी पूर्व के अंकों की तरह ज्ञानवर्धक लगेगा अतः आप सभी प्रबुद्ध पाठकवर्ग से अनुरोध है कि कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य प्रेषित करें।

**(रंजन कुमार बरुन)**
उप महाप्रबंधक एवं संपादक

# आप की पाती

महोदय,

आपके द्वारा भेजा गया पत्र संख्याः राआबै/राजभाषा/आवास भारती 81 /आउट 2248/202/ दिनांक 18 अप्रैल, 2022 प्राप्त हुआ। मैं राष्ट्रीय आवास बैंक को आपकी एक ओर नवीन एवम उत्तम गृह पत्रिका – आवास भारती के अक्टूबर– दिसंबर, 2022 का 81वां अंक प्रकाशित करने के लिए बधाई ओर धन्यवाद देता हूं। इस अंक में आपके द्वारा भारत में हरित आवास, आवास वित्त से संबधित विभिन्न तकनीकी लेख, बैंकों में आयोजित विभिन्न जागरूकता अभियान इत्यादि कार्य अति उत्साहवर्धक हैं। देश में आवास क्षेत्र में हो रही प्रगति की सूचना और विश्व में कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोतरी के कारण, हरित आवास– वर्तमान समय की आवश्यकता है और देश की प्रगति में वित्तीय समावेशन की भूमिका इत्यादि लेख बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है इसके लिए मैं राष्ट्रीय आवास बैंक को बधाई और मुबारकबाद देता हूं।

मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में भी आप हमें ऐसे ही नित नये विषयों की जानकारी देते रहेंगें।

**(डॉ शैलेश कुमार अग्रवाल)**
**कार्यकारी निदेशक**
**निमार्ण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद**

महोदय,

आपके संस्थान की तिमाही हिंदी गृह–पत्रिका 'आवास भारती' का जुलाई–सितंबर, 2021 का 80वां अंक प्राप्त हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव और विश्व पर्यावास दिवस पर केन्द्रित यह अंक सावन की फुहार की भांति मन को आनंदित करने वाला है। यह अंक बेहतरीन तकनीकी लेखों से परिपूर्ण है, जो हमें देश में बढ़ते शहरीकरण के गुण–दोषों की जानकारी देने के साथ ही हरित आवास की आवश्यकताओं से भी परिचित कराता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आवास वित्त की भूमिका, देश की प्रगति में वित्तीय समावेशन की भूमिका, विश्व में कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोतरी के कारण आदि विषय आपकी पत्रिका को गंभीर लेखन में उच्च पायदान में प्रतिष्ठित करते है।

विश्व पर्यावास दिवस पर केंद्रित पत्रिका का आवरण पृष्ठ काफी आकर्षक है। तकनीकी लेखों को भी सरल भाषा–शैली में प्रस्तुत करना संपादक मंडल की कुशलता को प्रदर्शित करता है। मैं इस पत्रिका के संपादक मंडल को तकनीकी लेखों से परिपूर्ण ज्ञानवर्धक व रोचक अंक के प्रकाशन के लिए शुभकानाएं प्रेषित करता हूं।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारतीय स्टेट बैंक भी तिमाही हिंदी पत्रिका 'प्रयास' का प्रकाशन करता है। 'प्रयास' का अक्टूबर–दिसंबर 2021 का अंक आपके अवलोकन हेतु संलग्न है। इस पत्रिका के संबंध में आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी।

**(दिनेश परुथी)**
**महाप्रबंधक (राजभाषा एवं कॉरपोरेट सेवाएं)**
**भारतीय स्टेट बैंक**

# राष्ट्रीय आवास बैंक की व्यवसायिक व अन्य गतिविधियां

## सनरेफ इंडिया - हरित आवास पर कार्यक्रम रा.आ.बैंक, एएफडी एवं ईयू द्वारा किफायती हरित आवास हेतु जागरूकता लाने का एक प्रयास

**बेंगलुरु, 28 फरवरी, 2022**

दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता में कार्यक्रमों के सफल आयोजन के पश्चात; सनरेफ (प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग एवं ऊर्जा दक्ष आवास वित्त) हाउसिंग इंडिया कार्यक्रम ने बेंगलुरु, कर्नाटक में अपना तीसरा क्षेत्रीय प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हरित किफायती आवास की आवश्यकता को

रेखांकित किया गया एवं इस कार्यक्रम में मौजूद आवास बाजार के 80 प्रमुख हितधारकों को हरित किफायती आवास की प्रमुख विशेषताएं बताई गई।

भारत में हरित किफायती आवास परियोजनाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से, सनरेफ हाउसिंग इंडिया कार्यक्रम को जुलाई 2017 में राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) के साथ साझेदारी में फ्रांसीसी विकास एजेंसी फ्रांस विकास एजेंसी (एएफडी) द्वारा आरंभ किया गया था। यह परियोजना यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा सह–वित्त पोषित है। विशेष रूप से, इसमें एएफडी से €100 मिलियन की एक नवोन्मेषी ऋण व्यवस्था शामिल है जो बैंकों, आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) को हरित तथा किफायती आवास परियोजनाओं एवं इससे संबद्ध निवेशों के निधियन हेतु सक्षम बनाती है। आवास वित्त कंपनियों को प्रदान किये जाने वाले ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराने तथा कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहन एवं क्षमता निर्माण के उद्देश्य से ईयू द्वारा €9 मिलियन निवेश अनुदान एवं €3 मिलियन तकनीकी सहायता अनुदान, वित्तपोषण को सुलभ बनाने के लक्ष्य के साथ प्रदान किया गया है जो कि इस कार्यक्रम को एक अंकाक्षी एवं नवोन्मेषी कार्यक्रम बनाता है।

बेंगलुरु में आयोजित इस कार्यक्रम में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, रियल एस्टेट विकासकों, सरकारी एजेंसियों, हरित निर्माण विशेषज्ञ, आर्किटेक्ट तथा हरित सामग्री उत्पादकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में वक्ताओं के रूप में एएफडी, भारत में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल, राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) एवं ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (गृह) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

**रा.आ.बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री. वी. वैदीश्वरन ने अपने सम्बोधन में कहा,** "बेंगलुरु शहर में आयोजित सनरेफ इंडिया कार्यक्रम के इस तीसरे क्षेत्रीय प्रचार कार्यक्रम का आयोजन करना बहुत उपयुक्त है, जिसमें तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं तेजी से शहरीकरण देखा गया है। भारत में आवासीय बंधक बाजार के आकार को देखते हुए यह महसूस किया गया है कि यह समय आवासीय निर्माण क्षेत्र में बनाए जा रहे नए पारिस्थितिकी तंत्र को परिवर्तित एवं अनुकूलित करने हेतु उपयुक्त है।"

सनरेफ इंडिया हाउसिंग कार्यक्रम ने अब तक 4,400 परिवारों को पुनर्वित्त प्रदान किया है, जिनमें से आधे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं। हरित किफायती आवास को बढ़ाने के लिए रा.आ.बैंक के प्रयास जलवायु परिवर्तन का समर्थन करने हेतु भारत सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप ही हैं।

यूरोपीय संघ एवं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार स्मार्ट एवं सतत शहरीकरण पर साझेदारी के तहत मिलकर सहयोग कर रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सततता को प्राप्त करने में हरित भवन के महत्व के संबंध में बात करते हुए, **सुश्री कमिला क्रिस्टेंसन राय, काउंसलर, भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कहा,** "यूरोपीय संघ एवं भारत दोनों ही ग्रीन ट्रांजिशन पर मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिसमें आवास क्षेत्र में नवाचार एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम सहर्ष सनरेफ इंडिया के साथ साझेदारी कर रहे हैं, जो देश में हरित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सहायता कर रहा है। हम मानते हैं कि स्थानीय संदर्भ में उपयुक्त हरित उपकरण एवं समाधान पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा कुशल और साथ ही किफायती आवास क्षेत्र में सहायता प्रदान कर सकते हैं"।

**सुश्री इसाउरे डे बेलेविल, पोर्टफोलियो प्रबंधक, एनर्जी एंड क्लाइमेट फाइनेंस एएफडी, ने कहा कि,** "एक प्रमुख उत्सर्जक क्षेत्र, आवास निर्माण बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उपभोग करता है। देश में आवास की कमी है, लेकिन चल रहे आवास निर्माण का जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में काफी कम भवन हरित भवन मानदंडों के अनुरूप हैं। इस प्रकार, इस क्षेत्र में हरित दृष्टिकोण को अपनाने संबंधी संभावनाएं अपार हैं।" एएफडी जागरूकता पैदा करने एवं देश में हरित किफायती आवास क्षेत्र को बढ़ाने हेतु रा.आ.बैंक को सहर्ष सहयोग प्रदान कर रहा है।

**राजीव गांधी हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता श्री आर मालाथेशा ने कहा कि,** कम ऊर्जा की खपत करने वाले हरित भवनों का निर्माण महत्वपूर्ण है। यह प्राकृतिक संसाधनों की कमी को नियंत्रित करने एवं पर्यावरण की सततता को बनाए रखने में सहायता करेगा। सनरेफ इंडिया कार्यक्रम रियल एस्टेट निर्माण के नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है जो कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दक्षिण भारत के बेंगलुरु एवं अन्य महानगरों में पिछले दशकों में ग्रीन–रेटेड आवासीय भवनों में वृद्धि देखी गई है। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, यह कार्यक्रम शहर में आयोजित किया गया था तथा इस कार्यक्रम का उद्देश्य हरित किफायती आवास के महत्व एवं संभावनाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाना था। प्रतिभागियों को हरित प्रमाणपत्र प्रणाली के साथ–साथ उदाहरणात्मक मामलों पर अध्ययन प्रस्तुत किए गए।

**श्री विशाल गोयल, महाप्रबंधक, रा.आ.बैंक ने कहा कि** "लाखों आवासीय भवन हैं जो ऊर्जा एवं जल दक्षता बढ़ाने हेतु काफी अवसर प्रदान करते हैं, तथा समग्र रखरखाव लागत को और कम करते हैं। सनरेफ एक ऐसा मंच है जो हरित आवास क्षेत्र से संबंधित वरिष्ठ हितधारकों को एक मंच पर एक साथ लाता है ताकि विचारों का आदान–प्रदान किया जा सके एवं लक्ष्य के रूप में देश में हरित आवास के विकास की दिशा में कार्य किया जा सके"।

**श्री पीयूष पांडे, सहायक महाप्रबंधक–क्षेत्रीय कार्यालय (रा.आ.बैंक)** के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

## यूरोपीय संघ के बारे में

यूरोपीय संघ, जिसमें 27 देश शामिल हैं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन और भारत के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। हालांकि समृद्ध रूप से विविध, यूरोपीय संघ में शामिल देश (इसके 'सदस्य राज्य') सभी समान बुनियादी मूल्यों: शांति, लोकतंत्र, कानून पर आधारित शासन एवं मानवाधिकारों के सम्मान हेतु प्रतिबद्ध हैं। यूरोपीय संघ ने सीमा–मुक्त एकल बाजार एवं एकल मुद्रा (यूरो) की स्थापना करके जिसे 19 सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया है, व्यापार तथा रोजगार को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है।

**यूरोपीय संघ–भारत संबंधः** 2022 में यूरोपीय संघ एवं भारत ने राजनयिक गठबंधन के 60 वर्ष पूरे किये हैं। 60 वर्षों में, यूरोपीय संघ एवं भारत ने गरीबी को कम करने, आपदाओं को रोकने, व्यापार का विस्तार करने, वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं को सुरक्षित करने, दुनिया भर में सुरक्षा बढ़ाने तथा ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि एवं पारस्परिक हित के कई अन्य क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु मिलकर कार्य किया है।

## एएफडी के बारे में

एएफडी एक समावेशी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है एवं फ्रांस की विकास नीति का प्रमुख सहयोगी है। यह उन परियोजनाओं हेतु प्रतिबद्धताओं को शामिल करता है जो वास्तव में विकासशील एवं उभरते देशों तथा फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्रों में लोगों के दैनिक जीवन में सुधार करता हैं। एएफडी कई क्षेत्रों – ऊर्जा, स्वास्थ्य, जैव विविधता, पानी, डिजिटल तकनीकी, प्रशिक्षण में कार्य करता है– एवं सुरक्षित, अधिक न्यायसंगत एवं अधिक सतत दुनियाः एक साधारण दुनिया हेतु परिवर्तन का समर्थन करता है। इसके कार्य पूरी तरह से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप है। अधिक जानकारी हेतु एएफडी कीः https://www.afd.fr/en वेबसाइट का संदर्भ लें। 5 एजेंसियों के अपने नेटवर्क के माध्यम से, एएफडी 115 देशों में कार्य करता है तथा वर्तमान में 4,000 से अधिक विकास परियोजनाओं की सहायता कर रहा है। 2018 में, एएफडी ने इन परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु 11.4 बिलियन यूरो निर्धारित किए।

## सनरेफ के बारे में

सनरेफ परिवर्तित हो रहे देशों में आर्थिक कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप 'हरित' वित्त के उद्भव को बढ़ावा देने हेतु एएफडी द्वारा विकसित एक नवीन उपकरण है। इसका उद्देश्य स्थानीय वित्तीय संस्थानों को जलवायु परिवर्तन के संबंध में कदम उठाने से संबंधित सहायता करना है। सनरेफ हरित ऊर्जा तक पहुंच को सुगम बनाने एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता तथा तकनीकी सहायता के माध्यम से वित्तीय कार्यों की प्रथाओं को विकसित करने में सहायता करता है। कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था का विकास सुनिश्चित करना एवं आर्थिक कार्यों को इस परिवर्तन के अनुकूल होने देना इसका अंतिम लक्ष्य है। अधिक जानकारी हेतु सनरेफ की : https://www.sunref.org/en/ वेबसाइट का संदर्भ लें।

## राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) की स्थापना 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आवास वित्त संस्थानों के संवर्धन हेतु एक प्रमुख एजेंसी के तौर पर कार्य संचलान तथा ऐसे संस्थानों को वित्तीय एवं उनसे संबंधित विषयों के लिए अन्य सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। रा.आ.बैंक के क्रिया–कलापों की विस्तृत जानकारी : https://nhb.org.in/ वेबसाइट पर उपलब्ध है।

## श्री सुशील कुमार, मुख्य सर्तकता अधिकारी, रा.आ.बैंक - एक परिचय

श्री सुशील कुमार ने वर्ष 1991 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में भारतीय स्टेट बैंक में कार्यभार ग्रहण किया एवं पिछले 31 वर्षों से बैंक में कार्यरत हैं।

उनकी शैक्षणिक योग्यता में एमबीए, सीएआईआईबी एवं ट्रेजरी प्रबंधन में डिप्लोमा शामिल हैं।

भारतीय स्टेट बैंक के साथ 31 वर्षों की अवधि के दौरान, उन्होंने बैंकिंग के लगभग सभी क्षेत्र जैसे ट्रेजरी, विदेशी मुद्रा, खुदरा ऋण, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, उच्च मूल्य ऋण, ग्रामीण ऋण, प्रशिक्षण प्रणाली एवं निरीक्षण विभाग में कार्य किया है।

भारतीय स्टेट बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान श्री सुशील कुमार द्वारा प्रमुख धारित पद निम्न प्रकार है:

- श्री सुशील कुमार ने भारतीय स्टेट बैंक की स्केल V अधिकारी स्तर की 3 शाखाओं का नेतृत्व किया है।
- वे लखनऊ सर्कल जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 1850 शाखाएं कवर होती थी, के कृषि बैंकिंग व्यवसाय इकाई प्रमुख थे।
- वे भारतीय स्टेट बैंक के पूर्वोत्तर सर्किल जिसके अंतर्गत 6 राज्य एवं 1200 शाखाएं कवर होती थी के वैयक्तिक व्यवसाय बैंकिंग इकाई के प्रमुख थे।

- श्री सुशील कुमार ने 8 जिले एवं 340 शाखाओं को कवर करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के बरेली मॉड्यूल का भी नेतृत्व किया।

हमें विश्वास है कि भारत में अग्रणी बैंक के व्यापक अनुभव को साझा करते हुए वे मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में अपने मूल्यवान मार्गदर्शन से राष्ट्रीय आवास बैंक की कार्य पद्धति एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे।

राष्ट्रीय आवास बैंक, श्री सुशील कुमार, मुख्य सर्तकता अधिकारी का स्वागत करता है।

## पदोन्नत किए गये गये अधिकारी

### सहायक महाप्रबंधक (स्केल – V) से उप महाप्रबंधक (स्केल – VI) में पदोन्नति

सुश्री रीजा जयदीश

श्री पगोटी वेंकटपल्ला नायडू

### क्षेत्रीय प्रबंधक (स्केल – IV) से सहायक महाप्रबंधक (स्केल – V) में पदोन्नति

सुश्री रेखा सुरती

श्री रवि कुमार सिंह

### प्रबंधक (स्केल – III) से क्षेत्रीय प्रबंधक (स्केल – IV) में पदोन्नति

श्री पुनीत चौहान

श्री विवेकानंद हेम्ब्रम

श्री राम जीवन प्रसाद

सुश्री सुकृति वाधवा बजाज

श्री बालाजी प्रभु

श्री पंकज कुमार सिंह

श्री आर किरण कुमार

## उप प्रबंधक (स्केल – II) से प्रबंधक (स्केल – III) में पदोन्नति

श्री नितिन अग्रवाल

श्री सी गोपालरंगन

श्री रितम भट्टाचार्य

सुश्री प्रमा बासु

श्री अक्षय कुमार

श्री मनोज कुमार

## सहायक प्रबंधक (स्केल – I) से उप प्रबंधक (स्केल – II) में पदोन्नति

श्री कृष्ण चंद्र मौर्या

सुश्री रेबिका आनंद

"राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।"

**– महात्मा गांधी**

# संदर्भ दरें: लिबोर से वैकल्पिक संदर्भ दरों की ओर

– आर किरण कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक
वर्षा जैन, उप प्रबंधक

## संदर्भ दर क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है?

यह एक अनुमानित असुरक्षित बेंचमार्क उधार दर है जिसका उपयोग सभी देशों में ऋण और डेरिवेटिव के मूल्य निर्धारण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय उत्पादों जैसे ब्याज स्वैप और विकल्पों के लिए अपनी ब्याज दरों को निर्धारित करने के आधार के रूप में किया जाता है।

## एक संदर्भ दर का लाभ

अस्थिर दर पर किसी भी ऋण लिखत को जारी करने से ब्याज दर जोखिम के खिलाफ बचाव में मदद मिलती है। निश्चित ब्याज दर परिदृश्य में, ब्याज दर बढ़ने पर उधारकर्ता को लाभ होता है जबकि ब्याज दर गिरने पर ऋणदाता को लाभ होता है। बाजार की ब्याज दरों में इस उतार–चढ़ाव से खुद को बचाने के लिए, ऋण लिखत के पक्ष बेंचमार्क आधार दर और फिक्स्ड स्प्रेड द्वारा निर्धारित अस्थिर दर का इस्तेमाल करते हैं। यह बेंचमार्क किसी भी दर पर हो सकता है, लिबोर दुनिया भर में सबसे प्रचलित बेंचमार्क दरों में से एक है।

## लंदन अंतरबैंक प्रस्तावित दर (लिबोर)

लंदन अंतरबैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) एक प्रमुख प्रचलित बेंचमार्क ब्याज दर है,

जिस पर कुछ चयनित बैंक ('पैनल बैंक') लंदन मुद्रा बाजार में असुरक्षित धन उधार देने के लिए तैयार होते हैं। लिबोर विशेषज्ञ निर्णय पर निर्भर करता है और इसमें बैंक ऋण जोखिम का घटक शामिल है। यह पहली बार 1986 में ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन (बीबीए) द्वारा प्रकाशित किया गया था।

विभिन्न मुद्राओं के आधार पर अलग–अलग लिबोर दरें हैं, जिनकी गणना शुरू में तीन मुद्राओं अर्थात अमेरिकी डॉलर, पाउंड और येन के साथ शुरू हुई थी। एक समय में इसे दस मुद्राओं के लिए 15 परिपक्वता अवधि के साथ जारी किया जाता था जो एक दिवसीय से लेकर एक वर्ष तक का होता था। वर्तमान में, पांच प्रमुख मुद्राओं, अर्थात स्विस फ्रैंक, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन और अमेरिकी डॉलर के लिए हर रोज सात परिपक्वता वाले 35 लिबोर दरें जारी की जाती हैं। ये परिपक्वताएं एकदिवसीय, 1 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने से लेकर 12 महीने तक की होती है।

## कमी – बैंकों द्वारा लिबोर में हेराफेरी

लिबोर गणना पद्धति में प्रमुख वैश्विक बैंकों से कोट प्राप्त किया जाता है कि वे अन्य बैंकों से अल्पकालिक ऋण के लिए कितना शुल्क लेंगे। प्रदान किए गए कोट एक सम्मान प्रणाली पर हैं, जो उनसे भिन्न हो सकते हैं जिन पर संविदाओं को वास्तव में निष्पादित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लिबोर में हेरफेर किया जा सकता है।

यह देखा गया है कि बैंकों ने लिबोर के स्तरों को ऊपर या नीचे प्रभावित करके अपने स्वयं के निवेश स्थितियों को लाभ पहुंचाने के लिए डेटा में हेराफेरी की। वित्तीय संकट के समय वित्तीय रूप से मजबूत दिखने की कोशिश करने के लिए भी बैंकों ने लिबोर को कम रिपोर्ट किया, क्योंकि कम लिबोर रिपोर्ट करने से घबराहट के माहौल को कम किया जा सकता था।

उपरोक्त मामलों के कारण, लिबोर पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी बीबीए से वापस ले ली गई और अंतरमहाद्वीपीय विनिमय बेंचमार्क प्रशासन (आईबीए) को सौंप दी गई और इसका नाम बदलकर आईसीई लिबोर कर दिया गया। साथ ही, यूके के वित्तीय नैतिकता प्राधिकरण ने 2021 के अंत तक लिबोर को समाप्त करने और **वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर)** के लिए मार्ग प्रशस्त करने का निर्णय लिया।

## वैकल्पिक संदर्भ दरों की आवश्यकता और वैश्विक संदर्भः

चूंकि लिबोर प्रकाशन 2021 के बाद बंद हो जाएगा, इसलिए ग्राहकों, प्रतिपक्षों, निवेशकों और अन्य हितधारकों के लिए परिवर्तन प्रक्रिया की समझ विकसित

करना महत्वपूर्ण है। एकल वैश्विक संदर्भ दर के बारे में आम सहमति नहीं बन पाने के कारण, विभिन्न क्षेत्राधिकारों में वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) का

निर्धारण करने के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर समितियों (एआरआरसी) और बेंचमार्क विनियमन और कार्य समूहों जैसे कई निकायों का गठन किया गया।

वैकल्पिक संदर्भ दर समिति (एआरआरसी) ने सुझाव दिया कि एआरआर (वैकल्पिक संदर्भ दर) लिबोर का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बाजार में सुझाए गए एआरआर में से कुछ हैं (i) एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट), (ii) एसओएनआईए (स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट, यूके), (iii) टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट, जापान), और (iv) ) एसएआरओएन (स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट, स्विट्जरलैंड)। उपरोक्त सभी दरों में से, बैंकिंग समुदाय में एसओएफआर दर को व्यापक तौर पर स्वीकृति मिल रही है। इन दर सुरक्षित है (आमतौर पर कोषागारों द्वारा संपार्श्विक) या असुरक्षित हो सकते हैं। बाजार सहभागियों द्वारा सुरक्षित एकदिवसीय उधार को दीर्घावधि में असुरक्षित एकदिवसीय उधार दरों, वास्तविक ट्रेडों पर आधारित जोखिम मुक्त संदर्भ दरों की तुलना में अधिक मजबूत माना जाता है।

## वैकल्पिक संदर्भ दर के रूप में सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (एसओएफआर):

एसओएफआर एक एकदिवसीय सुरक्षित दर है जो ट्रेजरी प्रतिभूतियों द्वारा संपार्श्विक है। यह प्रतिभूतियों के साथ समर्थित वास्तविक लेनदेन पर आधारित है, जिसकी गणना आईसीई बेंचमार्क प्रशासन द्वारा दैनिक रूप से की जाती है। चूंकि एसओएफआर एक एकदिवसीय सुरक्षित दर है, यह लिबोर से कम हो सकता है।

### लिबोर पर एसओएफआर के लाभः

- जोखिम मुक्त दरः चूंकि एसओएफआर ट्रेजरी लेनदेन पर आधारित है, इसलिए ऋण जोखिम से बचा जा सकता है।
- सुरक्षितः लेनदेन को ट्रेजरी पुनर्खरीद समझौतों द्वारा संपार्श्विक किया जाता है।
- कम हेरफेर जोखिमः लिबोर की तरह एसओएफआर विशेषज्ञ निर्णय पर आधारित नहीं बल्कि यह वास्तविक लेनदेन पर आधारित होता है।
- पारदर्शी दरः यह बीएनवाईएम (बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन) द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक लेनदेन डेटा पर आधारित होता है।

### परिवर्तन योजना

एआरआरसी द्वारा विकसित तीव्र परिवर्तन योजना में बाजार संरचना और चलनिधि के निर्माण के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया शामिल है।

1. डेरिवेटिव बाजार द्वारा एसओएफआर को अपनाना।
2. एसओएफआर के संदर्भ में डेरिवेटिव ट्रेडिंग में पर्याप्त चलनिधि बढ़ाना।
3. एसओएफआर के उपयोग को एक रात से बढ़ाकर एक वर्ष तक की लंबी अवधि तक बढ़ाना।
4. 'एसओएफआर' शब्द का विस्तार
   - एकदिवसीय से विभिन्न अवधियों तक विस्तार
   - ऋण और बॉन्ड जैसे गैर–डेरिवेटिव नकद उत्पादों का एसओएफआर में परिवर्तन को सुगम बनाना।

वित्तीय बाजारों ने एसओएफआर को अपनाना शुरू कर दिया है। नए एआरआर के साथ वित्त पोषण हानि (पुराने अनुबंधों में संशोधन/नए अनुबंध जारी करने) से बचने के लिए, बैंक दरों पर क्रेडिट एडजस्टमेंट स्प्रेड (सीएसए) जोड़ सकते हैं।

## भारतीय संदर्भ में एआरआरः

भारत में लिबोर के प्रति एक्सपोजर निम्नलिखित से उत्पन्न होते हैंः

- लिबोर से जुड़े ऋण संविदा (ईसीबी या बाहरी वाणिज्यिक उधार),
- लिबोर से जुड़े अस्थिर ब्याज दरों के साथ एफसीएनआर (बी) जमा और
- लिबोर या मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट (एएमआईएफओआर) से जुड़े डेरिवेटिव।

एमआईएफओआर ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) बाजारों में उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख बेंचमार्क है, जिसमें लिबोर इसके घटकों में से एक है। एमआईएफओआर बेंचमार्क एक सिंथेटिक बेंचमार्क है, जोकि इसके घटकों के रूप में अमेरिकी डॉलर लिबोर और यूएसडी रूपया फॉरवर्ड प्रीमियम के साथ एक समग्र दर है। अनिवार्य रूप से, एमआईएफओआर अमेरिकी डॉलर में उधार लेने

और इसे रुपये में स्वैप करने की लागत का प्रतिनिधित्व करता है, इस प्रकार कृत्रिम रूप से घरेलू सावधि ब्याज दर का प्रतिनिधित्व करता है। एमआईएफओआर को संदर्भित आईआरएस अनुबंधों का उपयोग बैंकों द्वारा ईसीबी उधारकर्ताओं को

दी जाने वाली मुद्रा स्वैप की कीमत और कवर के लिए किया जाता है। वर्तमान में, देश में बकाया आईआरएस संविदाओं का लगभग पांचवां हिस्सा एमआईएफओआर का है। आगे लिबोर की समाप्ति को देखते हुए, एमआईएफओआर के स्थान पर वैश्विक एआरआर पर आधारित एक वैकल्पिक बेंचमार्क विकसित करने की आवश्यकता होगी।

## भारत पर प्रभाव

भा.रि.बैंक के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार ईसीबी/एफसीसीबी के रूप में लगभग $50 बिलियन की ऋण संविदाएं और $281 बिलियन की डेरिवेटिव संविदाएं 2021 के बाद समाप्त हो जाएंगी। हालांकि, ये आंकड़े स्थिर नहीं हैं क्योंकि लिबोर को संदर्भित करने वाली नई संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। इसके अलावा, लिबोर से जुड़े सरकारी एक्सपोजर हैं। इनमें बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से सरकार द्वारा लिए गए लिबोर–संदर्भित ऋण और अन्य देशों को दिए जाने वाले ऋण शामिल हैं।

इसके अलावा, मौजूदा ऋण/डेरिवेटिव संविदाओं की जांच से पता चलता है कि लिबोर की समाप्ति के लिए संविदात्मक वापसी शर्तें उपलब्ध नहीं हैं। वापसी शर्तें घरेलू बाजारों के लिए अनुकूलित लेकिन वैश्विक प्रथाओं के आधार पर विकसित किए जाने की आवश्यकता होगी। 2021 के बाद, एक बार लिबोर समाप्त होने के बाद, इन संविदाओं को देश विशिष्ट एआरआर को एक विकल्प के रूप में अपनाना पड़ सकता है। जैसे–जैसे परितर्वन की तारीख करीब आती जा रही है, लिबोर की समाप्ति के बाद जारी रहने वाले सभी संविदाओं पर फिर से बातचीत और प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होगी। अन्य महत्वपूर्ण कदमों में शामिल हैं वित्तीय बाजार सहभागियों के सभी वर्गों में पर्याप्त हितधारक जागरूकता पैदा करना, संबंधित लेखांकन और कर मामलों को संबोधित करना, मौजूदा नियमों में संशोधन करना जो लिबोर का संदर्भ देते हैं और कट–ऑफ तिथि तय करना और अधिसूचित करना जिसके बाद लिबोर का उपयोग करके कोई नया अनुबंध दर्ज नहीं किया जा सकता है।

## भारत में तैयारी

रिज़र्व बैंक लिबोर के संक्रमण से संबंधित वैश्विक प्रगतियों में भाग ले रहा है और इसकी निगरानी कर रहा है और संबंधित मुद्दों पर परामर्श करने का काम भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को सौंपा गया है। आईबीए ने तब से लिबोर संक्रमण व्यवस्था, दरों और कार्यप्रणाली और बाजार सहभागियों तक पहुंच पर तीन वर्कस्ट्रीम का गठन किया है। इसने अपने सदस्य बैंकों के बीच एक मार्गदर्शन नोट भी परिचालित किया है ताकि वे विभिन्न मानकों, जैसे एक्सपोजर मूल्यांकन और लेखांकन, कर, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित निहितार्थों पर लिबोर संक्रमण के लिए अपनी तैयारी का आकलन कर सकें।

दरें और कार्यप्रणाली वर्कस्ट्रीम एमआईएफओआर के लिए एक स्वीकार्य विकल्प विकसित कर रहा है, जबकि आउटरीच वर्कस्ट्रीम आगामी चुनौती के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वेबिनार और सम्मेलनों के माध्यम से हितधारकों तक पहुंच रहा है।

अगस्त 2020 में, रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्हें लिबोर समाप्ति के लिए तैयार रहने की आवश्यकता के बारे में बताया गया। बैंकों को उन एक्सपोजर की पहचान करने के लिए कहा गया जो लिबोर को संदर्भित करते हैं और जो इसकी समाप्ति तिथि के बाद भी जारी रहने की संभावना है; संक्रमण के लिए तैयारियों का आकलन करना और संबद्ध जोखिमों की पहचान करना; और इस विषय पर ग्राहक संवेदीकरण सुनिश्चित करना।

दिसंबर 2021 के अंत में लिबोर की समाप्ति की तैयारी के लिए भारत के लिए चुनौतियां और मील के पत्थर अन्य क्षेत्राधिकारों के समान ही हैं, खासतौर पर उनके लिए जो काफी हद तक लिबोर ब्याज दर पर निर्भर हैं।

## समापन टिप्पणी

चुनौतियों के साथ–साथ लिबोर की समाप्ति भारत के लिए एक अवसर भी प्रस्तुत करती है। विकासशील देश की अपनी संदर्भ दर का उपयोग भारत और विदेशों में किए गए लेनदेन के लिए किया जा सकता है। यह संदर्भ दर भारत में स्थिति को दर्शाएगी और विदेशी संदर्भ दरों की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी होगी।

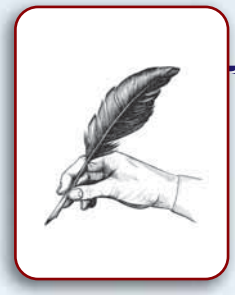

# लिबोर से आगे क्या: नई बेंचमार्क दरों पर एक विचार

– बिमल रथ, प्रबंधक

अंतर–बैंक प्रस्तावित दर (आईबीओआर) का उपयोग उस औसत दर के संदर्भ दर या बेंचमार्क के रूप में किया जाता है जिस पर बैंक अल्पकालिक मुद्रा बाजारों में एक दूसरे से उधार ले पाते हैं। लिबोर वर्तमान में उपयोग में आने वाली कई अंतर–बैंक दरों में से एक है। इसकी गणना पांच मुद्राओं और सात परिपक्वता अवधि के लिए बैंकों के एक पैनल द्वारा उद्धृत दरों के आधार पर की जाती है। लंदन अंतर–बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) जटिल वित्तीय डेरिवेटिव से लेकर आवासीय मॉर्टगेज तक, 350 ट्रिलियन अमरीकी डालर से अधिक मूल्य के लाखों अनुबंधों के लिए बेंचमार्क (संदर्भ) ब्याज दर है। लिबोर पांच अलग–अलग मुद्राओं में आता है, और इसकी परिपक्वता एक रात से लेकर बारह महीने तक की होती है।

हालांकि इसे "विश्व की सबसे महत्वपूर्ण संख्या" के रूप में संदर्भित किया गया है लेकिन पर्याप्त मात्रा में इसका विरोध भी होता रहा है। लिबोर की जगह नई जोखिम–मुक्त दरों (आरएफआर) को लाने के लिए कई सुधार किए गए हैं जो वास्तविक लेन–देन पर आधारित एक दिवसीय दरें हैं। जबकि, आईबीओआर उन दरों का औसत है जिन पर पैनल बैंक मानते हैं कि वे अंतर–बैंक बाजार में पैसा उधार ले सकते हैं, जबकि आरएफआर "पूर्वव्यापी" दर हैं – यानी इनकी गणना ऐतिहासिक लेनदेन डेटा के संदर्भ में की जाती है।

यूके के वित्तीय नैतिकता प्राधिकरण (एफसीए) ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जिस तरह से लिबोर की गणना की जा रही है, इसका मतलब है कि यह अब मजबूत ब्याज दर बेंचमार्क के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करता है। जैसे, 2017 में, एफसीए ने 2021 के अंत के बाद से लिबोर की गणना के लिए आवश्यक दरों को प्रस्तुत करने के लिए बैंकों को बाध्य करने से रोकने के अपने इरादे की घोषणा कर दी है। इसका तात्पर्य है कि हो सकता है कि लिबोर अपनी केंद्रीय भूमिका निभाना बंद कर दे।

**एक आदर्श बेंचमार्क की विशेषताएं:** एक आदर्श बेंचमार्क दर वह है जो पूर्व–निर्धारित उद्देश्यों के लिए मानक उत्कृष्टता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, एक आदर्श निवेश बेंचमार्क एक निवेश रणनीति का मार्गदर्शन करने और इस रणनीति की सफलता का आकलन करने के लिए एक पैमाना होता है। यह अपने निवेश नीति के साथ मिलान जोखिम सहनशीलता, निवेश सीमा, चनलिधि जरूरत और रिटर्न उद्देश्यों के साथ निवेशक के लिए एक "तटस्थ" स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। एक आदर्श बेंचमार्क में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:

- मुद्रा बाजार के केंद्र में ब्याज दरों का एक विश्वसनीय प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।

- बेंचमार्क दरें मुद्रा बाजार के बाहर विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग करने योग्य होनी चाहिए। उनका उपयोग जटिल वित्तीय लेनदेन में भी किया जा सकता है जैसे कि परिवर्तनीय दरों और स्वैप के साथ प्रतिभूतियां जारी करना। इसलिए, बेंचमार्क द्वारा मापे गए ब्याज के लिए संदर्भ दरों को विश्वसनीय रूप से एक विश्वसनीय बाजार को प्रतिबिंबित करना चाहिए और लेनदेन में इनका उपयोग होना चाहिए।
- वित्तीय मध्यस्थों जैसे कि निवेश बैंक जो ऋणदाता और साथ ही उधारकर्ता होते हैं, के लिए ऋण और ब्याज दर व्युत्पन्न संविदाओं में एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार, उन्हें एक उधार संदर्भ की आवश्यकता होती है जो उन दरों के समान होती है जिन पर वे निधि देते हैं।

**लिबोर की जगह किसी दूसरे दरों को लाने के कारण:** हालांकि लिबोर वित्तीय संविदाओं के लिए एक संदर्भ दर प्रदान करता है और उधार और वित्त पोषण के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसमें आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। हेरफेर का खतरा निम्नलिखित के कारण है:

- **विश्वसनीयता में कमी:** चूंकि लिबोर दरें बैंकों द्वारा अपनी उधारी लागतों का अनुमान प्रस्तुत करने द्वारा निर्धारित की जाती हैं,

इसलिए उन सदस्य बैंकों द्वारा दरों में हेरफेर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लिबोर को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह वास्तविक परिचालन के बजाय बाजार और लेनदेन डेटा–आधारित विशेषज्ञ निर्णय पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, वित्तीय संकट के दौरान, बड़े बैंकों ने कम दरों की रिपोर्ट करके बैंक को उनकी असली स्थिति की तुलना में अधिक मजबूत दिखाने के लिए और लिबोर– आधारित वित्तीय उत्पादों पर लाभ के लिए झूठी दरों की रिपोर्ट करके लिबोर में हेरफेर किया गया था।

- **अंतरबैंक जमा बाजारों में सीमित गतिविधि:** अंतरबैंक जमा बाजारों में सीमित गतिविधि अंतरबैंक दरों के आधार पर संभावित लेनदेन–आधारित बेंचमार्क के लिए एक बाधा है। इस प्रकार, बहुत कम वास्तविक लेन–देन लंबी लिबोर अवधि के लिए प्रस्तुति के आधार के रूप में कार्य करते हैं। अंतर्निहित बाजार जिसे लिबोर मापने का प्रयास करता है जोकि बैंकों को थोक अवधि के ऋण देने वाला बाजार है– अब पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं है।

- **व्यक्तिगत बैंक ऋण जोखिम का बढ़ता प्रसार:** बाजार बड़े पैमाने बढ़ रहा है और इसकी के साथ जटिलताएं भी पहले की तुलना काफी बढ़ गई है। लिबोर प्राप्त करने की पद्धति अब पुरानी हो गई है क्योंकि यह लंबे समय से उसी परंपरा पर काम रही है; इस प्रकार, बड़े बैंक कम लेनदेन की रिपोर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त, मुद्रा बाजारों द्वारा दिखाई गई चलनिधि के प्रति संवेदनशीलता ने बैंकों को एक–दूसरे को दिए जाने वाले सावधि ऋणों को कम कर दिया है और इसके कारण गैर–बैंक उधारकर्ताओं को असुरक्षित निधि लेनी पड़ रही है; इस प्रकार, मुद्रा बाजार दरों में भिन्नता बढ़ रही है, इसलिए लिबोर से जोखिम मुक्त दरों की ओर बढ़ने का समय आ गया है।

- **प्रतिपक्षी क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए विनियामक और बाजार प्रयास:** लिबोर में एक अंतर्निहित क्रेडिट–जोखिम घटक शामिल है क्योंकि यह एक बैंक द्वारा उधार लेने की औसत लागत का प्रतिनिधित्व करता है। ऋणदाताओं ने रेपो जैसे कम जोखिम वाले निवेशों के वित्तपोषण की ओर रुख किया है। ओवर–द–काउंटर डेरिवेटिव के संपार्श्विकीकरण से मानकीकृत ओवर–द–काउंटर दावों को समाप्त करने के परिणामों ने बहुत कम या बिना क्रेडिट जोखिम वाले वित्त पोषण के महत्व को बढ़ा दिया है। इस कारण से, स्वैप और अन्य डेरिवेटिव व्यापक तौर पर लिबोर से दूर हो गए हैं।

## लिबोर की जगह कौन लेगा?

यूके, यूएस, यूरो क्षेत्र, जापान, कनाडा आदि सहित कई अर्थव्यवस्थाओं ने वैकल्पिक ब्याज दर को बेंचमार्क के रूप में चिन्हित किया है। इन्हें संक्षिप्त में नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

| देश | लिबोर दर | नई जोखिम मुक्त दर | परिवर्तन समिति |
|---|---|---|---|
| यूएसए | यूएसडी लिबोर | सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट(एसओएफआर) | वैकल्पिक संदर्भ दर समिति |
| यूके | जीबीपी लिबोर | स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज (एसओएनआईए) | जोखिम मुक्त दरों पर स्टर्लिंग वर्किंग ग्रुप |
| जापान | टिबोर, जेपीवाई लिबोर और यूरोयन टिबोर | टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट (टीओएनए) | जापानी येन ब्याज दर बेंचमार्क पर क्रॉस–इंडस्ट्री समिति |
| यूरोप | यूरिबोर और यूरो लिबोर | यूरो शॉर्ट–टर्म रेट (ईएसटीईआर) | यूरोपीय मुद्रा बाजार संस्थान (ईएमएमआई) और यूरो आरएफआर वर्किंग ग्रुप |
| कनाडा | सिडोर | कैनेडियन ओवरनाइट रेपो रेट एवरेज (सीओआरआरए) | कैनेडियन अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट वर्किंग ग्रुप (सीएआरआर) |
| ऑस्ट्रेलिया | बीबीएसडब्ल्यू | आरबीए कैश रेट (एओएनआईए) | ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय बाजार एसोसिएशन |

# आवास वित्त कम्पनियों द्वारा पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण को बढ़ावा देने की तकनीकी एवं अनिवार्यता

– मनोहर मिरयाला, उप महाप्रबंधक

सूचना प्रकटीकरण वर्तमान में कॉरपोरेट अभिशासन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु है। पारदर्शिता एवं स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण में सुधार करना आ.वि.कं. हेतु उचित सामाजिक उत्तरदायित्व है। पारदर्शिता एवं सूचना प्रकटीकरण कंपनी हेतु मूल्य सृजित करता है।

सूचना का प्रकटीकरण इतना महत्वपूर्ण है कि विनियामक का आवास वित्त कंपनी की गतिविधियों पर उचित नियंत्रण होना चाहिए। यह कंपनी की कार्यपद्धति एवं उस दिशा को मापने में भी सहायता करता है जिस दिशा में कंपनी कार्य कर रही है। पर्यवेक्षक द्वारा कंपनी की जानकारी पर उचित नियंत्रण होनी चाहिए एवं आ. वि.कं. का उचित डाटा बेस होना चाहिए। वित्तीय विश्लेषण का उपयोग कंपनी की स्थिति एवं निर्धारित दिशानिर्देशों का आकलन करने हेतु किया जा सकता है। आ.वि.कं. के लाइव अपडेटेड डेटा तक पहुंच से विनियामकों को कंपनी के नियमित मामलों पर अपनी निगरानी रखने में सहायता प्राप्त होगी। यह जांच भी की जा सकती है कि कंपनी द्वारा निवेशकों एवं आम जनता को दी गई जानकारी विनियामकों को दी गई जानकारी के अनुरूप है या नहीं। इससे प्रबंधन के साथ कंपनी के लेखापरीक्षकों की असाधारण मिलीभगत से भी बचा जा सकता है।

अतीत में हमने प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन में विफलता या सूचना के गलत प्रकटीकरण हेतु बैरिंग्स जैसी सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पतन को देखा है। बैरिंग्स बैंक का पतन त्रुटिपूर्ण हेजिंग मॉडल का उदाहरण नहीं था, बल्कि खराब परिचालन नियंत्रण का एक उदाहरण था। बैरिंग्स बैंक के कार्यकारी निक

लीसन को पहले भारी ट्रेडिंग नुकसान हुआ था, यदि यह बात सबके सामने आई होती तो उनको अपनी नौकरी गवानी पड़ती। उन नुकसानों को ठीक करने के प्रयास में, उन्होंने अपनी हेजिंग कार्यनीतियों को छोड़ दिया एवं उन्होंने इस नुकसान की भरपाई करने का अनुमान लगाया। बैंक कार्यालय के संचालन में उनके प्रभाव एवं अधिकार ने उन्हें अपने अनुमानित नुकसान को छिपाने तथा काल्पनिक लाभ को रिपोर्ट करने का अवसर प्रदान किया। लीसन ने अनदेखी की तथा जोखिम नियंत्रण सीमाओं को पार कर गया, एवं वरिष्ठ प्रबंधन की लीसन की भूमिका और निरीक्षण के संबंध में समझ की कमी ने उनकी योजनाओं को अनदेखा कर दिया। इसलिए विभिन्न तकनीकों के माध्यम से सूचनाओं के क्रॉस–चेक से कंपनी एवं नियामकों दोनों को मदद प्राप्त होती है।

## सूचना प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता में सुधार के लिए आवास वित्त कंपनियों हेतु सिद्धांतः

**सबसे पहले,** सूचना प्रकटीकरण हेतु प्रणाली स्थापित करें। विनियामकों एवं पर्यवेक्षकों तथा प्रशासनिक प्राधिकरणों द्वारा कंपनी कानून और कंपनियों के पर्यवेक्षण एवं विनियमन पर अंतरिम विनियमों जैसे प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुसार आ.वि.कं. हेतु सूचना प्रकटीकरण पर निर्देश तैयार करने चाहिए।

**दूसरा,** सूचना प्रकटीकरण हेतु एक पर्यवेक्षी एवं प्रशासनिक प्रणाली स्थापित करें। विनियामक प्राधिकरणों को राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी आवास वित्त कंपनियों के अलावा अन्य सभी आवास वित्त कंपनियों को स्पष्ट रूप से सूचना प्रदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए एवं इसके प्रचार–प्रसार के लिए एक निर्धारित समय–सीमा तय की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रकटीकरण की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत एवं परिष्कृत कॉरपोरेट अभिशासन के आधार पर सूचना प्रकटीकरण की जांच की जा सकती है।

**तीसरा,** सूचना प्रकटीकरण के लिए सामाजिक परिवेश एवं सांस्कृतिक परिवेश में सुधार करने की आवश्यकता है। सूचना प्रकटीकरण के लिए सांस्कृतिक परिवेश की स्थापना एक बेहतर कार्य संस्कृति का द्योतक है एवं इसके परिणामस्वरूप कार्यस्थल पर आर्थिक संस्कृति का भी उदय स्वतः होता है। अनुसंधान संस्थान, मीडिया एवं आर्थिक समुदाय उन उद्यमों का समर्थन करेंगे जो सक्रिय रूप से, सही मायने में और स्पष्ट रूप से जानकारी का प्रकटीकरण करते हैं। आवास वित्त कंपनियां जिनके पास प्रभावी जोखिम डेटा एकत्रीकरण तथा रिपोर्टिंग प्रणाली उपलब्ध है, को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इन लाभों में शामिल हैं:

समस्याओं का अनुमान लगाने की क्षमता में वृद्धि। समेकित डेटा जोखिम प्रबंधकों को समग्र रूप से जोखिमों को समझने की सहूलियत प्रदान करता है। समस्याओं को क्षितिज पर देखना आसान होता है जब जोखिमों को समग्र रूप से देखा जाए

न कि पृथक रूप से। वित्तीय समस्याओं के समय में, प्रभावी जोखिम डेटा एकत्रीकरण कंपनी की योग्यता में वृद्धि करता है जो कि पुनः वित्तीय लाभ की स्थिति में पहुंचने के विकल्प चिन्हित करने में कंपनी की सहायता करता है। उदाहरण हेतु, आ.वि.कं. की वित्तीय व्यवहार्यता को पुनर्स्थापित करने के लिए एक आ.वि.कं. एक उपयुक्त विलय भागीदार की पहचान करने में सक्षम हो सकती है। तनावग्रस्त या असफल आ.वि.कं. की समस्याओं को सुलझाने में विलय कंपनी की स्थिति में सुधार लाती है। आ.वि.कं. के सहायता एवं व्यवहार्यता से संबंधित मुद्दों को हल करने हेतु विनियामक अधिकारियों के पास समग्र जोखिम डेटा तक पहुंच होनी चाहिए। आ.वि.कं. के जोखिम प्रकटीकरण तंत्र को मजबूत करके, आ.वि.कं. कार्यनीतिक निर्णय लेने, दक्षता बढ़ाने, हानि की संभावना को कम करने तथा अंततः लाभप्रदता बढ़ाने में कार्यकुशल हो सकती है।

प्रभावी जोखिम डेटा एकत्रीकरण एवं जोखिम रिपोर्टिंग प्रथाओं के संबंध में बेसल समिति के मार्गदर्शन एवं सिद्धांतों के अनुसार डेटा वर्गीकरण हेतु एक एकल डेटा मॉडल का उपयोग किया जाना चाहिए। बेसल–III के तहत आने वाले बैंकों के विपरीत, एनबीएफसी बेसल I जैसे मानदंडों के अंतर्गत आती हैं। हालांकि, एनबीएफसी के भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) में विलय होने के साथ, वित्तीय साधनों, उचित मूल्य मापन, परिचालन खंडों आदि पर निर्धारित विस्तृत प्रकटीकरण के साथ प्रकटीकरण आवश्यकताओं में सुधार की अपेक्षा है। ये प्रकटीकरण पूर्व सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) के तहत उन की तुलना में अधिक विस्तृत हैं। वर्तमान प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अतिरिक्त, बैंकों के लिए निर्धारित कुछ प्रकटीकरण हैं, जो इस लेयर में एनबीएफसी हेतु समान रूप से प्रासंगिक होंगे। इनमें से कुछ प्रकटीकरण आवश्यकताओं को एनबीएफसी पर लागू करने से अधिक पारदर्शिता आएगी एवं साथ ही हितधारकों को संस्थान की बेहतर समझ प्राप्त होगी। अतिरिक्त प्रकटीकरण जिन्हें लागू किए जाने का प्रस्ताव है, वे होने चाहिए:

- कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट जैसे निदेशकों की संरचना और श्रेणी, निदेशकों के बीच संबंध, गैर–कार्यपालक निदेशकों की शेयरधारिता आदि।
- लेखापरीक्षकों द्वारा व्यक्त संशोधित (अर्थात् नॉन–क्लीन) राय पर प्रकटीकरण, विभिन्न वित्तीय मदों पर इसका प्रभाव एवं लेखा परीक्षा योग्यताओं पर प्रबंधन के विचार।
- असाधारण प्रकृति की आय एवं व्यय की मदें।
- अनुबंधों के संदर्भ में उल्लंघन, चूक की घटनाएं
- निरीक्षण निष्कर्षों के आधार पर आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान में अंतर

इसके अतिरिक्त, उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने एवं पारदर्शिता लाने के लिए आ.वि.कं. पर नीचे उल्लिखित अतिरिक्त अभिशासन आवश्यकताओं को लागू किया जाना चाहिए।

- वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी/अवैध लेनदेन की अनुपस्थिति, लेखा परीक्षकों को प्रस्तुतियाँ आदि सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा अनुपालन प्रमाण पत्र।
- सचिवीय लेखा परीक्षा हेतु आवश्यकताएँ।
- स्वतंत्र निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों, निदेशकों एवं प्रवर्तकों के दायित्व
- सूचीबद्ध संस्थाओं की समितियों के निदेशक पद/सदस्यता पर सीमाएं
- विभिन्न समितियों की भूमिका (लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारकों के संबंध, जोखिम प्रबंधन) तथा लेखा परीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा
- संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित निगरानी तंत्र एवं आवश्यकताएं।
- सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनियों हेतु कॉरपोरेट अभिशासन की आवश्यकताएं।

साथ ही इस तथ्य की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है कि विनियामक सम्मेलनों में डेटा बेस एवं विश्लेषिकी की भा.रि.बैंक, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए आदि पर्यवेक्षकों के संघ द्वारा साझा कर उन पर चर्चा की जानी चाहिए। यह सभी मानकों को निर्धारित करने एवं पूर्ण अनुपालन को लागू करने में सहायता करता है।

# आवास वित्त कंपनियों द्वारा पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करने की तकनीकें एवं अनिवार्यताएं

– विवेकानंद हेम्ब्रम, क्षेत्रीय प्रबंधक

**कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।**
**लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि ।।20।।**

**यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।**
**स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।। 21।।**
**भगवद्गीता 3.20–21**

अपने निर्धारित दायित्वों को पूरा करके ही राजा जनक और उनके जैसे अनेक महापुरुषों ने प्रसिद्धि पाई। आपको भी विश्व के कल्याण के लिए एक मिसाल कायम करने हेतु अपना कार्य पूरा करना चाहिए। महान लोग चाहे जो भी कार्य करें आमजन उनका अनुसरण करते हैं। वे जो भी मानक स्थापित करते हैं पूरी दुनिया उसका अनुसरण करती है।

"सु–राज" जिसका मूल अर्थ सुशासन है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी सुराज पर जोर दिया था।

अभिशासन एक पद्धति है जिसके द्वारा किसी संगठन को संचालित या व्यवस्थित किया जाता है और इन सबसे कहीं अधिक यह एक मूलभूत कानूनी दायित्व है। सुशासन केवल उस प्रणाली में निहित नहीं होता है जिसके द्वारा संगठनों को

नियंत्रित किया जाता है बल्कि इसमें वो तंत्र भी शामिल होता है जिसके अंतर्गत संगठनों और उसमें शामिल लोग कार्य करते हैं। इसके चार मुख्य घटक हैं: 1. पारदर्शिता, 2. निगमित उत्तरदयित्व, 3. प्रबंधन और 4. सत्यनिष्ठा।

हाल के वर्षों में, बेहतर निगमित अभिशासन रिपोर्टिंग अर्थात प्रकटीकरण और पारदर्शिता पर काफी जोर रहा है। आमधारणा के विपरीत, निगमित धोखाधड़ी की पहचान करना और उससे बचाव की जिम्मेदारी बाहरी लेखा परीक्षकों की नहीं होती है, जिनका कार्य वार्षिक वित्तीय विवरणियों पर एक राय प्रदान करने तक सीमित है। व्यवहारिक और कानूनी तौर पर आर्थिक अपराध से बचाव और उसकी पहचान करने की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशकों, कार्यकारी अधिकारियों एवं प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों पर होती है। अब समय आ गया है कि इस दृष्टिकोण में बदलाव लाया जाए और भरोसा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और वित्तीय एवं गैर–वित्तीय चाहे जो भी मामला हो उसका बेहतर ढंग से प्रकटीकरण किया जाए जिसका किसी संगठन के हितधारकों पर असर पड़ सकता है।

पहले से बेहतर प्रकटीकरण और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए, समय–समय पर कई नियम, अधिनियम और निर्देश आए हैं जिनमें कुछ प्रमुख हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, बोर्ड की रिपोर्ट एवं वार्षिक रिपोर्ट के साथ संग्लन अन्य दस्तावेजों में प्रकटीकरण प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश, जिनके माध्यम से बैंकों और एनबीएफसी को निर्देश दिए जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए संस्थाएं अपनी आंतरिक व्यवसाय संरचना, प्रक्रियाओं और परियोजनाओं पर करीबी से नजर बनाए रखकर अभिशासन में सुधार का प्रयास कर रही हैं और इस प्रकार संगठनों के निदेशक मंडल निगमित अभिशासन की गुणवत्ता को परिभाषित कर पा रहे हैं।

निवेशकों के लिए अपने निर्णय निर्माण हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग एक महत्वपूर्ण सूचना

घटक है। निगमित वित्तीय रिपोर्टिंग में प्रमुख जोखिम यह है कि अनजाने में या जानबूझकर की गई त्रुटियों के कारण सही तरीके से वित्तीय विवरणियां प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। जिसके कारण इसके उपयोगकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और जानबूझकर उन्हें कंपनी के प्रचालन के बारे में गुमराह किया जाता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता से निवेश, ऋणदाता और बाजार प्रतिभागी किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं और इससे बाजारों के निष्पक्षता पर भरोसा बढ़ता है। एक जटिल और अस्पष्ट वित्तीय रिपोर्ट उस व्यवसाय में शामिल असल जोखिमों और कंपनी की वास्तविक बुनियादी तथ्यों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देती है। ऐसी कंपनियां जिनकी वित्तीय स्थिति स्थिर नहीं है और कारोबारी संरचना जटिल है तो ऐसे कंपनियों में निवेश करना ज्यादा जोखिम भरा होता है और इनमें निवेश का मूल्य भी कम होता है। इसके अतिरिक्त निगमित अभिशासन हेतु पारदर्शिता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे निदेशक मंडल प्रबंधन की कार्यसाधकता का मूल्यांकन कर सकता है और अगर कंपनी की वित्तीय स्थिति में किसी प्रकार की गिरावट दिखती है तो जरूरत पड़ने पर समय रहते सुधारत्मक कार्रवाई कर सकता है। हम इसे कुछ उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं जिसके कारण संस्थान विफल हो गए और निवेशकों के पैसे डूब गए और उनका भरोसा भी टूट गया। इनमें कुछ प्रमुख उदाहरण हैं डीएचएफएल और सीसीडी–कैफे कॉफी डे। डीएचएफएल ने जहां अपने वितरण को बढ़ा–चढ़ा कर दिखाया और इन ऋणों को डीएचएफएल से संबंधित कंपनियों में डाल दिया गया वहीं सीसीडी जोकि एक अग्रणी कॉफी रिटेल चेन है उसने अपने रिपोर्ट में तो लाभ दिखाया लेकिन जब 2017 में आयकर विभाग का छापा पड़ा तो सारी पोल खुल गई जब यह पाया गया कि कंपनी के प्रवर्तक काफी कर्ज में हैं।

इसलिए, यह महत्वपूर्ण हो गया है कि कंपनियां अपनी वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन के संबंध में एक समझने योग्य, व्यापक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करें। लेखांकन मानक एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिसका पालन कर सही तरीके से वित्तीय जानकारी प्रदान की जा सकती है। अगर वित्तीय प्रकटीकरण बेहतर हो तो यह भावी कंपनी प्रदर्शन से संबंधित अपेक्षाओं के निर्माण का एक निगमित अभिशासन साधन बन जाता है। आज निगमित रिपोर्टिंग केवल वित्तीय विवरणियों तक सीमित नहीं हैं बल्कि इसका दायरा व्यापक हो गया है। इसमें अब उन अतिरिक्त जानकारी का प्रकटीकरण करना जरूरी है जो एक निवेशक को अपने निवेश के मूल्य निर्धारण के लिए जरूरी है, इसमें कई प्रकार के गैर–वित्तीय प्रकटीकरण भी शामिल किए गए हैं जैसे कि कंपनी का लक्ष्य; स्वामित्व और शेयरधारक के अधिकार; महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों सहित नियंत्रण और लेन–देन में परिवर्तन और अभिशासन संरचना और नीतियां आदि।

आज के समय में संस्थान की सफलता हेतु आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। आंतरिक पारदर्शिता में सही समय पर सही व्यक्ति के साथ सही जानकारी साझा करना है। जबकि कंपनी के ग्राहकों और उपभोक्ताओं को कंपनी की सही जानकारी प्रदान करना बाह्य पारदर्शिता कहलाती है।

बेहतर अभिशासन के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:

– इससे हितधारकों के भरोसे में बढ़ोत्तरी होती है।
– संगठन को लंबे समय तक बने रहने में मदद करता है
– वैश्विक पूंजी तक पहुंच हो सकती है
– ब्रांड वैल्यू में वृद्धि होती है
– अच्छे निगमित नागरिक के तौर पर पहचान मिलती है
– बेहतर उत्तरदायित्व

आज कल कंपनियां अपनी गुणवत्ता का संकेत देने और अपनी सुधारात्मक कार्य प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए स्वेच्छा से अपनी निगमित अभिशासन और उससे जुड़ी कार्यप्रणालियों को लागू कर रही हैं। पारदर्शिता और प्रकटीकरण मजबूत ढांचे की प्रमुख घटकें हैं जो शेयरधारकों को अपना निर्णय लेने के लिए आधार प्रदान करती हैं। इससे शेयरधारक और निवेशकों को पूंजी आवंटन, निगमित लेन–देन और वित्तीय प्रदर्शन निगरानी के संबंध में जानकारी मिल पाती है।

मजबूत प्रकटीकरण से पूंजी और पूंजी बाजार में विश्वसनीयता को बनाए रखने में मदद मिलती है। जबकि, कमजोर प्रकटीकरण और पारदर्शिता प्रथाओं के कारण अनैतिक व्यवहार को बल मिलता है और सत्यनिष्ठा की हानि होती है जिससे न सिर्फ कंपनी और शेयरधारकों को नुकसान होता है बल्कि बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था को भी इससे चोट पहुंचती है। आज के समय में शेयरधारकों और संभावित निवेशकों को नियमित, भरोसेमंद और तुलनीय सूचना तक पहुंच की जरूरत है।

मैं यहां पर फ्रेंक हर्बर्ट के उद्धरण के साथ अपने इस लेख को समाप्त करता हूं,

"सुशासन कभी भी कानूनों पर नहीं बल्कि शासन करने वालों के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करता है। सरकार की मशीनरी हमेशा उस मशीनरी का प्रशासन करने वालों की इच्छा के अधीन होती है। इसलिए सरकार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व नेतृत्व को चुनने का तरीका है।"

# सूक्ष्म वित्त संस्थान एवं आवास वित्त

– रंजन कुमार बरुन, उप महाप्रबंधक

## पृष्ठभूमि

भारत में आवास वित्त क्षेत्र में सबसे अधिक– वृद्धि उच्च एवं मध्यम आय श्रेणी में हुई है जबकि खासतौर पर अनौपचारिक क्षेत्र में निम्न आय श्रेणियों का एक भाग संस्थागत आवास वित्त बाजार से अभी भी बाहर है। अन्य कारणों के अलावा इसके फलस्वरूप निम्न आय श्रेणियों में आवास की भारी कमी है। भारत में एक बेहतरीन आवास वित्त क्षेत्र है। हालांकि देश में किफायती आवास क्षेत्र में मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है। शहरी आवास कमी पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट (2012–17) के अनुसार शहरी भारत में वर्ष 2012 में 18.78 मिलियन ग्रामीण आवासीय कमी का अनुमान है, जब की कार्य समूह द्वारा 43.9 मिलियन ग्रामीण आवास की कमी का अनुमान लगाया गया है। आवास की 97 प्रतिशत कमी समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों से जुड़ी है। देश में आवास की कमी का मुख्य कारण वित्त पोषण संसाधनों की कमी है। योजना आयोग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में दर्शाया गया है कि भारत में 66 प्रतिशत परिवार अपने खुद के संसाधन, 9 प्रतिशत संस्थागत वित्त का उपयोग कर आवास का निर्माण करते हैं जबकि शेष गैर–संस्थागत स्रोत जैसे कि परिवार, दोस्त साहूकार आदि पर निर्भर करते है। कई विकासशील देशों में निम्न श्रेणी आवास क्षेत्र अविकसित है और आवास वित्त की उपलब्धता, निधि संग्रहण, भूमि अधिकार निर्माण सामग्रियों की खरीद में कठिनाईयां, कुशल निर्माण कामगार खोजना, आवास प्रौद्योगिकी के बारे में जागरुकता और पहुंच जैसे कई कारकों से बाधित हुए हैं। इसलिए, निम्न आय श्रेणियों में आवास की कमी में सुधार करने हेतु मजबूत एवं बहु–आयामी प्रयासों की जरूरत महसूस की गयी है।

वर्तमान में निम्नलिखित प्रमुख कारणों से आवास वित्त गरीब लोगों तक उपलब्ध नही हो पायी है:

1. स्पष्ट भूमि स्वत्वाधिकार नहीं होने के कारण मॉर्टगेज निर्माण के मामले
2. निवासी एवं आय सत्यापन में कठिनाई अर्थात उपयुक्त सैलरी स्लिप का न होना।
3. उच्च परिचालन लागत एवं लेन– देन लागत
4. अनुकूलित आवास वित्त उत्पादों का न होना।

समावेशी आवास भारत में राष्ट्रीय प्राथमिकता है। सूक्ष्म आवास ऋण जरूरतों हेतु संस्थागत वित्त के प्रवाह को बढ़ाने की जरूरत महसूस की गयी है। वर्तमान में भारत सरकार और राष्ट्रीय आवास बैंक का ध्यान निम्न आय श्रेणियों को संस्थागत आवास ऋण की उपलब्धता को बेहतर करने पर है।

## आवास हेतु सूक्ष्म वित्त संस्थानों का औचित्य

हाल के दिनों में, सूक्ष्म वित्त ने अनौपचारिक क्षेत्र में वित्त पोषण हेतु प्रभावी माध्यम के रूप में धीरे–धीरे महत्वपूर्ण पहचान प्राप्त की है। वे विशेषताएं जिन्होनें सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को गरीबों को आवास वित्त प्रदान करनें हेतु आकर्षक बनाया है वे यह है कि सूक्ष्म वित्त संस्थान समय पर और पर्याप्त ऋण प्रदान करतें है, उनके पास उधारकर्ताओं द्वारा लिये गये ऋण का इतिहास है, उनके यहां ऋण संवितरण एवं संग्रह हेतु स्थापित प्रणाली एवं प्रक्रियाएं हैं और वे 95 प्रतिशत से अधिक की वसूली दर बनाए रखे हैं।

सूक्ष्म वित्त संस्थानों के पास आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आवास वित्त जरूरतों को पूरा करने हेतु बेहतर क्षमता है। अभी तक बहुत कम सूक्ष्म वित्त संस्थानो ने गरीबो को आवास ऋण प्रदान करने का कदम उठाया है। सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा दिए सूक्ष्म उद्यम ऋण बहुत कम राशि के होते है और कम अवधि के लिए होते हैं जबकि आवास ऋणों में अधिक राशि शामिल होगी और लंबी अवधि हेतु होगी। इसलिए सूक्ष्म वित्त संस्थानों की क्षमता को इस्तेमाल करने की जरूरत है जो गरीबों को आवास ऋण प्रदान कर सकते हैं।

औपचारिक वित्तीय संस्थानों के निम्न आय बाजार में वित्त सेवाओं की सुपुर्दगी को प्रतिकुल तरीके से प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल हैं ऋण जोखिम का आकलन करनें में अक्षमता: वेतन पर्ची तक का न होना, अनिश्चित नकदी प्रवाह, छोटी लेन–देन राशि निश्चित लागत के कारण निम्न लाभ अंतर, और वसूलियों में स्पष्टता की कमी, खासतौर पर भूमि स्वामित्व में अनिश्चतता के

कारण। आवास सूक्ष्म वित्त में उपरोक्त कारकों के समाधान और ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणीयों को वित्तीय सेवाएं प्रदान कराना सुनिश्चित करने की क्षमता है। आवास सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम वित्त पोषण के परंपरागत रूपों के व्यवहार्य विकल्प

के निर्माण के माध्यम से किफायती आवास हेतु वित्तीय सहायता के विस्तार हेतु सहायक हो सकते हैं।

वर्तमान परिदृश्य में आवास सूक्ष्म वित्त जैसे वैकल्पिक वित्त पोषण मॉडलों की स्पष्ट जरूरत है। आवास सूक्ष्म वित्त को आवास उद्देश्यों हेतु वैयक्तिक/स्वयं सहायता समूह या संयुक्त देयता समूह के हिस्से के तौर पर वैयक्तिक द्वारा लिए गए ऋण उत्पाद के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। "आवास" शब्द का अर्थ है नया निर्माण, मरम्मत, उन्नयन और वृद्धिशील आवास। सूक्ष्म वित्त गतिविधी को प्रोत्साहित करने, सहायता प्रदान करने और बढ़ाने की जरूरत है। मौजूदा सूक्ष्म वित्त संस्थानों के आवास ऋण कार्यों को मजबूत करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त रा.आ. बैंक हेतु एक आवास सूक्ष्म वित्त उत्पाद को डिजाइन करने की जरूरत है जो पैमाने, स्थिरता और विशेषज्ञता का अनुपालन करता हो। वे विशेषताएं जो सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को आवास वित्त प्रदान करने हेतु आकर्षक बनाते हैं वे हैं:

- सूक्ष्म वित्त संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आवास वित्त जरूरतों को पूरा करने की अच्छी क्षमता है।
- सूक्ष्म वित्त संस्थानों गरीबों को उनके दरवाजे तक समय पर एवं पर्याप्त सूक्ष्म ऋण और अन्य सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है और यह इन्हे अन्य संस्थानों पर बढ़त प्रदान करता है क्योंकि उनके पास गरीबों की चिंता से संबंधित मुद्दों की बेहतर समझ होती है।
- सूक्ष्म वित्त संस्थान ने गरीब स्थानीय तौर पर मौजूद हैं और इसलिए उनके द्वारा वहन की जाने वाली लागत कम होती है।
- सूक्ष्म वित्त संस्थानों ने गरीब उधारकर्ताओं का ऋण इतिहास तैयार किया है क्योंकि ये उधारकर्ता नियमित आधार पर ऋण लेते और चुकाते हैं।
- सूक्ष्म वित्त संस्थानों के पास ऋणों के संवितरण और संग्रह हेतु बेहतरीन स्थापित प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।
- सूक्ष्म वित्त संस्थानों के ग्राहक अपने खुद का आश्रय होने की ख्वाहिश रखते हैं। आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता ऐसे ग्राहक हेतु एक सीमा है।

## सूक्ष्म वित्त क्षेत्र– एक विहंगावलोकन

वित्त वर्ष सूक्ष्म वित्त संस्थानों ने सूक्ष्म वित्त क्षेत्र की वृद्धि में लंबी छलांग लगाई गई है। भारतीय सूक्ष्म वित्त संस्थानों ने वितीय तौर पर वंचित लोगों को व्यवहार्य विकल्प प्रदान करने वाले प्रभावी वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के तौर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा लगभग 6 करोड़ ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जिनके लगभग 11 करोड़ सक्रिय खाते हैं एवं बकाया ऋण लगभग 2.59 लाख करोड़ रूपये है। मार्च, 2021 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास 228 मिलियन खाते थे जिनकी ऋण सीमा 2,00,000 रूपये तक थी जिनमें से सूक्ष्म वित्त खातों की संख्या लगभग 25% थी। बिहार में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के छोटे उधारों से संबंधित 11.8 मिलियन ऋण खातें थें जबकि एमएफआईएन सदस्य एनबीएफसी–एमएफआई की राज्य में लगभग 3.9 मिलियन ग्राहकों तक पहुँच है।

बहुत से सूक्ष्म वित्त संस्थानों ने "मोनोलाइन" कंपनी से अलग रूप ले लिया और अपने ग्राहकों को आस्ति और देयता दोनों उत्पाद पेश करने हेतु तृतीय पक्ष प्रदाताओं के साथ सहभगिता शुरू की।

- सूक्ष्म वित्त संस्थानों को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस प्राप्त हुआ।
- मानदंडो में ढील– ऋण लेने वालों और राशि में एनबीएफसी– सूक्ष्म वित्त संस्थानों को अधिक लचीलापन
- ईसीबी मानदंडो में बदलाव– विदेशी स्रोतों से ऋण उगाही में आसानी
- पीएसएल बदलाव पीएसयू एवं विदेशी बैंको के बीच सूक्ष्म वित्त की बेहतर दृश्यता।

कुल मिलाकर सूक्ष्म वित्त संस्थानों ने पारदर्शिता व अच्छे ग्राहक मानकों के साथ आवास ऋण प्रदाता के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। अतः ऐसे संस्थानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये सतत प्रयासरत रहने की आवश्यकता है।

# भू-संपदा तथा आवास

– रामनारायण चौधरी, प्रबंधक

भू–संपदा (रियल इस्टेट) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर एक विशाल बहु आयामी प्रभाव है। यह आर्थिक विकास का एक बड़ा ईंजन है एवं रोजगार सृजन में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह विशेष रूप से आवास और निर्माण क्षेत्र के साथ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास में उत्प्रेरक का कार्य करता है। सीमेंट, स्टील, ईंट, लकड़ी और भवन निर्माण सामग्री के रूप में लगभग 250 सहायक उद्योगों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रियल इस्टेट क्षेत्र पर अपनी वृद्धि के लिए निर्भर हैं। इस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में स्टीक योगदान आंकना काफी कठिन है। फिर भी एक अनुमान के मुताबिक यह क्षेत्र भारत के जीडीपी में 5–6% का योगदान देता आ रहा है। यही वजह है कि सरकार इस क्षेत्र के प्रति काफी सजग है। 2005 के बाद से भारतीय भू–संपदा क्षेत्र ने रोलर कोस्टर की सवारी के रूप में छवि बनाई है। इस रियल एस्टेट तथा आवास क्षेत्र दोनों एक अर्थ में अद्वितीय हैं। इसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, आवास वित्त कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के व्यक्तिगत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पूंजी के योगदान के बावजूद, इन दोनों क्षेत्रों की विशालता तथा जरूरत को देखते हुए इसमें अभी भी अपर्याप्त पूंजी उपलब्ध है। परिणामस्वरूप, भारतीय सरकार ने विगत वर्षों में सुलभ तथा निम्न आय आवास के विकास हेतु महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए। भारत सरकार द्वारा प्रेस नोट संख्या–2 (2005) के द्वारा 100 फीसदी तक का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्वतः मार्ग से आवास निर्मित बुनियादी ढांचे तथा

निर्माण विकास परियोजनाओं में अनुमति प्रदान की ताकि देश की आवास वित्त क्षेत्र में भारी पूंजी की कमी को पाटने का काम किया जाए। नई तकनीकियों को बल मिले। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति 2007 को लागू किया गया जिससे गरीबों के बीच किफायती आवास तथा तीव्र आवास की कमी के उन्मूलन के साथ विकास पर जोर दिया जा सके। इस नीति के तहत भूमि का निर्बाध रूप से उपलब्ध कराना, आवास वित्त बाजार का विस्तार तथा क्षेत्रीय विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के त्वरित समाधान पर बल दिया गया। इससे हित धारकों तथा इच्छुक संस्थानों का आवास वित्त क्षेत्र में निवेश हेतु आत्मविश्वास बढ़ा।

अचल संपत्ति का तात्पर्य भूमि तथा उसके ऊपर के हवाई क्षेत्र तथा इसके नीचे का क्षेत्र उस निर्मित भवन या संरचना से है। इसके अंतर्गत आवासीय मकान, वाणिज्यिक कार्यालयों, सिनेमाघरों, होटल और रेस्तरां, खुदरा दुकानों, कारखानों तथा सरकारी इमारतों का निर्माण आदि शामिल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, रियल एस्टेट भूमि, आवासीय और गैर–आवासीय भवनों की खरीद, बिक्री और विकास भी शामिल है।

साथ ही, वाणिज्यिक बैंकों तथा आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से व्यक्तिगत आवास ऋण वित्तपोषण की स्थापना के साथ, आवास ऋण वित्त के उपयोग में भारी विस्तार किया गया। हालांकि अभी भी रास्ता काफी अधूरा है तथा इस क्षेत्र में विस्तार की असीम संभावनाएं हैं।

इस तथ्य को संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने अपने वार्षिक बजट 2014–15 में सबके लिए आवास (Housing for all) मिशन के तहत आवास तथा रियल एस्टेट के विकास हेतु महत्वपूर्ण निम्नलिखित घोषणाएं की :–

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) द्वारा संचालित ग्रामीण आवास निधि/ आरएचएफ को 8000 करोड़ रुपये प्रदान करना।

(ख) निम्न लागत आवास की 4000 करोड़ रुपये तथा शहरी आवास को 50,000 हजार करोड़ रुपये प्रदान करना।

(ग) देश में 100 नये स्मार्ट शहर बनाने हेतु 7060 करोड़ रुपये का आवंटन

(घ) भू–संपदा (रियल इस्टेट) क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाने हेतु नियमों को लचीला बनाना।

(ड.) स्लम विकास की निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत लाना।

(च) सेबी के दिशा–निर्देश के अंतर्गत रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) की शुरूआत तथा

(छ) आवास ऋण पर ब्याज भुगतान पर कटौती तथा आयकर अधिनियम के तहत विशेष छूट का प्रबंध

(ज) बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों जो गरीबों को ऋण देने से जोखिम आधार पर कतराते रहे हैं, उस दिशा में इन संस्थानों में विश्वास का माहौल पैदा करने हेतु खासकर निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (credit risk gurantee fund Trust) की स्थापना एवं राजीव ऋण योजना की शुरूआत किया जाना।

भू–संपदा (रियल इस्टेट) तथा आवास क्षेत्र में विकास हेतु केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा उठाये गए कदमों के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक तथा आवास क्षेत्र के शीर्ष नियामक "राष्ट्रीय आवास बैंक" की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। इसका प्रमाण है कि ये क्षेत्र, जो लगभग दो दशक पूर्व नवजात शिशु की तरह था अब इन समग्र वित्तीय क्षेत्र में एक सम्पन्न तथा जीवंत हिस्सा है। इन दशकों के दौरान दोनों नियामक संस्थाओं ने विभिन्न चुनौतियां का डटकर सामना किया तथा सरकार के सहयोग से इस क्षेत्र को वित्तीय क्षेत्र का प्रमुख योगदानकर्ता बनाया।

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि इस क्षेत्रों की कुछ समस्याओं में प्रमुख समस्या यह थी कि पूंजी का सीमित प्रवाह खासकर कम ब्याज दर तथा राष्ट्रीय आवास बैंक की 1988 स्थापना से पूर्व देश में लम्बी अवधि वाली इस क्षेत्र की भूमिका नगण्य थी तथा गिने–चुने एक–दो संस्थान एचडीएफसी तथा हडको की सीमित भूमिका थी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना से कई प्रमुख

वित्तीय संस्थान प्रत्यक्षतः या अपनी अनुषंगी कंपनियां बनाकर आवास वित्त क्षेत्र में प्रवेश किया। राष्ट्रीय आवास बैंक से पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां तथा रा.आ. बैंक की समय–समय पर लाई गई कुशल नीति के तहत इस नवजात क्षेत्र का भरण–पोषण का काम किया तथा शनै–शनै यह क्षेत्र लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगा। परिणामतः भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने को रोक नहीं

पाये। 1991 में आए उदारीकरण से इस क्षेत्र को विस्तार हेतु रास्ता मिला। यही वजह थी कि 1990 के दशक के अंतिम वर्षों तथा 2000 के दशक के प्रारिम्भक वर्षों में भारतीय बैंकों ने इस क्षेत्र में बड़े रूप में प्रवेश किया। इससे आवास वित्त तथा इस क्षेत्र में क्रांतिकारी विस्तार हुआ।

इसके परिणाम स्वरूप वाणिज्यिक बैंकों तथा आवास वित्त कंपनियों का आवास ऋण में निवेश उच्च से उच्च शिखर छूने लगा। भारत सरकार द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80ग तथा 24 के तहत आवास क्षेत्र में निवेश को विशेष छूट प्रदान करना तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त पच्चीस लाख रुपये के आवास ऋण को प्राथमिक क्षेत्र ऋण के रूप में शामिल करने से आवास तथा भू–संपदा (रियल इस्टेट) क्षेत्र में मांग तथा पूर्ति दोनों को बल मिला। सरसाई अधिनियम, 2002 का लागू होना आवास वित्त क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन साबित हुआ। इससे बड़े–बड़े औद्योगिक समूह चाहे टाटा, रिलायंस, इण्डिया बुल्स, मैगमा, इंडिया इन्फोलाइन भी स्वयं को इस क्षेत्र से दूर नहीं रख पाये। एचडीएफसी, हडको, दीवान हाऊसिंग, एलआईसी हाऊसिंग, पीएनबी हाऊसिंग के अलावा इन ग्रुप की कंपनी पर रा.आ.बैंक से पंजीकृत होकर बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र की विस्तार में योगदान दे रही है। इसका मुख्य कारण है इस क्षेत्र में प्रदत्त ऋण का अपेक्षाकृत कम जोखिम भरा होना, लगभग 20% वार्षिक की वृद्धि होना, निवेश पर मुनाफा सुनिश्चित होना तथा गैर–निष्पादित आस्तियां (एनपीएएस) की सम्भावना पर्याप्त होना था।

भारत सरकार तथा उनके अधीन राष्ट्रीय बैंक द्वारा लागू एक फीसदी ब्याज

सब्सिडी योजना, (आईएसएचयूपी) तथा राजीव आवास योजना के तहत कुछ खास तथा निम्न आय वर्गों को घर का सपना पूरा कराने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं इससे आवास की मांग तेजी से बढ़ रही है तथा भू–संपदा (रियल एस्टेट) क्षेत्र को विस्तार का मौका मिल रहा है। इसी दिशा में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित 2007 में देश का प्रथम तथा एकमात्र आवासीय सूचकांक ने देश की विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों में आवास की कीमत की चढ़ती–घटती स्थितियों को आवासीय मूल्यों के आधार पर जारी कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी देश में आवासीय स्टॉक को बढ़ाने हेतु आवासीय ऋण को व्यावसायिक रियल इस्टेट के दायरे से परिभाषित होने से हटा दिया है।

इन महत्वपूर्ण कदमों से वाणिज्यिक बैंकों तथा इन महत्वपूर्ण कदमों से वाणिज्यिक बैंकों तथा आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रदत समग्र ऋण 2010 के 4 लाख 60 हजार करोड़ से बढ़कर 2014 में 8 लाख 90 हजार करोड़ के आकड़े को स्पर्श कर लिया है। वर्तमान में राष्ट्रीय आवास बैंक से लगभग 60 आवास वित्त कंपनियां पंजीकृत है। रा.आ.बैंक के प्रवृति एवं प्रगति रिपोर्ट–2013 मुताबिक समग्र आवास ऋण में एचएफसी का भाग 2012–13 में 46 फीसदी था जो लगभग 2 लाख 90 हजार 427 करोड़ के बराबर है। इसके बावजूद आवास की भारी कमी अभी भी है। यदि 2012 के अनुमानित आकड़ों पर गौर करें तो शहरी क्षेत्रों में लगभग एक करोड़ 88 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चार करोड़ से ज्यादा आवासीय इकाईयों की जरूरत है। इन जरूरतमंदों में मुख्यतः आर्थिक रूप से पिछड़े लोग (ईडब्ल्यूएस) तथा निम्न आय समूह (एलआईजी) शामिल हैं। इसका मुख्य कारण उनकी गरीबी के साथ–साथ आवास ईकाई का महंगा होना है। शहरीकरण तथा गांव से शहरों की ओर पलायन ने आवास की कमी को और बढ़ा दिया है। इसका अन्य कारण रोजगार की कमी, महंगाई के कारण बचत में कमी तथा राजनेताओं एवं उसमें लगे एजेन्सियों का गंदा खेल भी हो सकता है।

## चुनौतियां

भारत में आवास तथा भूमि अचल सम्पत्ति के क्षेत्र के तीव्र विकास में प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित हैं:–

(i) स्पष्ट भूमि पट्टा का अभाव
(ii) इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं होना
(iii) पर्याप्त वित्त स्त्रोत की कमी
(iv) माल की लागत में लगातार वृद्धि
(v) श्रम की कमी तथा श्रम मूल्य में लगातार वृद्धि
(vi) अनुमोदन तथा प्रक्रिया संबंधी कठिनाईयां
(vii) आवासीय परियोजना का समय पर पूरा नहीं होना
(viii) नीति निर्धारकों के सामने सटीक आंकड़ों का अभाव
(ix) रियल स्टेट/बिल्डर को नियामकों से परे रखना।

हाल ही में भारत सरकार तथा इसके संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा तय लक्ष्य सबके लिए आवास–2022 तथा 100 नये स्मार्ट शहरों का विकास इस बात का सूचक है कि देश में आने वाले वर्षों में आवास तथा रियल एस्टेट क्षेत्र का विकास उज्जवल है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपरोक्त चुनौतियों की गम्भीरता से लेना होगा। बिल्डरों की मनमानी रोकने हेतु इसे किसी नियामक एजेंसी के अधीन लाना होगा। आज बिना वजह आवास की कीमत मनचाहे वसूलना, समय पर आवास मुहैया न कराना, ठगी तथा जालसाजी द्वारा लोगों की गहरी तथा सपनों की कमाई गबन कर जाना आदि घटनाएं आम बात है। इस हेतु बिल्डर तथा सरकारी एजेंसियों की सांठ–गांठ को खत्म करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में आवास ऋण नहीं देने की मुख्य वजह वहां जमीन का टाइटल साफ–साफ नहीं होना है। राज्य सरकारों को इस दिशा में भूमि दस्तावेजों तथा इसके रिकार्ड को 'डिजिडिलाइजेशन' पर ध्यान देना होगा। सरकार द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का इस क्षेत्र में अनुमति देने से प्राइवेट इक्विटी फंड का निवेश बढ़ा है। अभी भी इस क्षेत्र में निधि की उपलब्धता में कमी न हो इस हेतु काफी ध्यान लाना होगा। सरसाई की स्थापना होने से आवासीय क्षेत्र में धोखाधड़ी काफी हद तक रोका जा सकता है। इस तरह चाहिए कि सरकार जमीन अधिग्रहण नियम प्रक्रिया को सरल तथा पारदर्शी बनाए जिसमें जमीन मालिकों का हित सुरक्षित हो तथा निर्माण कार्य हेतु जमीन भी आसानी से मिल सके। इसमें बिचौलियों को भारी मुनाफा पर अंकुश लगाया जा सके। एक क्षेत्र में तकनीकी अनुसंधान जैसे सौर ऊर्जा, हरित आवास, कम लागत पर मजबूत तथा टिकाऊ आवास निर्माण वाली तकनीकी आदि पर जोर देना होगा।

# बैंकों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा का महत्व

– आशीष जैन, क्षेत्रीय प्रबंधक

अगर भारतीय वित्तीय क्षेत्र में विनियमन में ढील और उदारीकरण की बात की जाए तो इसके लिए बैंकिंग व्यवसाय के संचालन में प्रभावी और महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता है, खासतौर हाल में कुछ प्रमुख उधारकर्ताओं द्वारा धोखाधड़ी जैसी अप्रिय घटनाओं के बाद वित्तीय बाजार में गंभीर संकट पैदा होने के बाद इसकी जरूरत को अधिक महसूस किया जा रहा है। यह नई बेसल पूंजी अभिसंविदा को ध्यान में रखते हुए भी महत्वपूर्ण है जिसके अंतर्गत किसी बैंक द्वारा बनाए रखी गई पूंजी को लिए जाने वाले जोखिम से अधिक नजदीक से संरेखित किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिसके लिए आरबीआई ने बैंकों में जोखिम–आधारित लेखा परीक्षा प्रणाली और मुख्य जोखिम अधिकारियों की नियुक्ति की शुरूआत की है।

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में बताया गया है कि "आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता में योगदान करने में एक मजबूत आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेखापरीक्षा कार्य को बैंक द्वारा नियामक अनुपालन सहित जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर प्रबंधन को उच्च गुणवत्ता वाले परामर्श प्रदान करना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से, बैंकों में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली लेनदेन परीक्षण, लेखा रिकॉर्ड और वित्तीय रिपोर्टों की सटीकता और विश्वसनीयता के परीक्षण, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता और नियंत्रण रिपोर्ट की समयबद्धता, और कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के पालन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि, बदलते परिदृश्य में इस तरह का परीक्षण अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा। बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के दायरे को बढ़ाने के साथ–साथ पुनर्निर्देशित करने की आवश्यकता है।" पहले बताए गए उद्देश्यों की वास्तविक प्राप्ति के लिए, बैंकों को चुनिंदा लेनदेन परीक्षण और वर्तमान में अपनाई गई अन्य विधियों के अलावा जोखिम प्रबंधन प्रणाली के मूल्यांकन और परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रण प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। जो न केवल जोखिमों को कम करने में बल्कि बैंक को विभिन्न जोखिमों से बचाने के लिए संभावित जोखिम के क्षेत्रों का भी अनुमान लगाने में भी आंतरिक लेखा परीक्षक की भूमिका को अधिक महत्व देते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि जोखिम–आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की नीति जोखिम मूल्यांकन के अनुसार पूर्ण लेनदेन परीक्षण की वर्तमान प्रणाली से हटकर जोखिम पहचान, लेखा परीक्षा क्षेत्रों की प्राथमिकता और लेखा परीक्षा संसाधनों के आवंटन पर ध्यान केंद्रित करेगी। लेखा परीक्षा इस प्रकार से की जानी चाहिए कि अधिकतम समय अवधि के परे ऐसे कम जोखिम वाली कारोबारी गतिविधियां/स्थान भी न बचे रहें जिनकी लेखा परीक्षा न हुई हो। इसके अलावा, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग स्वतंत्र तौर पर काम कर रहे हैं और हितों के टकराव से बचने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए और इसे अन्य लेखांकन और परिचालन संबंधी कार्यों को करने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जानी चाहिए। लेखापरीक्षा तटस्थ भाव से, निष्पक्ष और बिना किसी पूर्वाग्रह के पूरा किया जाना चाहिए। आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि बैंक के परिचालन के मार्गदर्शन हेतु प्रबंधन उस पर कितना भरोसा करता है।

भा.रि.बैंक इस बात पर जोर देता है कि एक स्वतंत्र गतिविधि के रूप में जोखिम मूल्यांकन विभिन्न स्तरों (कॉर्पोरेट और शाखा; पोर्टफोलियो और व्यक्तिगत लेनदेन, आदि) पर जोखिमों को कवर करेगा, साथ ही उन जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण के लिए उन प्रक्रियाओं को भी कवर करेगा जिनके लिए बैंक द्वारा किए गए कारोबार के आकार और जटिलता को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी जोखिम मूल्यांकन पद्धति तैयार की जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के

अनुसार जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होने चाहिएः –

- बैंक द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में निहित व्यावसायिक जोखिमों की पहचान।
- व्यावसायिक गतिविधियों ('नियंत्रण जोखिम') के अंतर्निहित जोखिमों की निगरानी के लिए नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन।
- दोनों कारकों अर्थात अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिम और नियंत्रण जोखिम को ध्यान में रखते हुए जोखिम–मैट्रिक्स तैयार करना।

"अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिमों और नियंत्रण जोखिमों के स्तर (उच्च, मध्यम, निम्न) और प्रवृत्ति (बढ़ते, स्थिर, घटते) के निर्धारण का आधार स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। जोखिम मूल्यांकन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग किया जा सकता है। एक तरफ जहां ऋण की राशि, बाजार और परिचालनगत जोखिमों को बड़े पैमाने पर मात्रात्मक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न कारोबारी गतिविधियों में नियंत्रण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। बैंक के लिए अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, गतिविधि–वार और स्थान–वार जोखिम की पहचान की जानी चाहिए।" "जोखिम मूल्यांकन पद्धति में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित मापदंड शामिल होने चाहिएः पिछली आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अनुपालन, व्यापार क्षेत्रों में प्रस्तावित परिवर्तन या ध्यान आकर्षण क्षेत्रों में परिवर्तन, प्रबंधन / प्रमुख कर्मियों में महत्वपूर्ण बदलाव, नवीनतम नियामक परीक्षा रिपोर्ट के परिणाम, बाहरी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, उद्योग की प्रवृत्ति और अन्य पर्यावरणीय कारक, पिछली लेखा परीक्षा के बाद से बीता हुआ समय, कारोबार की मात्रा और गतिविधियों की जटिलता, बजट से पर्याप्त प्रदर्शन भिन्नताएँ।" इसके अलावा, आरबीआई कहता है, "जोखिम मूल्यांकन सटीक होने के लिए, उचित एमआईएस और डेटा अखंडता आवश्यक होगा। आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य को सभी प्रगतियों जैसे कि नए उत्पादों की शुरूआत, रिपोर्टिंग क्षेत्रों में परिवर्तन, लेखांकन प्रथाओं/नीतियों में परिवर्तन आदि के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। अनिवार्य रूप से जोखिम मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। कारोबारी माहौल, गतिविधियों और कार्य प्रक्रियाओं आदि में बदलाव पर विचार करने के लिए भी जोखिम मूल्यांकन में समय–समय पर कुछ न कुछ बदलाव किए जाने चाहिए।" सभी जोखिम क्षेत्रों को कवर करने और जोखिम मैट्रिक्स के आधार पर शामिल जोखिमों के स्तर और दिशा के आधार पर उनकी प्राथमिकता को कवर करने के लिए एक वार्षिक लेखा परीक्षा योजना होनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो जोखिम की प्रकृति के आधार पर छोटे अंतराल के भीतर लेखापरीक्षा की आवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है ताकि बैंक को किसी भी प्रभावित करने वाली अप्रिय घटना से बचाया जा सके। एक प्रभावी दोतरफा संचार प्रणाली और निष्पादन मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली भी निर्धारित की जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणामों पर समय–समय पर समीक्षा करने और बिना किसी देरी के उपचारात्मक उपाय करने

के लिए विश्वसनीयता, सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।

भा.रि.बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि "निम्न, मध्यम, उच्च, बहुत उच्च और अत्यधिक उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए सभी बैंकों द्वारा जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा का सटीक कार्य क्षेत्र निर्धारित किया जाना चाहिए। हालांकि, कम से कम, इसे निम्नलिखित पर समीक्षा/रिपोर्ट करनी चाहिएः– लेखा परीक्षा के साथ–साथ जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के अंतर्गत जोखिमों के मूल्यांकन में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जोखिमों की पहचान और प्रबंधन किया जाता है; विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रण परिवेश; नियंत्रण तंत्र में कोई कमी, यदि कोई हो, जिसके कारण धोखाधड़ी हो सकती है, धोखाधड़ी संभावित क्षेत्रों की पहचान; डेटा अखंडता, एमआईएस की विश्वसनीयता और अखंडता; आंतरिक, नियामक और वैधानिक अनुपालन; बजटीय नियंत्रण और प्रदर्शन समीक्षा; उस सीमा तक आस्तियों के लेन–देन परीक्षण/सत्यापन जो मौद्रिक अनुपालन सहित जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा विचलन को निर्धारित करने हेतु आवश्यक मानी जाती है। जोखिम–आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे में मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रणों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद प्रणालियों की समीक्षा; संभावित अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिमों की पहचान करना और जोखिमों को नियंत्रित करना, यदि कोई हो; विभिन्न सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना और उन पर की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए अनुवर्ती समीक्षा करना भी शामिल होनी चाहिए।" यदि बैंक जोखिम प्रबंधन आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली और प्रक्रिया पर भा.रि.बैंक के निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन और अनुपालन विकसित करते हैं, तो इससे बेहतर क्रेडिट प्रबंधन और निगरानी होगी जिससे परिचालन जोखिमों और उधार से जुड़े अन्य जोखिमों की घटनाओं को कम किया जा सकेगा।

# स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता

– राधिका मूना, क्षेत्रीय प्रबंधक

"भारत" मानव जाति का पालना है, मानवीय वाणी का जन्म स्थान है, इतिहास की जननी है और विभूतियों की दादी है और इन सब के ऊपर परम्पराओं की परदादी है। मानव इतिहास में हमारी सबसे कीमती और सबसे अधिक अनुदेशात्मक सामग्री का भण्डार केवल भारत में है।" ------ मार्क ट्वेन (लेखक, अमेरिका)

यह सर्वव्यापी है कि भारत को प्रचीनकाल से ही विश्व में धर्मगुरू का स्थान मिला है क्योंकि भारत में आदिकाल से ही शासन व्यवस्था सैद्धान्तिक व व्यवहारिक विचारधारा पर आधारित थी। भारत स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर था और अपनी संस्कृति व समृद्धता के कारण **सोने की चिड़िया** कहलाता था।

परन्तु शनैः शनैः बाहय आक्रमणकारियों ने हमारी संस्कृति को नष्ट कर और हमारे आचरण को भ्रष्ट कर हमें अपना बंधक बना लिया। तत्पश्चात लंबे समय के संघर्ष के पश्चात जनता की जागरूकता व दृशनिश्यता के आगे अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा।

परन्तु स्वतंत्रता के इतने वर्षों पश्चात भी हम समृद्ध राष्ट्र की श्रेणी में न आकर समृद्धि की ओर प्रगतिशील राष्ट्र की श्रेणी में आते है, जिसका कारण आत्मनिर्भरता का अभाव है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लोग बाहरी देशों के लोगो से क्षमता में कही कम है लेकिन सही दिशा का अभाव व कुछ भ्रष्ट आचरण के लोगो के निजी स्वार्थ के कारण हमारा देश मानसिक रूप से पराधीन रह गया। जैसे किसी ने सही कहा भी है– "Freedom comes from strength and self-reliance" अतः भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने व हमारे पूर्वजों के स्वप्नों

को पूरा करने के लिए हमें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना होगा व इसके लिए पूरी निष्ठा के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करना आवश्यक है।

**आत्मनिर्भरता व सत्यनिष्ठा –** वास्तव में यह दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक है क्योंकि आत्मनिर्भर बनने के लिए किसी व्यक्ति व राष्ट्र को पूरी निष्ठा, ईमानदारी व शक्ति के साथ प्रयास करने की आवश्यकता होती है और जब कोई व्यक्ति व राष्ट्र अपने कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी व शक्ति के साथ करता है तब वह किसी से डरता नहीं, किसी के आगे झुकता नहीं व किसी पर निर्भर नहीं होता।

**आत्मनिर्भर भारत – "आवश्यकता अविष्कार की जननी है।"** यह एक प्रसिद्ध कहावत है। कोविड–19 महामारी ने भी हमें जीवन के कई क्षेत्रों में नया पाठ पढ़ाया व सम्पूर्ण विश्व से जब दूरी बनाना आवश्यक हो गया तभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई, 2020 को देश को संबोधित करते हुए **"आत्मनिर्भर भारत"** के सपने को साकार करने की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान की व उसको प्राप्त करने का पथ प्रशस्त किया।

आत्मनिर्भर भारत की इस भव्य इमारत के लिए निम्न पांच स्तंभों की आवश्यकता है:–

1. **पहला स्तंभः अर्थव्यवस्था (इकॉनामी)** – ऐसी अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन के बजाय लंबी छलांग लगाये।
2. **दूसरा स्तंभः बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर)** – भारत तभी आत्मनिर्भर रह सकता है, जब वो ढांचागत विकास करें। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत जो आधुनिक भारत की पहचान बनें।
3. **तीसरा स्तंभः प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली (टेक्नोलॉजी ड्रिवेन प्रणाली)** – ऐसी प्रणाली जो बीति शताब्दी की रीती–नीति नहीं, बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित व्यवस्था पर आधारित हो।
4. **चौथा स्तंभः डेमोग्राफी (आबादी)** – दुनिया की सबसे बड़ी डेमोग्राफी हमारी ताकत है, हमारी ऊर्जा का स्त्रोत है।
5. **पांचवा स्तंभः मांग (डिमांड)** – पीएम मोदी ने कहा, "देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए, हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक–होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो।"

कोई भी इमारत तभी खड़ी रह सकती है जब उसकी नींव मजबूत हो। अतः हमारी

इस आत्मनिर्भर भारत की सुन्दर इमारत की मजबूती के लिए भी यह आवश्यक है कि इसकी नींव मजबूत हो। यह नींव कुछ और नहीं अपितु **सत्यनिष्ठा** है। कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है : **"बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते होय"**

अर्थात जिस इमारत की नींव अगर धोखाधड़ी, कालाबाजारी, भष्ट्राचार पर रखी जाएगी तो वह इमारत धराशायी होकर गिर जाएगी।

अतः जिस प्रकार हम अपने घर की इमारत को मजबूत बनाने के लिए हर प्रकार से प्रयास करते है कि उसमें लगने वाली सामग्री उत्तम गुणवत्ता की हो, उसे सही मात्रा में मिलाया जाए, मिलावट न हो व बनाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए ताकि हमारे घर की इमारत मजबूत रहें व हर परिस्थिति (मौसम) में खड़ी रहे। इसी प्रकार आत्मनिर्भर भारत की इमारत को दृढ़ व मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि हम सभी सामग्री रूपी सभी क्षेत्रों में उत्तम कार्य करें, पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ कार्य करें और भ्रष्टाचार, कालाबाजारी व अन्य अनैतिक व सामाजिक कुरूतियों रूपी मिलावटों को मिलाने से बचें।

**आत्मनिर्भरता में सत्यनिष्ठा की आवश्यकता –**

"उद्यमेन हि सिध्यान्ति कार्याणि न मनेरथैः।
नं हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशांति मुखे मृगाः।।"

हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक श्लोक है कि कोई भी काम (मेहनत) से ही पूरा होता है, बैठे–बैठे हवाई किले बनाने से नहीं अर्थात सिर्फ सोचने भर से नहीं। ठीक उसी प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं चला जाता। आदिकाल से यह बात भी शास्त्रों में विदित है– **"सर्व परवंश दुःख सर्वमात्मवशं सुखम"** अर्थात् सब तरह से दूसरों पर निर्भर रहना ही दुःख है व एवं सब प्रकार से आत्मनिर्भर होना ही सुख है।

कोविड–19 की महामारी के चलते जब समस्त विश्व की गतिविधियाँ लगभग रूक गई थी और सब देश अपनी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भारत ने न केवल डटकर इस विपत्तिपूर्ण समय का सामना किया अपितु **"वसुधैव कुटुम्बकूम"** की भावना के चलते अन्य देशों की भी सहायता की। इसका उदाहरण भारत ने कोविड–19 की वैक्सीन व अन्य जरूरी वस्तुएं लगभग 120 देशों तक पहुँचाई जिनमें से 40 देशों को निःशुल्क सहायता के रूप में दिया। प्रशंसनीय बात यह भी है कि भारत ने केवल योजना न बनाकर इतने कम समय में उसका क्रियान्वयन कर स्वयं सारी जरूरी आवश्यक दवाइयों, वैक्सीन व अन्य वस्तुओं का घरेलू उत्पादन कर विश्व के समक्ष एक कीर्तिमान स्थापित किया। शायद हमारी सरकार के **"vocal for local"** नारे की प्रेरणा ने भी इसमें सहयोग दिया।

इसी संदर्भ में, यह कहना भी अतिश्योक्ति नहीं होगी कि कोरोनाकाल से पहले आत्मनिर्भरता एक सपना था जिसे पूरा करने के लिए हम प्रयासरथ थे पर अब यह एक लक्ष्य है जिसे पूरा करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है और पूरी सत्यनिष्ठा के साथ उसे पूरा करना ही देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का सही निर्वहन होगा।

एक कहावत है **"मुसीबत को अवसर में बदलना"** विश्व में कोरोना काल ने सबको आत्मनिर्भरता का सबक सिखा दिया है और इस श्रेणी में भारत के द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा समस्त विश्व कर रहा है।

**उपसंहारः– किसी ने सही ही कहा है–**

"आत्मनिर्भर हर समस्या का हल है
आत्मनिर्भर भारत हर युवा का कल है
सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भर को बढ़ाना है
भारत को पूर्णतः विकसित कराना है"।

इस संदर्भ में **पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी** की एक सोच बहुत उचित प्रतीत होती है– "जैसे राजनीतिक लोकतंत्र में सबको वोट का अधिकार जरूरी है उसी प्रकार आर्थिक लोकतंत्र में सबको काम का अधिकार जरूरी है।"

किसी भी राष्ट्र का विकास उसमें रहने वाले नागरिकों के विकास पर निर्भर होता है। अतः अगर हमें अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना है तो प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनना होगा और इसके लिए हमें अपने देश में, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों द्वारा उत्पादन करना व सेवायें लेनी होगी जो हमारी आर्थिक, सामाजिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। निश्चित ही यह लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी मानसिक पराधिनता त्यागकर पूरी सत्यनिष्ठा के साथ सरकार के "आत्मनिर्भर भारत" के लक्ष्य को पूरा करने में अपना सहयोग देगा तथा मिलकर यह दृढ़ संकल्प करेगा–

**"आज़ाद 75 सालों का जश्न हम मनाएंगे, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भर भारत हम बनाएंगे"।**

# आज़ादी के 75 वर्ष: उपलब्धियां और चुनौतियाँ

– मधुमिता, उप प्रबंधक

**जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा,**
**वो भारत देश हैं मेरा।**

1965 में, श्री राजेंद्र कृष्ण द्वारा रचित और श्री मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाये गए इस गीत को सुनकर, आज भी हम सभी लोगों का सर गर्व से ऊँचा हो जाता हैं और हमारे अंदर देश प्रेम की भावना हिलोरे मारने लगती हैं। ऐसा शायद इसीलिए होता हैं क्यूंकि यह गीत हमें भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति की याद दिलाता हैं। प्राचीन काल में भारत की समृद्धि और खुशहाली को देखकर लोगों भारत को सोने की चिड़िया भी कहते थे। लेकिन 200 वर्ष की गुलामी के बाद जब 15 अगस्त, 1947 में भारत को आज़ादी मिली तो उस चिड़ियाँ के अस्थि पंजर मात्र शेष रह गए थे।

15 अगस्त, 2021 को भारतीय गणतंत्र ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए। भारत सरकार ने आज़ादी के 75 वर्षों के महत्व को देशवासियों के मानस पटल पर अंकित करने के लिए 12 मार्च 2021, से 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' मनाने की घोषणा की हैं। इस कार्यक्रम का समापन 75 हफ्ते बाद 15 अगस्त 2023, को होगा। इस महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा भारत की आज़ादी के 75 सालों की शानदार उपलब्धियों को आम जनता तक पहुँचाना हैं।

आज़ादी के इन सात दशकों में ज़माना बदल गया हैं। इस समय भारत की आबादी का 65 प्रतिशत हिस्सा 35 वर्ष या उससे कम का हैं। यानी की देश की जनसंख्या का अधिकतम हिस्सा तीसरी पीढ़ी हैं। आज़ादी के बाद हमारे देश की जो पहली पीढ़ी थी, उसने स्वतंत्रता संग्राम के जमाने को खुद देखा और भुगता था। हमारी दूसरी पीढ़ी ने इसे अपने बुज़ुर्गों से सुना और महसूस किया था। लेकिन इस तीसरी पीढ़ी के पास आज़ादी से जुड़ी हुई अपनी कोई सहज यादें नहीं हैं। यह महोत्सव मौजूदा पीढ़ी को अपने गरिमामयी इतिहास की याद दिलाएगा और उन सपनों, आशाओं और अपेक्षाओं से उन्हें रूबरू कराएगा और जोड़ेगा।

यूँ तो हमारे राष्ट्र के 75 सालों के इस सफर में हमने सफलता के कई मुकाम हासिल किये हैं, पर उनमें से कुछ हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। ऐसे ही कुछ मील के पत्थरों का जिक्र आगे किया गया हैं, क्यूंकि इनकी वजह से हमारे देश की दशा और दिशा को एक नया आयाम मिला हैं।

1) विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र : जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब देश के नीति निर्माताओं ने 21 वर्ष और उस से बड़े नागरिकों के लिए "सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार" (यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज़) को चुना। उस समय देश की आबादी का केवल 12 प्रतिशत हिस्सा ही साक्षर था 1988 में 61वां संशोधन के द्वारा राजीव गाँधी सरकार ने चुनाव में वोट देने की उम्र को घटा कर 18 वर्ष कर दिया।

दुनिया के बाकी देशों में से काफी की यह राय थी, भारत में उस समय बड़े पैमाने पर व्याप्त गरीबी और अशिक्षा को देखते हुए लोगों के हाथ में ऐसी शक्ति देना ठीक नहीं होगा। यह संभवतः एक विफल प्रयोग साबित होगा। लेकिन आजादी के 75 साल बाद, भारत जीवंत और सफल लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं।

भारतीय गणतंत्र ने बस नाम के लिए ही नहीं, बल्कि सही मायने में लोकतान्त्रिक मूल्यों को आत्मसात कर अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनाया हैं। शायद यही कारण हैं, कि भारत ने आजादी के बाद कभी सैन्य तानाशाही या किसी और प्रकार की सरकार नहीं देखी। जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यान्मार आदि को इस दौरान कई बार ऐसी परिस्थियों का सामना करना पड़ा। भारत को एक सफल लोकतान्त्रिक देश बनाने में हमारे मजबूत संवैधानिक मूल्यों का बहुत बड़ा हाथ हैं, जो की देश के हर नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान कर उसे समता प्रदान करता है।

2) कृषि सुधार : आजादी के पूर्व भारत में भूखमरी और अकाल के कारण आम जनता को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था, जैसे 1943 का बंगाल का अकाल। किन्तु आज़ादी के 75 सालों बाद हम ना केवल अपनी जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्र में खाद्य पदार्थ उगाते हैं, बल्कि अनेक खाद्य पदार्थों का निर्यात भी करते हैं। कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने में कृषि सुधारों का बहुत बड़ा योगदान है। हरित क्रांति के जनक एम.एस.स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के जनक के वर्गीज कुरियन की इन सुधारों में निर्णायक भूमिका रही है।

इन सभी सुधारों के चलते आज हमारा देश ताजे फल, दूध, दलहन, तिलहन और सूर्यमुखी के बीजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके साथ ही हम गेहूँ, चावल, गन्ना, आलू, चाय, कपास इत्यादि की उत्पादकता में विश्व में दूसरे नम्बर

पर आते हैं। 2013, में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लाया गया जिसका उदेश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को सही मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न पदार्थ पर्याप्त मात्र में उपलब्ध कराने का प्रावधान था। इसके अंतर्गत

देश की लगभग 66% आबादी को कम मूल्य पर खाद्य पदार्थ प्रदान कर उन्हें खाद्य और पोषणिक सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की गई हैं।

3) सैन्य क्षमता में विकास : 2021 की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में हम चौथे स्थान पर हैं। वर्त्तमान में सैनिकों की संख्या के हिसाब से हम विश्व में दूसरे नम्बर पर आते हैं। हमारा सैन्य सुरक्षा का बजट लगभग $50 बिलियन का हैं। चूंकि हमारे यहाँ नौजवानों का सेना में जाना अनिवार्य नहीं हैं, इस लिहाज से हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी वालंटियर आर्मी हैं। भारत विश्व के उन कुछ गिने चुने देशों में आता हैं जिनके पास अंतर महाद्वीपीय प्राक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र (इंटर कांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ) क्षमता और परमाणु क्षमता हैं। किसी भी देश को अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत बनाना है, तो उसे अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना होगा।

4) स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास : 2 अप्रैल, 1984 को राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बने। यह प्रोजेक्ट भारत और सोवियत यूनियन का संयुक्त उद्यम था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का जन्म 1969 में हुआ, जो की वर्तमान में विश्व की बड़ी स्पेस एजेंसियों में गिनी जाती हैं। अंतरिक्ष पर अपना परचम लहराने के लिए इसरो ने कई स्पेस मिशन संचालित किए हैं, जिसमे मंगलयान भी शामिल है। यह भारत का पहला अंतर ग्रहीय स्पेस (इंटर प्लेनेटरी स्पेस) कार्यक्रम था।

मिशन मंगल से भारत विश्व का पहला ऐसा राष्ट्र बना जिसने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर अपना उपग्रह (सेटेलाईट) पहुँचाया। मजे की बात यह हैं की यह हमने मात्र 450 करोड़ रुपये में कर दिखाया। यह विश्व के लिए एक मिसाल थी।

5) महामारी उत्थान और पोलियो से मुक्ति : भारत में विश्व की 17% आबादी निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी किसी भी स्वास्थ्य सम्बन्धी टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बना पाना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इस स्तर पर किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही दृढ़ इच्छाशक्ति का होना जरुरी हैं जो की हमारे कार्यपालकों ने दिखाई है। भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त राष्ट्र का दर्ज़ा दिया गया और हमने स्माल पॉक्स को अप्रैल, 1977 में ख़त्म किया।

आजादी के समय, सन 1947 में आम भारतीय की आयु संभाविता 32 साल की थी जो की अब 2019 में बढ़ कर 69.66 साल हो गयी हैं। इसके साथ ही 1947 में भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर 218 हर 1000 जन्म पर थी जो की 2019 में घाट कर मात्रा 28.30 हर 1000 जन्म पर रह गयी हैं। यह आंकड़े हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में हुए सकारत्मक सुधारों को दर्शाते हैं।

6) आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद पर नियंत्रण : स्वतंत्रता के समय हुए विभाजन की त्रासदी भारत आज़ादी के कई वर्षों बाद तक झेलता रहा। इसका एक पहलु हमें 90 के दशक में हमें जम्मू –कश्मीर में आतंकवाद के रूप में भी देखें को मिला, जिसके परिणामस्वरूप कश्मीरी पंडितों को वादी से पलायन करना पड़ा। हमने अनेक आतंकवादी हमलों का सामना किया, पर हम हमेशा उस से जूझ कर मजबूत बन कर उभरे हैं। वर्त्तमान में भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बना दिया हैं, कि काफी हद तक इस समस्या को काबू करने की दिशा में कदम बढ़ाये गए हैं।

स्वतंत्रता के समय भारत में 562 रियासतें थी। माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल और श्री वी.पी. मेनन के सतत प्रयास से ही सारी देशी रियासतों का एकीकरण हुआ। लेकिन चूँकि इस प्रक्रिया में विभिन्न राज्यों का निर्माण हुआ जिनकी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली काफी विविध थी, इसने अलगाववाद और नक्सलवाद की समस्या को जन्म दिया। 1990 और 2000 के दशक में इस समस्या के चलते काफी जान माल का नुकसान हुआ करता था। किन्तु समय के साथ कानून व्यवस्था में सुधार और सरकार द्वारा की गयी अनेक पहलों की वजह से इस समस्या का दायरा सिमटता जा रहा हैं। इन तीनों समस्याओं को पूर्ण रूप से समाप्त करने की दिशा में अभी बहुत काम बाकी हैं, लेकिन हमने इसमें काफी संतोषजनक सुधार किये हैं।

जब भारत आज़ाद हुआ था तो पूरी दुनिया का यह मानना था की क्यूंकि भारत के सभी क्षेत्रों में इतनी सांस्कृतिक और पारम्परिक विविधता हैं, इसलिए भारत का भविष्य एक अखंड राज्य के रूप में सीमित हैं। किन्तु आज़ादी के 75 वर्ष बाद एक अखंड देश के रूप में सफल होकर हमने यह साबित कर दिया हैं कि हम विविधता में एकता का बेहतरीन नमूना हैं।

7) आर्थिक पावरहाउस – भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक हैं। आज़ादी के समय इसका आकार 2.7 लाख करोड़ का था जो 74 साल बाद बढ़ कर 135.13 लाख करोड़ का हो गया हैं। सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से देखे तो भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, वही क्रय शक्ति समता (परचेजिंग पावर पैरिटी) के हिसाब से हम विश्व में तीसरे नंबर पर आते हैं। 1991 के एलपीजी सुधारों (उदारीकरण, निजीकरण, और वैश्वीकरण) के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 10 गुना बढ़ोतरी हुई हैं। 1950–51 में भारत का विदेशी मुद्रा का भण्डार (फोरेक्स) 1029 करोड़ था, जो कि वर्त्तमान में 46.17 लाख करोड़ डॉलर हो गया हैं। यह विश्व का पांचवा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का भण्डार हैं।

8) बुनियादी ढाँचे का विकास : किसी भी देश की तरक्की के लिए उसके बुनियादी ढाँचे का विकास बहुत जरुरी हैं। रेल मार्ग, राज्य मार्ग, और सड़कों का विकास इसी का हिस्सा है। 1950 में सरकारी आकड़ों के हिसाब से सड़कों की कुल लम्बाई 0.4 लाख किलोमीटर थी जो 2021 में 16 गुना बढ़कर 6.4 लाख किलोमीटर हो गयी है। आज भारत सड़कों के नेटवर्क के मामलें में विश्व में दूसरे नंबर पर है। भारत में रेल मार्ग का विकास कच्चे माल के आवागमन के लिए किया गया था। इस कारणवश भारत में आजादी पूर्व भी रेल मार्ग का अच्छा नेटवर्क था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय रेलवे ने रेल मार्ग के विद्युतीकरण और रेल गेज के एकीकरण पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।

इसके अलावा रेलवे ने देश के सुदूर उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षत्रों को मुख्य भूमि से जोड़ने में भी काफी तरक्की की है। वर्त्तमान में रेलमार्ग की लम्बाई लगभग 67,956 किलोमीटर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुँचाना भारत के सामाजिक और आर्थिक नीति निर्माताओं का लक्ष्य रहा है।

विधुत मंत्रालय के हिसाब से 1950 में देश के 3,061 गाँवों में ही बिजली थी। 2018 में भारत सरकार ने यह घोषणा करी की भारत के सारे 5,97,464 गाँवों का विद्युतीकरण हो गया है। हालांकि इस डाटा में किसी गाँव को विद्युतीकृत करने का आधार केवल उसके मात्र 10 प्रतिशत घरों में बिजली पहुँचाना है, इसीलिए आज भी कई लाख परिवार बिना बिजली के रह रहे हैं।

9) उत्पादन क्षेत्र सर्विस क्षेत्र और टेक्नोलॉजी का विकास – आजादी के समय ब्रिटिश सरकार की नीतियों की वजह से भारतीय उद्योग और हस्तकला पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। लेकिन आज़ादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की मदद से देश में उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक उद्योग लगाए गए। 1991 तक मुख्यतः यह उद्योग सरकारी क्षेत्र में थे, लेकिन एल. पी. जी सुधारों के बाद लगभग हर उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी शुरू हो गई। इसके चलते प्रतिस्पर्धा बढ़ी जिससे कि गुणवत्ता और रोज़गार के अवसर बढ़े। आज सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा 16–17 प्रतिशत हैं और यह हमारी देश की 12% कार्यबल को रोज़गार देता हैं।

कंप्यूटर प्रोद्यौगिकी, आधारभूत संरचना, दूरसंचार के माध्यम और इन्टरनेट के विकास के कारण आज भारत सर्विस सेक्टर में भी नए आयाम छू रहा है। हालाँकि यह परंपरागत उद्यम का क्षेत्र नहीं हैं, लेकिन आज सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत 53.89% हैं और यह हमारे देश में 32.33% लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करता हैं।

वैश्विक स्तर पर सूचना प्रौद्यौगिकी क्षेत्र को भारत ने अनेक दिग्गज प्रदान किए हैं जो की आज अनेक विश्व स्तरीय कंपनियों के मुख्य प्रबंधन अधिकारी के तौर पर संचालन कर रहे हैं। इनमे से कुछ प्रमुख नाम हैं सत्या नडेला, सुन्दर पीचई, पारस अग्रवाल। यह भारत के लिए अत्यंत गौरव की बात हैं और दुनिया में भारत के सॉफ्ट पॉवर भी बढ़ाता हैं।

लेकिन ऐसा नहीं हैं की आजादी के बाद के इन 75 सालों की यात्रा केवल फूलों से भरी हुई रही हैं। इस यात्रा में हमें कई बार कटीले पथ से भी गुजरना पड़ा हैं। भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष के बाद आज भी कई ऐसी समस्याएँ हैं जिन पर काबू पाना हमारे नीति निर्माताओं के आगे चुनौती बनी हुई हैं। उनमें से कुछ प्रमुख नीचे बताए गए हैं।

1) गरीबी और भुखमरी : देश जब आज़ाद हुआ तो उसके विभाजन के कारण भारी संख्या में लोगों ने दूसरी जगह पलायन किया। इसके कारण अच्छी आजीविका के साधनों और रहन सहन का संकट बढ़ा। इसलिए बनाये भारत में सब कुछ आसान नहीं था। सन 1947 में लगभग हमारी 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी, वर्तमान में गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाली आबादी 21% है। आज़ादी के समय से तुलना करें तो सुधार अवश्य हुआ है पर आज भी यह संख्या संतोषजनक नहीं है।

भारत में कुछ लोग जहां बराबर खाना बर्बाद कर देते हैं वही कुछ एक समय की रोटी के लिए भी तरसते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2021 में भारत को 116 देशों में से 101वाँ स्थान प्राप्त हुआ है जो इस समस्या की गहराई को दर्शाता हैं। भारत को उन 31 देशों में रखा गया है, जहा भुखमरी एक गंभीर समस्या है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2019–20 के हिसाब से देश के 22 राज्य गरीबी दूर करने में आगे आने की बजाय पीछे जा चुके हैं। भारत को 2030 तक गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य अभी दिवास्वप्न है। साल दर साल इन व्यवस्थाओं में सुधार तो दिखता है पर नीति निर्माताओं को इसमें अभी और बहुत काम करने की जरुरत है।

2) अशिक्षा – शिक्षा हमारे जीवन का ऐसा अभिन्न अंग है जिसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज और उच्च शिक्षा के लिए इंसान हर वो जतन करता है जिससे की वो काबिल इंसान बन सके। पर आज भारत का निचला तबका अच्छी और सस्ती शिक्षा से वंचित है। यह तबका अपनी शिक्षा के लिए मूलतः सरकारी स्कूलों पर निर्भर है। लेकिन स्कूलों में अध्यापकों की कमी, कक्षाओं का अनियमित ढंग से चलना, मूलभूत सुविधाओं का अभाव लक्ष्य को कमजोर करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल लगभग 3 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है, जबकि शिक्षा क्षेत्र में सही तरीके से विकास करने के लिए इस आंकड़े को 6% होना चाहिए।

3) बेरोज़गारी – भारत जैसे विकासशील और बड़ी आबादी वाले देश के विकास के लिए यह बहुत जरुरी है कि वह अपनी जनसंख्या बल का सकारात्मक इस्तेमाल करे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2021 तक भारत में बेरोज़गार लोगों की संख्या 5.3 करोड़ थी, इनमें महिलाओं की संख्या 1.7 करोड़ थी। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वैश्विक स्तर पर रोज़गार मिलने की दर महामारी से पहले 58 प्रतिशत थी और कोविड के बाद यह घट कर 55 प्रतिशत रह गयी, वही भारत में यह दर 43 प्रतिशत है। सीएमआईई की माने तो यह दर असलियत में मात्र 38% है। भारत में कार्यबल और रोज़गार सम्बन्धी आँकड़ों के दो प्रमुख स्त्रोत हैं :– दशकीय जनगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा रोज़गार और बेरोज़गारी पर राष्ट्रव्यापी पंचवर्षीय सर्वेक्षण। इसको 2017–18 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो वार्षिक आँकड़े उपलब्ध कराता है के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसके हिसाब से वेतनभोगी कामगारों का प्रतिशत वर्ष 2019–2020 में 21.20% से गिरकर वर्ष 2021 में 19% हो गया है जिसका अर्थ है कि 9.5 मिलियन लोग वेतनभोगी नौकरी से बाहर हो गए या बेरोजगार हो गए हैं या अनौपचारिक क्षेत्र में चले गए थे। सरकार को इस समस्या पर काबू पाने के लिए सही दिशा में कदम लेने चाहिए।

4) आर्थिक और सामाजिक असमानता – भारत एक अत्यंत विषमतापूर्ण अर्थव्यवस्था है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जो कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा जारी की जाती है, के अनुसार भारत अब दुनिया के सर्वाधिक असमान देशों में से एक है। भारत में शीर्ष 10% आबादी राष्ट्रीय आय का 57% कमाते हैं जिसमें से शीर्षस्थ 1% अभिजात वर्ग 22% आय अर्जित करता है। वहीं राष्ट्रीय आय में निचले स्तर के 50% की हिस्सेदारी घटकर मात्र 13% रह गयी है। इसके साथ ही भारत में लैंगिक असमानता भी बड़े पैमाने पर व्यापत है। महिला श्रम आय का हिस्सा 18% के बराबर है, जो कि एशिया में औसत (21%, चीन को छोड़कर) से काफी कम है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सामजिक और आर्थिक असमानताएँ व्याप्त हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की अनुपस्थिति में निम्न वर्ग और आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों के स्वास्थ्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नीति निर्माताओं को इसे ख़त्म करने के लिए स्पष्ट सार्वजनिक नीतियां लानी

चाहिए जिससे कि आम लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार के अवसर व्यापक तौर पर मिल सकें।

5) भ्रष्टाचार – जब व्यक्ति देश हित को ताक पर रख कर, अपने पद और शक्ति का दुरूपयोग निजी लाभ और सम्पति अर्जित करने में करे तो उसे भ्रष्टाचार कहा जा सकता है। यह राष्ट्र हित में बहुत बड़ा बाधक है। इससे राजनैतिक और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास में कमी आती है, निवेश और वास्तविक व्यापार प्रतिस्पर्धा कम होती है। इसके अलावा संसाधनों में कमी, राजस्व में कमी, आय में असमानता, और आर्थिक दक्षता में कमी भी इसके परिणामस्वरूप हो सकते है। ट्रांसपेरेंसी इंटरेनशनल द्वारा जारी किये गए भ्रष्टाचार बोधक सूचकांक (2021) में भारत 180 देशों में 85वें नंबर पर है और उसे 40 सीपीआई अंक दिया गया है।

हालांकि पीछे एक दशक में भारत का अंक काफी हद तक स्थिर रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट में आशंका जताई गयी है कि कुछ ऐसे तंत्र जो भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं, वह कमजोर हो रहे हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से हटाने के लिए सभी सरकारी एजेंसियों को दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाते हुए आपस में सहयोग कर भ्रष्टाचार निरोधी उपायों को सख्ती से लागू करना चाहिए। इसी में देश हित निहित है।

आज़ादी के इन सात दशकों में ज़माना काफी बदल गया है। इस समय देश की जनसंख्या का अधिकतम हिस्सा तीसरी पीढ़ी है। पहली पीढ़ी ने आज़ादी पाने की ज़द्दोजेहद का ज़माना खुद देखा और भुगता था। दूसरी पीढ़ी ने इसे अपने बुज़ुर्गों से सुना, महसूस किया। परन्तु वर्तमान तीसरी पीढ़ी की उससे जुड़ी कोई सहज याद नहीं है। यह महोत्सव मौजूदा पीढ़ी को उन सपनों, आशाओं तथा अपेक्षाओं की याद दिलाएगा, जिन्हें हम भारत के लोग अपने दिलों में संजोए हुए हैं।

# वेब 3.0: महत्त्व और चुनौतियाँ

– मनोज कुमार, प्रबंधक

## संदर्भ

वेब इतिहास की आधुनिक पुनर्कथा में विश्व अब पूर्णतः इंटरनेट की तीसरी पीढ़ी में प्रवेश कर चुका है। हम विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल (वेब 1.0) से केंद्रीकृत, एकाधिकारवादी प्लेटफार्म (वेब 2.0) की ओर आगे बढ़ चले हैं और अब विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन (Blockchain)–आधारित आर्किटेक्चर यानी वेब 3.0 (Web 3.0 या Web3) युग की ओर बढ़ने को तैयार हैं।

वेब 3.0 के वर्तमान आख्यान के साथ अब शक्ति कुछ प्रभुत्वशाली वेब 2.0 कंपनियों के हाथों से निकल पुनः जनता के नियंत्रण में आ जाएगी।

वेब 3.0 भारत और इसके सॉफ्टवेयर डेवेलपर्स के लिये व्यापक अवसरों की पेशकश करती है, हालाँकि ब्लॉकचेन नियामक उपायों, कराधान और विकेंद्रीकरण के मामले में अभी कुछ बाधाएँ भी मौजूद हैं।

यदि भारत इन समस्याओं को सुलझाने में सफल रहता है तो इंटरनेट के अगले मोर्चे के स्थापित होने के साथ भारत के पास एक प्रमुख योगदानकर्ता बनने का अवसर मौजूद है।

## वेब 3.0

- वेब 3.0 एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट है जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर संचालित होगा और यह वर्तमान में प्रयुक्त वेब 1.0 एवं वेब 2.0 संस्करणों से भिन्न होगा।
    - वेब 1.0 वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट है जिसका आविष्कार वर्ष 1989 में हुआ था, वर्ष 1993 में यह लोकप्रिय हुआ और वर्ष 1999 तक चला।
        - वेब 1.0 के दौरान इंटरनेट प्रायः स्टेटिक वेब पेज (Static Web Pages) के रूप में संचालित था, जहाँ उपयोगकर्त्ता वेबसाइट पर जाते थे और फिर स्टेटिक सूचना (Static Information) को पढ़ते थे तथा उसके साथ अंतःक्रिया करते थे।
- वेब 2.0 1990 के दशक के अंत में शुरू हुआ और वर्तमान में वेब 2.0 का ही युग चल रहा है।
    - वेब 1.0 की तुलना में वेब 2.0 का विशिष्ट गुण यह रहा है कि यहाँ उपयोगकर्त्ता कंटेंट का सृजन कर सकते हैं, यानी यहाँ मुख्य रूप से एक सोशल मीडिया प्रकार की अंतःक्रिया का अवसर होता है।
- वेब 3.0 में उपयोगकर्त्ताओं के पास प्लेटफार्म और एप्लिकेशन में स्वामित्व हिस्सेदारी होगी, जो अभी से भिन्न स्थिति होगी जहाँ विभिन्न प्लेटफार्म का नियंत्रण प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के पास है।

## वेब 3.0 का महत्त्व

- **क्रिएटर्स और बिल्डर्स** की एक बड़ी संख्या अगली पीढ़ी के उपकरणों का लाभ उठाएँगे और इस नई अर्थव्यवस्था में भागीदारी करेंगे।
- वेब 3.0 विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन (Decentralized Autonomous Organization) होने की भावना रखता है। वेब 3.0 एक विकेंद्रीकृत और निष्पक्ष इंटरनेट प्रदान करेगा जहाँ उपयोगकर्त्ता के पास अपने डेटा का नियंत्रण होगा।
- यह बड़े प्लेटफार्म द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक किराए को समाप्त कर देगा और आम लोगों को उपयोगकर्त्ता–जनित डेटा के विज्ञापन–आधारित मुद्रीकरण के त्रुटिपूर्ण कारोबार मॉडल से मुक्त करेगा जो आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की पहचान ही बन गया है।
- वेब 2.0 में इंटरनेट और इंटरनेट ट्रैफिक में अधिकांश डेटा का स्वामित्व या प्रबंधन कुछ अत्यंत बड़ी कंपनियों के पास ही सीमित है जिसके कारण डेटा गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और ऐसे डेटा के दुरुपयोग जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।
    - यहाँ एक निराशा की भावना व्याप्त है कि इंटरनेट का मूल उद्देश्य विकृत हो गया है। इस संदर्भ में वेब 3.0 की चर्चा बेहद महत्त्वपूर्ण हो गई है।

## संबद्ध मुद्दे

वेब 3.0 अभी अपने आरंभिक चरण में है और यह वेब 1.0 या वेब 2.0 की तरह शुरू हो सकेगा इस बात पर अभी कोई सहमति नहीं है।

- उद्योग और अकादमिक समुदाय के शीर्ष प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की ओर से संदेह जताया गया है कि वेब 3.0 उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेगा जिसकी वह मंशा रखता है।

- भारत में वेब 3.0 आंदोलन अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। ब्लॉकचेन प्लेटफार्म की मापनीयता और संवहनीयता पर अभी गंभीर सवाल मौजूद हैं।

- इसके अलावा, डेवलपर्स द्वारा उपयोगिता का प्रश्न अभी समस्याजनक है और विकेंद्रीकृत डेटा एवं स्मार्ट अनुबंधों के लिये उपयुक्त परिदृश्यों को लेकर पर्याप्त भ्रम मौजूद हैं।

- भारत में एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) लाने की योजना पर विचार चल रहा है। क्रिप्टोकरेंसी पर भारत के रुख को स्थापित करने वाले एक व्यापक कानून का आना भी अभी प्रतीक्षित है।

## आगे की राह

- **वेब 3.0 के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण:** वेब 3.0 में संलग्न होने वाली पीढ़ीगत ऊर्जा, डेवलपर फोकस और वेंचर कैपिटल फंडिंग को कम आँकना विवेकपूर्ण नहीं होगा।

  - यह गति वेब को उसके वर्तमान अवतार से दूर एक नए प्रतिमान में ले जाएगी।

  - निस्संदेह वेब 2.0 के प्रति दृष्टिकोण काफी हद तक निष्क्रिय रहा था जिससे बड़े तकनीकी प्लेटफार्म परिदृश्य पर हावी हो गए जहाँ सर्च, ई–कॉमर्स, राइड–हेलिंग, ग्रोसरी, सोशल मीडिया सभी ही पश्चिमी मॉडल का अनुकरण करते हैं।

  - इसलिये वैश्विक वेब 3.0 को आकार देने के लिये एक अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

- **वेब 3.0 संरचना के विकास के लिये प्रमुख आवश्यकताएँ:**

  - प्रौद्योगिकीय दृष्टिकोण से वेब 3.0 के लिये वर्तमान संरचना से एक विचलन की आवश्यकता होगी जहाँ फ्रंट–एंड, मिडिल लेयर और बैक–एंड मौजूद हैं।

  - इसे ब्लॉकचेन के प्रबंधन, ब्लॉकचेन में डेटा के सुदृढ़ीकरण एवं सूचीकरण, पीयर–टू–पीयर कम्युनिकेशंस आदि के लिये बैकएंड सॉल्यूशंस की आवश्यकता होगी।

  - इसी तरह, मिडिल लेयर जिसे 'बिज़नस रूल्स लेयर' भी कहा जाता है, को ब्लॉकचेन–आधारित बैकएंड को संभालने की आवश्यकता होगी।

- **भारत के लिये अवसर:** वेब 3.0 पूर्व के डिजिटल आर्किटेक्ट में आमूलचूल परिवर्तन लेकर आएगा।

  - अगले कुछ वर्षों में नए कारोबार मॉडल विकसित होंगे, साथ ही उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बहुतायत में विकेंद्रीकृत एप्स विकसित होंगे।

    - इसके अलावा, मापनीयता या स्केलेबिलिटी की समस्या को हल करने के लिये बड़े पैमाने पर प्रयास करने की आवश्यकता होगी।

  - 'वेब 3.0 ऑपरेटिंग सिस्टम' के अस्तित्व में आने के साथ ये सभी कारक भारत के लिये अपने सॉफ्टवेयर उद्योग को एक नए स्तर पर ले जाने के वृहत अवसर का निर्माण करेंगे।

- **वेब 3.0 में भारत की भूमिका:** वेब 3.0 अपने तीव्र विकास, प्रतिभाशाली युवा उद्यमियों एवं प्रौद्योगिकीविदों को आकर्षित करने की इसकी क्षमता और बड़े पैमाने पर भारत को प्रभावित करने की इसकी क्षमता के मामले में 'फिनटेक' के समान है।

  - हालाँकि राज्य और बड़ी टेक कंपनियों के बीच एक स्वाभाविक तनाव मौजूद है, जहाँ दोनों वेब 3.0 के लक्ष्यों के विरोध में प्रकट होते हैं। यहाँ क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित किये जाने के अलावा बहुत कुछ किया जाना है।

  - पहले से ही परिकल्पित 'राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क' को सशक्त बनाने और अंगीकरण को प्रेरित करने वाले उपयोग मामलों के साथ तैयार करने की आवश्यकता होगी।

  - नवघोषित CBDC को भारत की समग्र वेब 3.0 महत्त्वाकांक्षा और आईटी सेवाओं एवं डेवलपर पारितंत्र के संदर्भ में स्थापित करना होगा।

  - इसके साथ ही, विनियामक क्षेत्राधिकार और कराधान से संबंधित असंख्य पेचीदा मुद्दों को हल करने की आवश्यकता होगी।

# पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकियों का उपयोग-सुप्टेक

– आर के अरविंद, सहायक महाप्रबंधक

**"वह खतरे से सबसे अधिक मुक्त है, जो सुरक्षित रहते हुए भी खुद की रक्षा पर नजर बनाए रखता है"– पब्लिलियस साइरस**

ऊपर दिए गए अनमोल विचार का उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री उर्जित पटेल ने 20 सितंबर, 2018 को केंद्रीय सतर्कता आयोग में अपने भाषण में किया था और यह वर्ष 2021 के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय को बहुत सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है जो कि है सर्तक भारत, समृद्ध भारत। यह विषय संगठनों को "अपने अंदर" या "आत्ममंथन" पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसका अर्थ है कि वे अपनी मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करें और मूल मूल्य के रूप में अखंडता की रक्षा के लिए अपने आंतरिक नियंत्रण को और अधिक मजबूत बनाएं। यह थीम निवारक सतर्कता की अवधारणा को भी ध्यान में लाती है जिसका अर्थ है कि संगठनों को अपने विभिन्न नियमों, विनियमों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं, प्रणालियों आदि की लगातार समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि गलत कामों के विभिन्न कृत्यों को रोका जा सके और भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके।

प्रौद्योगिकी की प्रगति के परिणामस्वरूप निवारक सतर्कता उपायों को मजबूत किया गया है। कोविड–19 महामारी जैसे संकट के समय में प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बार–बार जोर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, श्री शक्तिकांत दास ने "बैंकों के लिए आत्ममंथन का समयः कोविड के बाद बैंकिंग का पुनरभिमुखीकरण" विषय पर 27 अगस्त, 2020 को अपने मुख्य संबोधन में समझाया कि दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता है और उल्लेख किया

है कि वैश्विक खिलाड़ियों से टक्कर लेने के लिए हमारे तकनीकी तरकस में बिग डेटा, आर्टिफिशियल इटेलीजेंस व मशीन लर्निंग आदि जैसे काफी तीर हैं।

कोविड –19 महामारी के कारण लॉकडाउन और इसके कारण लगे यात्रा प्रतिबंधों के कारण पर्यवेक्षी गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हुई और परिणामस्वरूप कई भौतिक लेखा परीक्षा और वित्तीय संस्थाओं के निरीक्षण स्थगित करने पड़े। पर्यवेक्षकों को

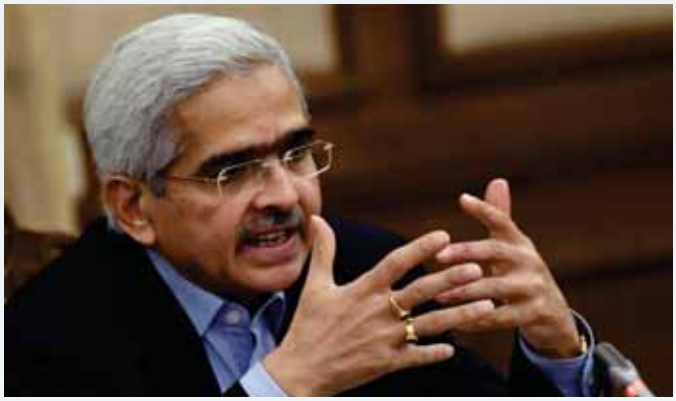

ऐसी संस्थाओं की निगरानी के लिए अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था और वे पर्यवेक्षी एजेंसियां जिन्होंने 'सुप्टेक' विकसित किया था, वे अधिक प्रभावी और कुशल तरीके से नियामक और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे। यह लेख विभिन्न एजेंसियों के पर्यवेक्षण में नवीन तकनीकों के महत्व को दर्शाता है।

"सुप्टेक" नियामक, पर्यवेक्षी और निरीक्षण उद्देश्यों के लिए किसी भी प्रकार से फिनटेक के उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। यह पर्यवेक्षी एजेंसियों को रिपोर्टिंग और नियामक प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ करने में मदद करता है। यह पुराने सी दिखने वाली जोखिम और अनुपालन निगरानी प्रक्रिया को उन्नत और भावी प्रक्रिया में बदल सकता है। जोखिम संकेतक डैशबोर्ड, पर्यवेक्षी रिपोर्ट के लिए केंद्रीकृत डेटा वेयरहाउस और पूर्व चेतावनी प्रणाली ऐसे उपकरणों के कुछ उदाहरण हैं जो अब दुनिया भर में कई पर्यवेक्षी एजेंसियों में लगे हुए हैं। ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में सुप्टेक की सहायता से पर्यवेक्षण का कार्य भी हो पाएगा जो लगातार बदल रहे माहौल में खुद को सबसे बेहतर तरीके से ढाल सकता है। वर्तमान में, सुप्टेक एप्लिकेशन मानव निर्णय की जगह नहीं ले सकते, लेकिन पर्यवेक्षकों के लिए इनपुट के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि वे इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि आगे की जांच या प्रवर्तन आवश्यक है या नहीं।

वर्तमान में सुप्टेक इस्तेमाल के दो क्षेत्रों में पाया जाता है: डेटा संग्रह और डेटा विश्लेषण। डेटा संग्रह के भीतर, एप्लिकेशनों का उपयोग पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग, डेटा प्रबंधन और आभासी सहायता के लिए किया जाता है। उदाहरणों की बात करें तो बैंकों के आईटी सिस्टम से सीधे डेटा प्राप्त करने की क्षमता, स्वचालित डेटा

सत्यापन और समेकन, और जानकारी एकत्र करते हुए उपभोक्ता शिकायतों का जवाब देने के लिए चैटबॉट्स जो चिंता के संभावित क्षेत्रों के संकेत दे सकते हैं।

डेटा एनालिटिक्स के भीतर, एप्लिकेशन का उपयोग बाजार निगरानी, कदाचार विश्लेषण के साथ–साथ माइक्रोप्रूडेंशियल और मैक्रोप्रूडेंशियल पर्यवेक्षण के लिए किया जाता है। उदाहरणों में इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधियों का पता लगाना, मनी लॉन्ड्रिंग की पहचान, पर्यवेक्षित संस्थाओं के चलनिधि जोखिमों की निगरानी और आवास बाजार की स्थितियों का पूर्वानुमान शामिल है। व्यापक पर्यवेक्षण के लिए सुपटेक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

### क. नेशनल बैंक ऑफ रवांडा में डेटा पुल दृष्टिकोण

नेशनल बैंक ऑफ रवांडा (बीएनआर) वाणिज्यिक बैंकों, बीमा कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों, पेंशन निधि, विदेशी मुद्रा ब्यूरो, टेलीकॉम ऑपरेटर और मनी ट्रांसफर ऑपरेटर सहित 600 से अधिक पर्यवेक्षित वित्तीय संस्थानों के आईटी सिस्टम से सीधे डेटा "प्राप्त" करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा वेयरहाउस (ईडीडब्ल्यू) का उपयोग करता है। मोबाइल मनी और मनी ट्रांसफर ऑपरेटरों के मामले में इन संस्थानों से हर 24 घंटे या यहां तक कि हर 15 मिनट में स्वचालित रूप से डेटा प्राप्त किया जाता है।

### ख. ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इनवेस्टमेंट कमीशन में बाज़ार निगरानी

मार्केट एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस (एमएआई) सिस्टम ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इनवेस्टमेंट कमीशन (एएसआईसी) की बाजारी निगरानी के लिए एक सुप्टेक प्लेटफॉर्म है। इसमें इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव उत्पादों और लेनदेन के लिए सभी ऑस्ट्रेलियाई प्राथमिक और द्वितीयक पूंजी बाजारों (एएसएक्स और ची–एक्स) से रीयल–टाइम डेटा फीड है। एमएआई सिस्टम में दो प्रकार के आउटपुट होते हैं। सबसे पहले, बाजारों के भीतर विसंगतियों की पहचान करने वाले रीयल–टाइम अलर्ट जिनकी निष्पादन पर जांच की जा सकती है या पता लगाया जा सकता है। ये रीयल–टाइम अलर्ट दैनिक संचालन और स्टाफ वर्कफ़्लो में एकीकृत होते हैं और इससे गहन जांच और विश्लेषण हो सकता है। दूसरा, बिग डेटा ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक क्षमताएं हैं जो बाजार की पूर्ण रिपोर्टिंग और बड़े और जटिल विषयगत जोखिमों का मूल्यांकन प्रदान कर सकती हैं।

### ग. राष्ट्रीय आवास बैंक में स्वचालित डेटा प्रवाह

राष्ट्रीय आवास बैंक, जो भारत में सभी आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) का पर्यवेक्षक है, ने स्वचालित डेटा प्रवाह (एडीएफ) पर एक पायलट प्रोजेक्ट पूरा किया है, जिसमें उपयोगिता की मदद से ऋण परिसंपत्तियों पर डेटा आवास वित्त कंपनियों की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की मदद से सीधे प्राप्त किया जाता है और यह रा.आ.बैंक के सर्वर में स्टोर हो जाता है। आ.वि.कं. द्वारा हर महीने डेटा में नई जानकारी डाली जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि आ.वि.कं. द्वारा डेटा को मेल के माध्यम से भेजने या किसी अन्य रूप में किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है और यह अब पूर्व चेतावनी संकेतों के विश्लेषण और पहचान के लिए जल्दी और कुशलता से उपलब्ध होता है।

वर्तमान में बहुत से पर्यवेक्षी गतिविधियों में संस्थाओं के कार्यालयों जाना पड़ता है और वहां से डेटा इक्ट्ठा करना पड़ता है, जबकि अगर पर्यवेक्षण के लिए प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जाए तो अधिकारी के आने जाने में खर्च होने वाले दिनों, यात्रा और ठहरने आदि की व्यवस्था पर होने वाले खर्च की बचत होगी। समय–समय पर लेखा परीक्षा या निरीक्षण पर निर्भर रहने के बजाय

प्रौद्योगिकियों का उपयोग निकट और निरंतर निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। ये प्रौद्योगिकियां पर्यवेक्षण की जा रही संस्थाओं के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन पर लगातार 'नज़र' रखा जा रहा है और ये 'सतर्क भारत, समृद्ध भारत' के अच्छे उदाहरण के रूप में काम कर रहे हैं।

# ध्यान और योगासन

– प्रभात रंजन, प्रबंधक

ध्यान लगाने के लिए किसी भी शांत सी जगह पर चटाई बिछाकर पद्मासन की मुद्रा में बैठकर मुंह को उत्तर या पूर्व दिशा में करके पूरे शरीर और मन को आराम दें। समान रूप से सांस लेते हुए आंखों को बंद करके बिल्कुल शांत मन से अपने ईष्ट देवी–देवताओं पर ध्यान लगा लें। अब मन ही मन में अपने गुरुमंत्र या किसी पवित्र मंत्र का जाप करें। फिर मन में सोचे कि आपके ईष्ट देवी–देवता आपकी दोनों भौंहो के बीच या आंख में या दिल में मौजूद है। माहौल को पवित्र बनाने के लिए धूपबत्ती या अगरबत्ती जला लें तथा ध्यान से पूर्व प्रार्थना कर लें। जब आप अपने मन को एक जगह लगाकर मंत्र का जाप करेंगें तो आपके मन में अपने ईष्ट देवी–देवता नजर आएंगे। यह सब करने के लिए पहले मन को एक जगह लगाना पड़ता है और फिर ध्यान लगता है। अब आंखों को बंद करके पैरों के पंजों से शुरू करके अपने पैरों, पेट, भुजाओं, गर्दन, चेहरे और मुंह के जबड़ों से होते हुए मांसपेशियों को आराम दें। नाक से हवा को पेट तक लें जाएं जो सांस के साथ ऊपर–नीचे होता रहे। अपनी सांस लेने की क्रिया को जागृत रखें तथा उसके साथ–साथ ओम का जाप करें। फिर अपने शरीर की मांसपेशियों को ढ़ीला छोड़ते हुए एक ही रफ्तार में सांस लेते हुए ओम का जाप करें। ये सब करते हुए मन में बेकार के विचार आएंगे पर ऐसे विचारों को मन से निकाल दें। अगर ऐसे विचार दोबार आते हैं तो उन पर ज्यादा विचार ना करें तथा ओम का जाप करते रहें। शुरूआत में अगर आप 10 मिनट पर ध्यान लगा सकते है तथा बाद में उसका समय बढ़ाते जाएं। अगर ध्यान लगाना है तो पूरी निष्ठा तथा श्रद्धा के साथ करें।

अब आप ये सोच रहे होंगे कि ध्यान लगाकर हमें क्या चीज मिल सकती है। ध्यान लगाने से हमारा भटकता हुए मन भगवान की ओर लग जाता है। दूसरा ध्यान लगाने से आपको खुद की भंगुरता महसूस होगी तथा पूरी तरह ध्यान में लगाने

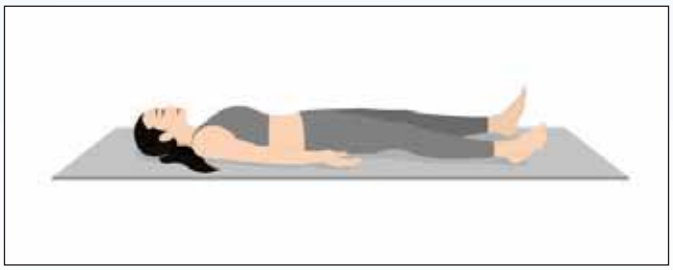

के बाद आपको पूरे योगी की प्राप्ति होगी। ऐसे में आप अपने ईष्ट देवी–देवताओं के साथ पूरी तरह सामंजस्य बिठाकर ब्रह्मा में लीन हो सकेंगें। ध्यान लगाते समय शुरूआत में हो सकता है कि आपके मन में अजीब और बुरे विचार आए तो ऐसे समय में गहरी सांस लें और ओम का जाप करते रहें तथा ध्यान की जगह पर भजन गाते रहें। थोड़ी देर बाद जब आपको लगता है कि आपके मन से ऐसे विचार निकल गए हैं तो फिर ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान आपको ईश्वर के बिल्कुल करीब पहुंचा देता है। जिस तरह से मन बुरी संगतों में रम जाता है वैसे ही ये ईश्वर में भी लीन हो जाता है। जब आप अपने आपको ईश्वर के बिल्कुल करीब महसूस करते हैं तब आपका अपना जीवन खुशियों भरा और सारे दुखों से दूर नजर आएगा। इस तरह से आपको ध्यान लगाने से आपको मन को काबू करने की, किसी भी मुश्किल घड़ी में सही फैसला करने की तथा जिन्दगी में सुख–दुख को सहने की आदत पड़ जाएगी।

## योग

योग शब्द की उत्पति संस्कृति भाषा की युज धातु से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ युक्त करना अथवा जोड़ना है अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिलने की विशिष्ट विधि को ही योग कहते हैं। महर्षि पंतजलि ने अपने योगदर्शन में योग को परिभाषित करते हुए कहा है, 'योगश्चितवृत्ति निरोधः' अर्थात मन की वृत्तियों (रूप, रस, गंध स्पर्श और ध्वनि के लोभ में दौड़ने) को रोकना योग है। इस प्रकार चित्त की चचंलता का दमन ही योग है।

**महात्मा याज्ञवल्क्य** ने योग को स्पष्ट करते हुए कहा है – "संयोग इत्युक्तो जीवात्मः परमात्मनों" अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम योग है। **डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्ण** के अनुसार – "योगः कर्मसुकौशलम्" अर्थात प्रत्येक कार्य को कुशलता से सम्पन्न करना योग है। **स्वामी शिवानन्द सरस्वती** ने योग को मोक्ष का साधन बताते हुए लिखा है – "योग उस साधना प्रणाली का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता का अनुभव होकर परमात्मा के साथ आत्मा का संयोग होता है।" **योगी रामचरक** ने योग को शक्ति अर्जित करने का साधन बताते हुए लिखा है – "हम सभी अनन्त शक्ति के स्वामी हैं। योग हमें इसी शक्ति के रहस्य से परिचित कराता है।"

इस प्रकार विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई उपरोक्त परिभाषाएं हमें योग की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में निम्न बातें बताती हैं–

1. योग द्वारा जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में कुशलता पूर्वक कार्य करने की योग्यता आती है।

2. योग द्वारा व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुलते हैं, उसकी अज्ञानता दूर होती है तथा वह विवेकशील बनता है।

3. योग को वश की चचंलता पर अकुंश लगाने में मदद मिलती है। इन्द्रियों को वश में करने का साधन है।

4. योग द्वारा हमें अपनी आंतरिक शक्तियों से परिचित होने और उनका स्वामी बनकर उन्हें भली–भांति काम में लाने की समर्थता आती है।

5. योग एकाग्रता में सहायक होता है तथा व्यक्ति को अपनी आत्मा का ज्ञान कराकर परमात्मा से संयोग करने में मदद करता है।

इन सब विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि योग ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति अपनी शक्तियों और सामर्थ्य में वृद्धि करता हुआ जीवन में पर्याप्त सुख संतोष अनुभव करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ता रहता है।

## खूबसूरती और योगासन

1. **वातायनासन** – सबसे पहले अपने दोनों पैरों को एकसाथ मिलाकर बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएं। इसके बाद बाएं पैर पर खड़े रहते हुए दाएं पैर को पद्मासन की मुद्रा में बाईं जांघ पर लगा लें। अंत में दोनों हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में जोड़कर सिरे से ऊपर उठा लें।

2. **सुक्त व्रजासन** – सुक्त व्रजासन की मुद्रा में बैठकर अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाकर मिला लें। फिर धीरे–धीरे पीछे की ओर झुककर सिर को जमीन पर टिका दें।

3. **मत्स्यासन** – इस आसन में सबसे पहले पीठ के बल इस अवस्था में लेट जाएं कि आपकी टांगे सीधी और पैर जुड़े हुए हों। फिर अपनी दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाकर नितंबों के नीचें रख लें।

4. **मयूरासन** – अपने दोनों पैरों के घुटनों को मोड़कर पैरों की एड़ी को मिलाकर एड़ियों पर बैठ जाएं। अब अपने दोनों हाथों को जमीन पर इस तरह टिका लें कि उंगलियों का रुख पीछे की ओर हो जाए। कोहनी और कलाई आपस में मिला लें।

5. **जानू शिरासन** – अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएं पर रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखें। इसके बाद अपने दाएं पैर को मोड़कर पंजे को बाएं पांव की जांघ से लगा लें और फिर दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर उठा लें। फिर धीरे–धीरे आगे की ओर झुकें तथा दोनों हाथों से बाएं पैर का पंजा पकड़कर नाक को घुटने से लगा लें।

6. **गरूड़ासन** – दाएं पैर पर खड़े होकर बाएं पैर को दाएं पैर पर लता की तरह लपेटकर पीछे की ओर ले जाएं और पंजे को सामने लाएं। अब दायां हाथ नाक की सीध में लाएं और बायां हाथ लता की तरह लपेटकर दोनों हाथों को बहुत कसकर पकड़ लें।

7. **अंजनेयासन** – बाएं पैर के घुटने को मोड़कर बैठ जाएं तथा दाएं पैर को पीछे की ओर निकाल लें। फिर दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर की ओर उठा लें और धीरे–धीरे जितना ज्यादा हो सके पीछे की ओर झुक जाएं।

8. **त्राटक** – त्राटक आसन करने के बहुत सारे तरीके हैं। असल में जब हम किसी वस्तु या निशान पर नजर बिल्कुल टिकाकर रखते हैं उसे ही त्राटक आसन कहते हैं।

त्राटक आसन करने की विधि – 1 मोमबत्ती को जलाकर उसकी लौ पर अपनी नजर तब तक टिकाकर रखें जब तक कि आंखों में से पानी न गिरने लगे या आंखे थकी–थकी सी न लगें। इस आसन को करने से नजर तेज होती है और आंखों के रोग भी दूर होते हैं।

## स्त्रियों के लिए योग करने के लाभ

हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार योग स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे व्यायाम के रूप में माना जाता है। योग हमे सिखाता है कि स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से सामंजस्य पूर्ण एक समेकित इकाई होता है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए शांत और साफ मन तथा आत्मा–परमात्मा के मिलन के प्रति पूरी संचेतन आत्मा की जरूरत है। रोजाना योगासन करने से पूरी जिन्दगी के लिए अच्छा स्वास्थ्य और खुशी मिलती है। रोजाना लगभग 10 मिनट तक योगा करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, पाचन शक्ति तेज होती है, रक्तसंचार और सांस की नलियों में सुधार होता है तथा स्नायुओं और दिमाग को काफी मात्रा में ऊर्जादायक ऑक्सीजन मिलती है।

## सूर्य नमस्कार

दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखकर बिल्कुल सीधे तनकर खड़े हो जाएं।

**लाभ** – ध्यान और शांति की अवस्था होती है।

सांस लेते हुए दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठा लें।

**लाभ** – इस क्रिया को करने से पेट और आंतों की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है तथा इसको करने से भुजाओं और मेरुरज्जु की कसरत हो जाती है।

सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए हाथों से जमीन को छुएं और घुटनों को बिल्कुल सीधा रखें।

**लाभ** – इस तरह करने से पेट के रोग नहीं होते हैं तथा भोजन पचाने की क्रिया ठीक होती है।

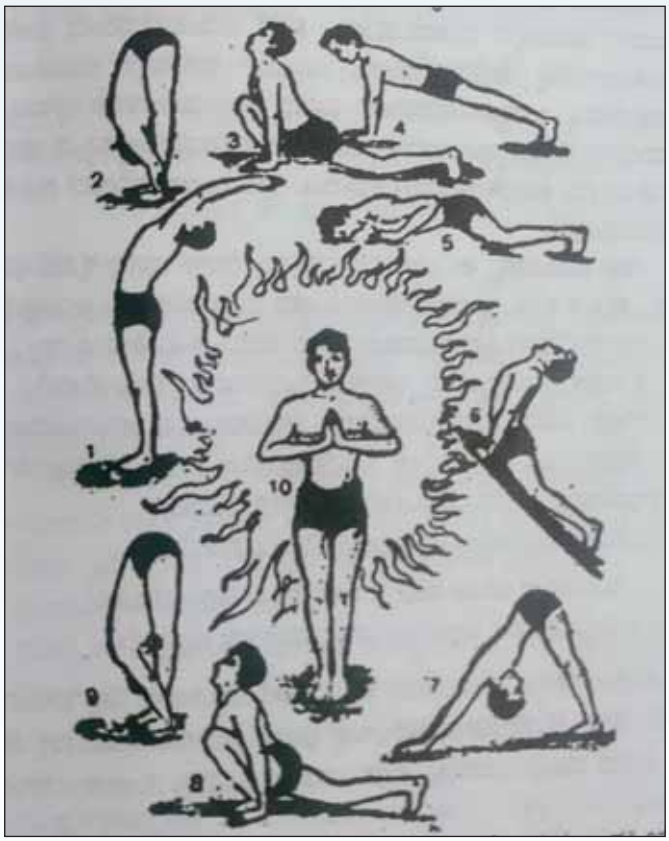

- सांस को रोककर रखें तथा हाथों को फर्श पर जमाकर रख लें। फिर दाएं पैर को मोड़कर उस पर उकडूं–सा बैठ जाएं तथा बायां पैर पीछे की ओर सीधा फैला लें।
- इसके बाद सांस को अंदर की ओर खीचते हुए दाएं पैर को वापस लें जाएं जिससे की शरीर लंबी रेखा जैसा बन जाए।
- फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए अपनी जांघों को जमीन पर रख लें तथा सिर और कंधों को पीछे की ओर मोड़ लें।
- अब सांस को बाहर छोड़ते हुए वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएं।
- सांस को लेते हुए फर्श पर हाथ जमाने वाली स्थिति में आ जाए परन्तु इस बार बाएं पैर पर उकडू बैठे तथा दाएं पैर को सीधे अपने पीछे फैला लें।
- फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए जमीन को छूने की पहली वाली स्थिति में आ जाएं।
- अब हाथों को फिर से सिर से ऊपर उठाकर सांस लेते हुए फैला लें।
- अंत में सांस को बाहर छोड़ते हुए वापस पहली जैसी स्थिति में आएं।

## भुजंगासन

सबसे पहले पेट के बल लेटकर पैरों की उंगलियों को पीछे की ओर फैलाएं। हाथों को कंधों से नीचे करते हुए हथेलियों को फर्श पर जमाएं। अब सांस लेते हुए तथा नाभि को फर्श से उठाए तथा स्तनों वाले भाग को धनुष के आकार में पीछे मोड़े। फिर सांस को रोक लें। इसके बाद सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे से जमीन पर नीचे आ जाएं। इस व्यायाम को कम से कम 6 बार करें।

**लाभ** – यह आसन स्त्रियों के जिगर, डिंबाशय और गर्भाशय को मजबूत करता है तथा मासिक स्राव को समय पर नहीं आने की परेशानियों को दूर करता है। इसको करने से पेट की कब्ज भी दूर हो जाती है। डिस्क के खिसकने के लिए भी यह एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है।

## श्वासन

इस आसन को करने के लिए सबसे पहले कमर के बल लेट जाएं। फिर पैरों की दोनों एड़ियों को आपस में मिला लें और पैरों के दोनों पंजों में अंतर रखें। इसके बाद दोनों हाथ अगल–बगल में बिल्कुल सीधे फैला लें और चिनुक (ठोड़ी) थोड़ी सी शरीर के नीचे की ओर झुका लें। मुंह बंद होना चाहिए और जीभ आपके ऊपर के दांतों को छूती हो। अब आंखों को बंद करके भौहों के बीच में या गहरी, धीमी लयात्मक सांस लेने की क्रिया पर ध्यान लगा लें।

**लाभ** – इस आसन को करने से शरीर की थकान, निराशा, दमा, कब्ज, डायबिटिज, भोजन का ना पचना और नींद का न आना जैसा रोग दूर होते हैं तथा यह आसन साधारण थकान को दूर करके दिमाग को एक जगह केन्द्रित करना सिखाता है।

## सिंहासन

सिंहासन में सबसे पहले हिरन की अवस्था में बैठकर हथेलियों को जांघों पर टिका लें। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए हाथों से जांघों पर दबाव दें। फिर हाथों की

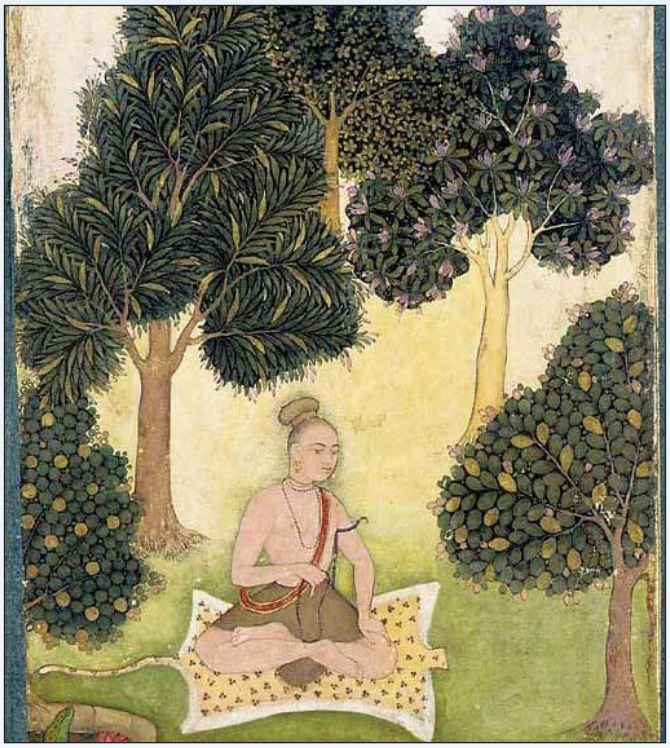

उंगलियों को फैलाकर जीभ को बाहर निकाल लें। अपनी दोनों आंखों को खोलकर बड़ी कर लें। अंत में सांस लेते हुए आराम महसूस करें।

## नर्तन मुद्रा

सबसे पहले दाएं पैर के बल खड़े होकर बाएं हाथ से बाएं पंजे को पकड़कर आगे की ओर झुक जाएं। फिर धीरे–धीरे सांस लेते हुए बाएं पैर को पूरी तरह ऊपर उठा लें और सांस को छोड़ते हुए वापस पहली जैसी स्थिति में आ जाएं। इस आसन को दाहिने पैर के साथ भी वैसे ही करें।

**लाभ** – इस आसन को करने से आपका 'शरीर संतुलन में रहता है। इससे कूल्हों और जांघ के ऊपर की चर्बी कम होती है और टांगे मजबूत बनती है।

## संतुलन

इस आसन में पहले घुटनों को थोड़ा सा मोड़कर बैठ जाएं। अब दोनों हाथों को घुटनों के नीचे आपस में मिला लें। इसके बाद दोनों पैरों के पंजों को जमीन पर से ऊपर उठाते हुए अपने घुटनों को सीधा करें। अंत में 5 गिनने के बाद पैरों को वापस जमीन पर लें आएं।

**लाभ** – अक्सर होता ऐसा है कि जैसे–जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है अपने शरीर को संतुलन में रखने की उसकी ताकत कम होती रहती है जिसकी वजह से ज्यादा उम्र के स्त्री–पुरूष कभी भी चलते समय या बैठे हुए ही गिर पड़ते हैं। इस संतुलन आसन को करने से शरीर का आपस में तालमेल दुबारा स्थापित हो जाता है। जिससे शरीर को संतुलित करने की ताकत के साथ–साथ शरीर की खूबसूरती भी बढ़ जाती है।

## धनुरासन

इस आसन में पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को जांघों के नीचे रख लें। फिर सांस लेते हुए घुटनों को सीधा रखते हुए टांगों को पूरी तरह से ऊपर उठा लें। इसके बाद सांस को बाहर छोड़ते हुए टांगों को वापस नीचे लाएं तथा आराम महसूस करें।

**लाभ** – इस आसन को करने से पेट और कमर की मांसपेशियों की मालिश होती है तथा उन्हें मजबूती मिलती है। यह आसन कमर के नीचे के भाग, गुर्दो तथा एड्रीनल ग्रंथियों को मजबूत करता है। इस आसन को हर्निया के रोगी तथा तेज कमर के दर्द वाले रोगियों को नहीं करना चाहिए।

## अर्द्धधनुरासन

सबसे पहले पेट के बल लेटकर बाएं घुटने को मोड़ लें तथा पैर के बाएं पंजे को बाएं हाथ से पकड़ें। फिर सांस को अंदर करते हुए पैर को पूरी तरह से ऊपर उठा लें। इसके बाद सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे–धीरे वापस पहली जैसी स्थिति में आ जाएं। इस आसन को दूसरे पैर के साथ भी करें।

**लाभ** – इस आसन को करने से पेट और कूल्हों के चारों तरफ की चर्बी कम हो जाती है। इससे पेट के भाग में खून का बहाव तेज होता है और कंधों की परेशानी समाप्त होती है। मेरुरज्जु की कोशिकाओं को भी इस आसन से बहुत ज्यादा लाभ होता है।

## हँसने की कसरत

जमीन पर पीठ के बल लेटे–लेटे ही हाथ–पैरों को चारों तरफ घुमाएं। इस इस आसन को करने के साथ पूरी तरह दिल खोलकर बहुत जोर–जोर से हँसें। इस आसन को करने के बाद आराम की स्थिति में आ जाएं।

**लाभ** – इस आसन को करने से सांस की नली की सफाई होती है।

# प्रतिभा पलायन

– डॉ पल्लवी कौल (पत्नी श्री मोहित कौल, उप महाप्रबंधक) रिसोर्स पर्सन,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद,
उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार

प्रतिभा पलायन आमतौर पर अत्यधिक कुशल या विश्वविद्यालय से शिक्षित व्यक्तियों के एक देश से दूसरे देश में जाने को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जो वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यह घटना आम तौर पर गरीब, विकासशील देशों से अत्यधिक कुशल प्रतिभाओं के अमीर, औद्योगिक देशों में जाने (आमतौर पर एसटीईएम क्षेत्रों में) के प्रवाह को दर्शाती है। इस शब्द का प्रयोग आंतरिक प्रवास (ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में) और एक औद्योगिक राष्ट्र से दूसरे औद्योगिक राष्ट्र में प्रवास के लिए भी किया जाता है (गिब्सन और मैकेंज़ी, 2008)। औद्योगिक/विकसित देशों की अप्रवासन नीतियां इस प्रकार से बनाई गई है कि वे अकुशल प्रतिभाओं की जगह कुशल प्रतिभाओं को अधिक तरजीह देती हैं और इस कारण इन देशों में उपलब्ध प्रतिभाओं का दायरा बढ़ता जा रहा है।

## भारत में प्रतिभा पलायन

भारत में हर 8 प्रतिभाशाली लोगों में से 2 लोग दूसरे देशों में अवसर तलाशने के लिए देश छोड़ देते हैं। सन् 2000 में ब्रिटेन में काम कर रहे 18,257 विदेशी आईटी पेशेवरों में से 11,474 भारतीय थे। ऐतिहासिक रूप से, प्रतिभा पलायन ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों (ग्रामीण इलाकों से शहरों इलाकों में) में होता रहा है। आधुनिक समय में, प्रतिभा का पलायन विकासशील देशों (एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका) से विकसित देशों (अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया) में हो रहा है।

भारतीय डायस्पोरा (2001) पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट ने अनुमान लगाया कि अमेरिका में 38 प्रतिशत डॉक्टर, 12 प्रतिशत वैज्ञानिक, 36 प्रतिशत नासा कर्मचारी, 36 प्रतिशत माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारी, 28 प्रतिशत आईबीएम कर्मचारी और 17 प्रतिशत इंटेल कर्मचारी भारतीय मूल के थे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नए अनुमानों के अनुसार, भारत 2019 में 17.5 मिलियन मजबूत प्रवासी के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की उत्पत्ति का अग्रणी देश था।

## प्रतिभा पलायन के कारण

| आपूर्ति कारक | मांग कारक |
|---|---|
| बेरोजगारी | अधिक नौकरियां |
| कम मजदूरी | अधिक मजदूरी |
| रहने की खराब स्थिति | रहने की बेहतर स्थिति |
| खराब स्वास्थ्य और/या शिक्षा व्यवस्थाएं | प्राकृतिक आपदाओं की कम संभावना |
| नई सुविधाएं | लक्षित देश में पारगमन |
| प्राकृतिक आपदाएं | राजनैतिक स्थिरता |
| गृह युद्ध | बेहतर स्वास्थ्य और/या शिक्षा व्यवस्थाएं |
| राजनैतिक अस्थिरता | बेहतर सुविधाएं |

हाल के समय में, भारत से प्रतिभा पलायन के कई कारक रहे हैं:

- उच्च शिक्षा प्राप्त करना
- विदेशों में बहुत अधिक वेतन दिया जाता है।
- भारत में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का अभाव।
- शिक्षा और कौशल का उपयोग करने के लिए अवसरों की कमी।
- विदेश में एक बेहतर और आरामदायक जीवन शैली की उम्मीद।
- विदेशों में काम करने में शामिल प्रतिष्ठा।
- आर्थिक हित और भारत में संपत्ति खरीदने की क्षमता हासिल करना।
- यह विश्वास कि विदेश में काम करने से भारत में विवाह की संभावनाएं बेहतर होती हैं।
- लगातार नई तकनीकों को सीखने और कौशल उन्नयन की संभावनाएं।

## विकासशील देशों पर प्रतिभा पलायन का प्रभाव

किसी भी देश के बुद्धिजीवी भौतिक लागत और समय के संदर्भ में उनके प्रशिक्षण के कारण सबसे महंगे संसाधनों में से होते हैं। और अगर कुशल मानव संसाधन अपने बेहतर भविष्य की तलाश में किसी दूसरे देश चले जाएं तो इसका उस विकासशील देश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ प्रभावों में शामिल हैं:

- कुशल श्रमिकों की कमी
- शिक्षा पर कम निवेश जिसके कारण राजस्व में हानि
- देश का विकास बाधित होगा
- विकासशील देशों की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली उपयुक्त नहीं है और स्वास्थ्य पेशेवरों के देश से बाहर निकल जाने के कारण आबादी का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है
- शिक्षा क्षेत्र को संभालने के लिए कुशल पेशेवरों की कमी के कारण स्वदेश में शिक्षा के स्तर में गिरावट आती है। जिसके कारण अंततः लंबे समय में छात्रों का शैक्षणिक प्रदार्शन खराब होता जाता है।
- देश में नेतृत्व संकटः विकासशील देशों में अप्रभावी नेतागण इसलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि जो प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं वे अब देश में नहीं हैं।

प्रतिभा पलायन गरीब देशों के अनुसंधान और नवाचार क्षमता छीन लेता है, यह स्थानीय शैक्षणिक शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के साथ–साथ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के वृद्धि और विकास को सीमित करता है। प्रवासन पैटर्न पर अनुसंधान इस बात की ओर इशारा करती है कि उच्च स्तर पर कुशल श्रमिक प्रवास के कारण प्रतिभा भेजने वाले देशों की आर्थिक वृद्धि और विकास धीमा हो रहा है और असमानता और गरीबी में वृद्धि हो रही है।

## प्रतिभा पलायन के फायदे

अप्रवासी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश, संपर्कों और परियोजनाओं के लिए नेटवर्किंग, ज्ञान हस्तांतरण और प्रवासी–स्वदेश सहयोग के अन्य रूपों से स्वदेश को लाभान्वित करती है। प्रवासी पहले भी पैसा भेजने और स्थानीय विकास के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं।

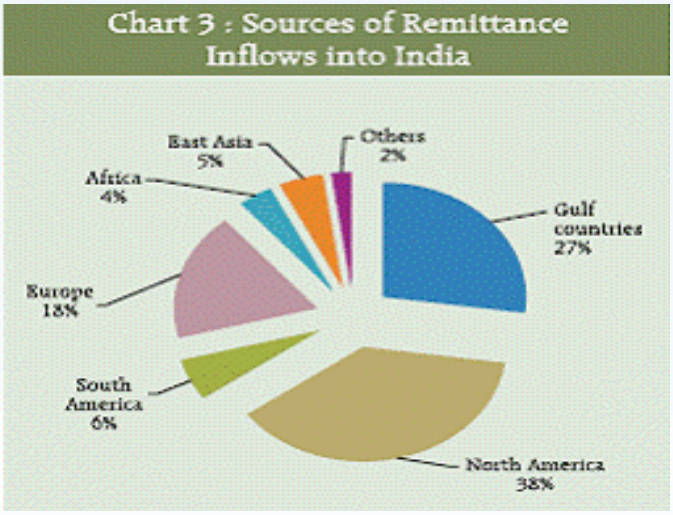


दक्षिणी अमेरिका 6% यूरोप 13% अफ्रीका 4% पूर्व एशिया 5% अन्य 2% खाड़ी के देश 27% उत्तरी अमेरिका 38%

**चित्रः प्रवासी भारतीयों द्वारा देश में धन भेजना – स्रोत वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट**

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से पैसा प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। 2019 में, भारत को विदेशों में काम करने वाले लोगों से प्रेषण में $83.1 बिलियन प्राप्त होने का अनुमान है, जो कुल अपेक्षित वैश्विक प्रवाह का लगभग 12% है। 2018 (2020 की रिपोर्ट) में अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण $689 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें से भारत को विदेशों में रहने वाले 17.5 मिलियन लोगों से 78.6 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए।

## प्रतिभा पलायन के नकारात्मक प्रभावों को कम करना

प्रतिभा पलायन और स्थानीय विकास पर इसके नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए, प्रतिभा भेजने वाले देशों की सरकारों को सबसे पहले प्रमुख संरचनात्मक और संस्थागत संबंधित कारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता सहित कुशल पेशेवरों को पहली जगह में प्रवास करने के लिए प्रेरित करते हैं। जातिवाद, भेदभाव, हिंसा, भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद और ऐसी संरक्षणवादी आर्थिक नीतियां प्रतिभाओं को बाहर जाने के लिए मजबूर करने वाली महत्वपूर्ण कारकों के उदाहरण हैं यदि वे नौकरी के बाजार या सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों तक पहुंच को सीमित करते हैं। कुछ सरकारें प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए अधिक प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण अपना रही हैं:

भारत– भारत, जहां की प्रतिभा सबसे अधिक बाहर की देशों में रह रही है (2015 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की संख्या 16 मिलियन थी) (संयुक्त राष्ट्र, 2016), इस बात का एक अच्छा उदाहरण साबित हुआ है कि कैसे प्रतिभा को

वापस लाया जा सकता है और आज भारत के इन प्रतिभाओं ने वैश्विक आईटी क्षेत्र में मजबूती से पैर जमाने के साथ बैंगलोर और हैदराबाद को 'दुनिया के उभरते हुए बेहतरीन शहरों'' के रूप में विकसित करने में योगदान दिया है।

स्कॉटलैंड–वर्क इज ग्लोबलस्कॉट, जो दुनिया भर से सबसे अधिक ताकतवर स्कॉटलैंड के निवासियों का एक आमंत्रण नेटवर्क है जो स्कॉटलैंड में परियोजनाओं को तैयार करने के लिए एंटीना, पुलों और स्प्रिंगबोर्ड के रूप में अपनी विशेषज्ञता और प्रभाव का उपयोग कर रहे हैं। 800 प्रभावशाली व्यवसायी लोगों ने 2010 में इसमें भाग लिया, और इसलिए ये स्कॉटलैंड की आर्थिक विकास रणनीति में योगदान दे रहे हैं।

अफ्रीका–कार्नेगी अफ्रीकन डायस्पोरा फेलोशिप प्रोग्राम एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और दूसरी ओर अफ्रीकी संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। यह कार्यक्रम अफ्रीकी संस्थानों द्वारा प्रस्तावित और आयोजित शैक्षिक परियोजनाओं में भाग लेने वाले अफ्रीकी मूल के शिक्षाविदों का सहयोग करता है।

थाईलैंड– उदाहरण के लिए, थाई सरकार ने पिछले कुछ दशकों में कुशल पेशेवरों के प्रवाह को रोकने के लिए "रिवर्स ब्रेन ड्रेन प्रोजेक्ट" लागू की है, जिसने थाई पेशेवरों की थाईलैंड में वापसी को बढ़ावा दिया है। अत्यधिक कुशल और अनुभवी पेशेवरों के साथ–साथ हाल के स्नातकों जिनके पास हो सकता है कि उतना अनुभव न हो लेकिन जिनमें अनुसंधान क्षमता की संभावनाएं हैं, उनकी भर्ती करके, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने और समन्वय करने के लिए भी इन पेशेवरों का उपयोग किया गया है।

## निष्कर्ष

यह महत्वपूर्ण है कि विकासशील देश प्रतिभा पलायन के कारणों और प्रभावों पर ध्यान दें ताकि उनके नागरिकों को सफल होने के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान किया जा सके। इसके अलावा, विकासशील देशों को विश्व स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने चाहिए, साथ ही कैरियर में उन्नति और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने चाहिए ताकि प्रवासी प्रवाह को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार को उन नीतियों पर ध्यान देना चाहिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पलायन को बढ़ावा देती हैं, और इससे चाहे वापसी हो या सहयोग इनके माध्यम से, भेजने वाले देशों को भी पारस्परिक रूप से लाभ हो सकता है।

# आभास

– रवि कुमार, भूतपूर्व सहायक प्रबंधक

संतू की बेटी कह कर बुलाते थे सब उसे। बेटी से कम भी तो नहीं थी वह। संतू से मोह इतना था कि सिर्फ उसी के हाथ से खाना खाती थी। कभी संतू अगर अपनी किसी सहेली के साथ बाहर गई हो और लौटते वक्त सहेली घर में पहले कदम रख दे तो, पागलों की तरह रंभाना शुरू कर देती, मानो गुस्से से पूछ रही हो– संतू को कहाँ छोड़ आई। संतू ने अपने दोनों बेटों के साथ उसे भी पाला था। छोटी सी थी जब वह पहली बार आई थी, घना काला रंग और सहमी सी नम बड़ी –बड़ी आँखें। जल्दी ही वह सबकी चहेती बन गई थी। अक्सर घर में ही घूमती थी, कई बार तो बिस्तर पर बैठ जाती। संतू इतना प्यार करती थी कि जब जी चाहे फुर्सत में उसकी गर्दन अपनी गोद में रखती और तब तक सहलाती जब तक वह नींद न ले ले। ऐसा ही स्नेह संतू के दोनों बेटे भी रखने लगे। पाड्या नाम रखा था बच्चों ने उसका। जब संतू खेत में काम करने जाती तो दोनों बच्चे अक्सर पाड्या से दिल बहलाते, कभी बच्चे उसके पीछे तो कभी छोटी सी पाड्या उछलते कूदते उनके पीछे।

यूँ ही हंसी खुशी दिन बीतते गए। संतू के बच्चे बड़े हो गए और पाड्या भी। बच्चे बड़ी बड़ी किताबों से चिपके रहते, तो पाड्या को भी खूंटे से बांधा जाने लगा। जब तक संतू खेत में काम करती पाड्या चुपचाप खूंटे से बंधी अपनी जुगाली करती रहती, कभी मक्खियाँ उड़ा लेती तो कभी थोड़ा सा सो लेती। जैसे ही दूर से संतू खेत से घर आते दिखाई देती तो पाड्या खुशी के मारे खूंटे के जल्दी जल्दी चक्कर काटते हुए रंभाने लगती, मानो बुला रही हो संतू को कि, वह आये और उसे सहलाये। संतू भी सीधा उसके पास आती। संतू को भारी भरकम गठीली पाड्या से इतना लगाव था कि अब भी पास बैठकर उसकी मजबूत गर्दन अपनी गोद में किसी तरह रख कुछ देर सहला ही लेती।

कुछ समय बाद पाड्या ने एक बछड़े को जन्म दिया लेकिन संतू की तरह वह भी शायद बेटी चाहती थी, न जाने क्यों अपने बच्चे को भर पेट दूध भी नहीं पिलाती थी पाड्या। लेकिन कुछ समय बाद जब बछिया का जन्म हुआ तो पाड्या का बर्ताव बिलकुल अलग। पाड्या उसे चाटती, खूब दूध पिलाती और खूब सारा स्नेह दिखाती। संतू ये सब देख मन ही मन मुस्काती। बहुत अपना सा समझती थी वो पाड्या को। पाड्या के अपने बच्चे होने के बावजूद उसका संतू से मोह कभी कम नहीं हुआ। कभी संतू व्यस्त हो और किसी सहेली को पाड्या का दूध दुहने को कहे तो पास ही न फटकने दे पाड्या। पाड्या का बस चले तो संतू को हमेशा अपनी नजर के सामने ही रखे। संतू कभी किसी काम से कुछेक दिन घर से बाहर चली जाती तो पाड्या दिन भर उदास बैठी रहती, दरवाजा तकती रहती और जैसे ही संतू लौटकर आती तो बावरी सी हो जाती पाड्या। मजाल है संतू पाड्या से पहले किसी और से मिल ले। इतना स्नेह, इतना अपनापन कि संतू का हृदय खुशी से गदगद हो जाता।

संतू चाहे घर से कभी कभार चली जाये पर पाड्या को घर की देहरी लांघना बिलकुल पसंद नहीं था। जब कभी पाड्या को किसी डॉक्टर के पास ले जाना हो, ट्रक से, तो सब चाहे जितनी कोशिश कर ले पाड्या ट्रक में एक कदम रखने को तैयार ही न होती। जोर जोर से रंभाती रहती मानों संतू को पुकार रही हो मदद के लिए। संतू चुपचाप दरवाजे पर खड़ी देखती और मन ही मन पाड्या को ट्रक में चढ़ जाने को कहती। अंततः अगर किसी तरह धक्का मुक्की करके पड़ोसियों की सहायता से अगर उसे चढ़ा भी दिया जाता तो पलट पलट कर, जब तक संतू दिखती उसे देखे जाती, रंभाती जाती। लौट कर जब आती पाड्या तो ट्रक से कूदती, भागती हुई घर में आती। संतू का दिल भी यूँ खुश होता मानों किसी माँ की बेटी महीनों बाद लौटकर आई हो ससुराल से। संतू के जीवन का अभिन्न अंग बन गई थी पाड्या।

जीवन आगे बढ़ता रहा। संतू के बड़े बेटे का विवाह निश्चित हुआ। जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हुई। सप्ताह भर खूब रौनक। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल, खूब सारे रिश्तेदार कि बस संतू मुस्कुराती, बतियाती दिन भर झूमती सी रहती। पाड्या भी जैसे माहौल को समझ रही थी। तभी तो संतू के अधिक समय न दिखने पर भी रंभा–रंभा कर तंग नहीं कर रही थी। जो कोई भी खाना दे, चुपचाप खा रही थी। सिर्फ इसलिए कि संतू बहुत खुश इधर–उधर घूमती, काम संभालती दिख रही थी।

विवाह संपन्न हुआ, नयी नवेली दुल्हन घर आई लेकिन उसी दिन संतु को अचानक दर्द होने लगा। दुल्हन के स्वागत के संतू के सपने भी पूरे नहीं हो पाए थे कि उसे अस्पताल जाना पड़ा। दूर शहर के चिकित्सकों ने जाँच कर बताया कि संतू गंभीर बीमारी से जूझ रही है। संतू जाँच करा जब घर वापस आई तो चेहरा उतरा हुआ। पैरों तले मानों जमीन खिसक गई हो। मानों दुनिया ही पलट गई हो। पिछले कुछ दिनों की रंगत के बीच अचानक अब संतू को अपनी मृत्यु का ख्याल रह–रह आ रहा था। इन्हीं ख्यालों से अधमरी सी हो रही थी संतू। कोई तसल्ली काम नहीं कर रही थी। डर गई थी संतू। लम्बा इलाज चलने वाला

था, वह जितना जल्दी शुरू हो सके उतना बेहतर, यही कहा था शहर के डॉक्टर ने। आनन–फानन में पूरा परिवार शहर जाने को सामान बाँधने लगा था। तभी संतू को पाड्या दिखाई दी। शांत खड़ी थी पाड्या। एकटक संतू को ही देखे जा रही थी। न रंभा रही थी, न उसे देख अपने खूंटे के चक्कर काट रही थी। बस एक जगह खड़ी थी। मानों आभास हो उसे संतु के दुःख का। निर्णय हुआ, शहर जाने से पहले पाड्या को बेच दिया जाये। रातों रात किसी मित्र से इस बारे में बात हुई और सुबह–सुबह पाड्या को ले जाने ट्रक आ गया। पड़ोसी भी मदद के लिए आ गए। संतू रात भर अपनी बीमारी की चिंता में सो नहीं पाई थी। फिर भी बौखलाई सी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। जानती थी कितना मुश्किल कर देती है सब के लिए पाड्या ट्रक में चढ़ना। ट्रक का पिछला हिस्सा खुला। पाड्या की रस्सी पकड़ संतू का पति तैयार खड़ा था, उसने पड़ोसियों को इशारा किया कि वह आगे आयें और किसी तरह धक्का देकर पाड्या को ट्रक में चढ़वायें। पड़ोसी जैसे ही आगे आने लगे, संतू के पति को हाथ से रस्सी छूटने का अहसास हुआ। देखा तो पाड्या चुपचाप ट्रक की और चले जा रही थी। सीधा चलकर वह ट्रक में चढ़ी और सीधी खड़ी हो गई। सभी स्तब्ध। संतू की आँखों से लगातार आंसू टपकने लगे। ट्रक चल पड़ा। आज पहली बार घर से जाते हुए पाड्या ने संतू को मुड़कर नहीं देखा, रंभाई भी नहीं। संतू सन्न सी दरवाजे पर खड़ी रही और सामने की सड़क के रास्ते पर पाड्या धीरे–धीरे कहीं ओझल हो गई।

"आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।"

**– महावीर प्रसाद द्विवेदी**

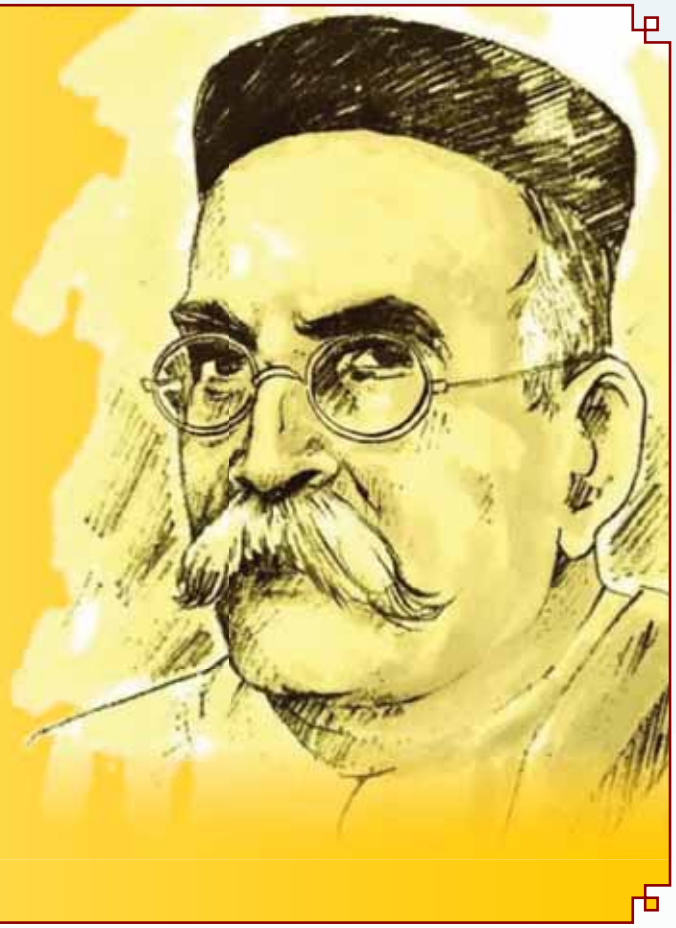

# बिंदा

– महादेवी वर्मा (जन्मदिवसः 26 मार्च, 1907)

भीत–सी आंखोंवाली उस दुर्बल, छोटी और अपने–आप ही सिमटी–सी बालिका पर दृष्टि डाल कर मैंने सामने बैठे सज्जन को, उनका भरा हुआ प्रवेशपत्र लौटाते हुए कहा–आपने आयु ठीक नहीं भरी है। ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी। 'नहीं यह तो गत आषाढ़ में चौदह की हो चुकी' सुनकर मैने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा, जो नौ वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और चौदह वर्षीय किशोरी के सलज्ज उत्साह से अपरिचित।

उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वागत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गयी होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला– मेरी दूसरी पत्नी है, और आप तो जानती ही होंगी और उनके वाक्य को अधसुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में दो युगों से अधिक समय की भूल के नीचे दबे बिंदा या विन्ध्येश्वरी के धुंधले चित्र पर उँगली रखकर कहने लगा ––ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है।

बिंदा मेरी उस समय की बाल्यसखी थी, जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अन्तर जान नहीं पाया था। अपने नाना और दादी के स्वर्ग–गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गम्भीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की आल्मारी को छूने लगेगा, तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना। ऐसी

दशा में, छोटे–छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली मां की कल्पना मेरी बुद्धि में कहां ठहरती। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त–सा था। अज्ञानावस्था से मेरा साथ देने वाली सफेद कुत्ती –सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता–भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निःसहाय बच्चों को तीखे पैने दाँतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती, कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दाँत भी न चुभ पाता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो भी घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी– छोटी चोचों और उनमें सावधानी से भरे जाते दोनों और कीड़े–मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। बछिया को हटाते हुए ही रँभा–रँभा कर घर भर को यह दुःखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी न थी। एक बच्चे को कन्धे से चिपकाये और एक उँगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार–द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ माँगती रहती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारबार बच्चों को खिलाने–पिलाने, सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है।

और बिंदा के भी तो माँ थी जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। वे अपनी गोरी, मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे–कसे, चारपाई पर बैठ कर फूले गाल और चिपटी–सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन सी चमकती हुई ऑखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से संवारी पाटियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर–सा सिन्दूर उनींदी सी आँखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग–बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे।

यह सब तो ठीक था; पर उनका व्यवहार विचित्र –सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे, जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना–मनाकर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च– से उच्चतर होता रहता था। यदि उस गर्जन–तर्जन का कोई अर्थ समझ में न आता, तो मैं उसे श्याम के रँभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी; परन्तु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने वाली थी। 'उठती है या आऊं', 'बैल के–से दीदे क्या निकाल रही है', मोहन का

दूध कब गर्म होगा, 'अभागी मरती भी नहीं' आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी, उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था।

कभी–कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरकनी–सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना, मुझे बाजीगर के तमाशा जैसे लगता था; क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असम्भव–से थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी–कभी पंडित जी की घुड़की का पुट भी रहता था, तब न जाने किस दुःख की छाया मुझे घेरने लगती थी। जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था, वहीं बिंदा घर में चुपके–चुपके कौन–सा नटखटपन करती रहती है, इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं न समझ पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात–दिन ऊधम मचाती रहती; पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी और न ऑखें निकाल लेने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी –– 'क्या पंडिताइन चाची तुमरी तरह नहीं है ?' मां ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं, उनके संक्षिप्त 'हैं' से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ पायी।

बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी; परन्तु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था, मानों किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। दो पैसों में आने वाली खँजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मढ़े और भीतर की हरी–हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ–पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना, मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, प्रत्युत् उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बन्द चिड़िया की याद दिलाती थीं।

एक बार जब दो–तीन करके तारे गिनते–गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उँगली उठाकर कहा– 'वह रही मेरी अम्मा' तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या सब–की एक अम्मा तारों में होती है ओर एक घर में? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान–कोष में से कुछ कण मुझे दिये और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है, वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है और जो बहुत सजधज से घर में आती है, वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती, इसी से मैंने सोचकर कहा– 'तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती, फिर वे न नई रहेंगी और न डॉटेंगी।'

बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेटकर जाते और नई को बन्द पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी, अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था।

पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा, अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनय पूर्वक कहा– 'तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावें।' माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी न पायी थी कि मैंने अकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया – 'नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध, बिस्कुट, जलेबी सब बन्द हो जायगी – और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा।' माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पायी थी।

बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे; पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दण्ड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार–बार पैर उठाते ओर रखते हुए घंटो खड़े देखा था, चौके के खम्भे से दिन–दिन भर बंधा पाया था और भूख से मुरझाये मुख के साथ पहरों नई अम्मा ओर खटोले में सोते मोहन पर पंखा झलते देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दण्ड सहना पड़ता था, इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा और घुँघराला बाल निकलने पर भी दण्ड बिंदा को मिला। उसके छोटे–छोटे हाथों से धुल न सकने वाले, उलझे, तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन ओर कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर, बिखरा कर उनके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रूलाई आने लगी; पर बिंदा ऐसे बैठी रही, मानों सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हों।

और एक दिन याद आता है। चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हें–नन्हें हाथों से दूध की पतीली उतारी अवश्य; पर वह उसकी उंगलियों से

छूट कर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो हतबुद्धि सी हो रही। पंडिताइन चाची से कह कर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझाना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ

अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्मय हो उठा।

उसे मैं अपने घर में खींच लाई अवश्य; पर न ऊपर के खण्ड में माँ के पास ले जा सकी और न छिपाने का स्थान खोज सकी। इतने में दीवारें लाँघ कर आने वाले, पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएँ रूंध दीं, इसी से हड़बडाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसीं, जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियाँ भी चुभ रही थीं, कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था; पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाये और दोनों ठंडे हाथें से मेरा हाथ दबाये ऐसे बैठी थी, मानों घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो।

मैं तो शायद सो गई थी; क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आँखें मलते हुए पूछा 'क्या सबेरा हो गया'?

माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष सन्देशवाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई, यह बताना कठिन है; पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमता का स्थान था, न अपील का अधिकार।

फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर–आँगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था; पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थीं। बहुत खुशामद करने पर रूकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई हैं। 'क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती' पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूंस कर हंसी रोकने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान न हो सका, तब मैं एक दिन दोपहर को सभी की आँख बचाकर बिंदा के घर पहुँची। नीचे के सुनसान खण्ड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। आँखें गड्ढे में धँस गयी थीं, मुख दानों से भर कर न जाने कैसा हो गया था और मैली–सी सादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। डाक्टर, दवा की शीशियां, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछौने के चारों चक्कर काटते हुए बाबूजी ने बिना भी बीमारी का अस्तित्व है, यह मैं नहीं जानती थी, इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित–सी चारों ओर देखती रह गयी। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर खण्ड में रहती हैं, शायद चेचक के डर से। सबेरे–शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है।

फिर तो बिंदा को दुखना सम्भव न हो सका; क्योंकि मेरे इस आज्ञा– उल्लंघन से मां बहुत चिन्तित हो उठी थीं।

एक दिन सबेरे ही रूकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बन्द कर बार–बार आँखें पोंछती हुई बिंदा के घर चल दीं। जाते–जाते वे मुझे बाहर न निकलने का आदेश देना नहीं भूली थीं, इसी से इधर–उधर से झाँककर देखना आवश्यक हो गया। रूकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी; परन्तु वह विशेष अनुनय–विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी और उससे अनुनय–विनय करना मेरे आत्म –सम्मान के विरूद्ध पड़ता था। अतः खिड़की से झाँककर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी और इस प्रकार की भड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है, उसे मैं जानती थी। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका? आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा, जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मर कर तारा बन जाएगी और बैठ न सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं, यही सोच–विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुची कि बिंदा का विवाह हो रहा है ओर उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अचिन्त्य अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा।

कई दिन तक बिंदा के घर झाक–झाककर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाश–वासिनी अम्मा के पास चली गयी। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के आस–पास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढ़ती रहती; पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था?

तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है ?

## काव्य सुधा

# कर्त्तव्य बोध

— नत्थू अग्रवाल (पिता–नितिन अग्रवाल, प्रबंधक)

आओ हम भी अपने सर कुछ भार धरें
हर अंतस की पीड़ा का प्रतिहार करें।

रिसते देखे अश्रु नयन के कोरों से
सिर्फ़ दर्द ही दर्द मिला है औरों से।
संकेतों के प्रतिबिम्बों में सब खेल रहे
और अंतस में विरह–वेदना झेल रहे
सौगन्धों से प्रेम प्रीत मनुहार करे।
हर अंतस की पीड़ा का प्रतिहार करें।

संदेहों के नयन बिछे हर ओर यहाँ
उर की भाषा समझ सके है कौन यहाँ।
छल–प्रपंच का यहाँ बोलबाला भारी
निज स्वार्थ–साधनों में हैं डूबे नर–नारी।
आओ मिल यह दुविधा की सरिता पार करें
हर अंतस की पीड़ा का प्रतिहार करें।

अम्बर का उल्लास कहाँ चुकता है
धरती का संत्रास कहाँ रूकता है।
किस कारण इतने निष्ठुर बने हुये हम
धन को सर्वस्व मान कर तने हये हम।
कुछ भी संग न जाएगा स्वीकार करें
हर अंतस की पीड़ा का प्रतिहार करें।

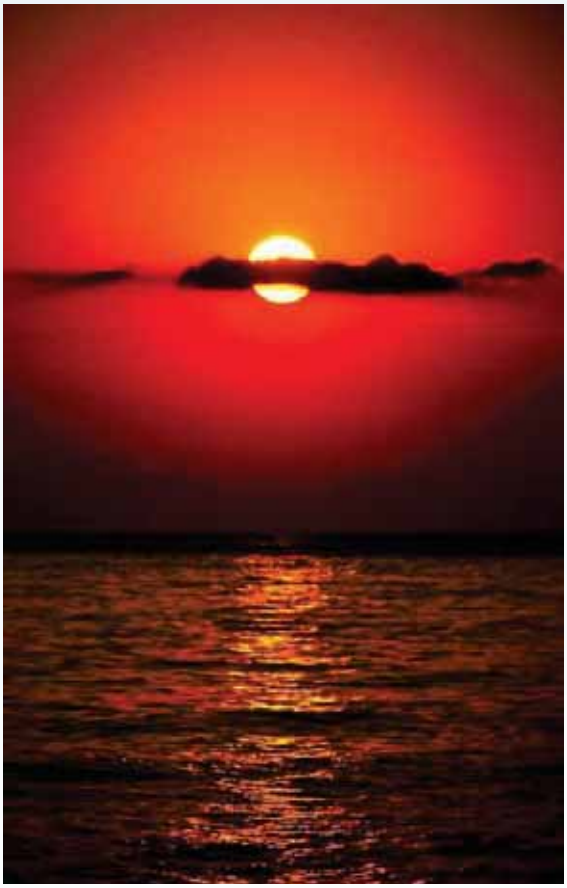

# पुरानी खुशबू

— अतिथि लेखक
— अमरनाथ, अधिकारी, भारतीय पर्यावास केंद्र

पहले मेरे खपरैल घर में जिंदगियाँ बसती थी,
बरामदे में तोता और आंगन में माँ तुलसी सजती थी!

तीज त्योहारों में अपनों से मिलने का मजमा था,
मिल–जुल के साथ बटाने का एक अनूठा जज्बा था!

पहले मेरे खपरैल घर में जिंदगियां बसती थी...

आंगन और चौको में चूड़ियों और पायलों की मस्ती थी,
खेतो और दुकानों में पुरूषार्थ की रौनक थी!

प्रेम और निश्छल अनुराग लिए, एक दूसरे में जीते,
चाँद सूरज के आंगन में संस्कारों से जीने की कला सिखते!

पहले मेरे खपरैल घर में जिंदगियां बसती थी...

बरामदों की जमीन पर भोजन की व्यवस्था थी,
एक–साथ बैठ, जैसे किसी भोज की कौतुहलता थी!

पूरे आंगन में लगता था अपने होने का खास,
जैसे फिजा में मोहब्बत की खुशबू का अहसास!

पहले मेरे खपरैल घर में जिंदगियां बसती थी...

सहज सरल और सादगी की मौलिकता में जीते,
बाबू जी के आंखों से ही, सारे काम हो जाया करते!

हम के अपनेपन में जिम्मेदारियों का अहसास होता,
कर्तव्य और त्याग, अधिकारों से कहीं आगे हुआ करते!

पहले मेरे खपरैल घर में जिंदगियां बसती थी....

बिछौने हमारे आसमान के नीचे छत पर सजते,
तारों और चंदा को निहारते, दादी और बुआ से कहानियां सुनते!

बड़े–छोटे बाबा और अम्मा के साथ ही सदा रहते,
बड़ी विनतियों की बाद, माँ– पिता के पास जाते!

पहले मेरे खपरैल घर में रिश्ते बसते थे....
पहले मेरे खपरैल घर में त्याग और कर्तव्य बसते थे...
पहले मेरे खपरैल घर में राम और भरत बसते थे..
पहले मेरे खपरैल घर में जिंदगियाँ बसती थी...

# श्री आर.के. अरंविद, सहायक महाप्रबंधक द्वारा प्राकृतिक पर्यावास में जानवरों और पक्षियों का लिया गया कैमरा व्यू

पंजी. सं. दिल्ली इन/2001/6138

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
भारत सरकार के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय

## 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह हेतु वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा

(₹ लाख में)

| विवरण | समाप्त तिमाही | | | समाप्त नौ माह | | समाप्त वित्त वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 31.03.2021 | 31.03.2022 | 31.03.2021 | 30.06.2021 |
| | अलेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | | लेखापरीक्षित |
| 1. अर्जित ब्याज (क) + (ख) + (ग) + (घ) | 101,206.38 | 100,821.63 | 112,315.06 | 320,946.58 | 371,962.47 | 482,735.24 |
| (क) अग्रिमों पर ब्याज | 95,540.66 | 94,457.25 | 107,738.77 | 303,679.15 | 351,891.82 | 458,633.62 |
| (ख) निवेशों पर आय | 4,939.30 | 5,250.32 | 3,407.33 | 14,284.16 | 11,036.87 | 14,343.04 |
| (ग) बैंक जमाओं पर ब्याज | 726.42 | 1,114.06 | 1,168.96 | 2,983.27 | 9,033.78 | 9,758.58 |
| (घ) अन्य | - | - | - | - | - | - |
| 2. अन्य आय | 69.83 | 784.70 | 301.80 | 47,424.81 | 2,665.13 | 5,084.40 |
| 3. कुल आय (1+2) | 101,276.21 | 101,606.33 | 112,616.86 | 368,371.39 | 374,627.60 | 487,819.64 |
| 4. ब्याज व्यय | 76,504.87 | 73,357.99 | 85,967.41 | 236,598.53 | 270,035.60 | 357,380.91 |
| 5. परिचालन व्यय (i)+(ii) | 1,957.66 | 1,706.70 | 2,029.25 | 9,037.12 | 5,511.25 | 8,111.50 |
| (i) कर्मियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान | 865.04 | 417.85 | 872.27 | 2,155.08 | 2,282.25 | 3,750.15 |
| (ii) अन्य परिचालन व्यय (क) + (ख) + (ग) | 1,092.62 | 1,288.85 | 1,156.98 | 6,882.04 | 3,229.00 | 4,361.35 |
| (क) ब्रोकरेज, गारंटी शुल्क एवं अन्य वित्त प्रभार | 79.10 | 81.36 | 90.96 | 238.45 | 277.81 | 346.98 |
| (ख) उधारों पर स्टांप शुल्क | 10.00 | - | 22.68 | 10.37 | 27.70 | 54.17 |
| (ग) अन्य व्यय | 1,003.52 | 1,207.49 | 1,043.34 | 6,633.22 | 2,923.49 | 3,960.20 |
| 6.विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण (लाभ)/हानि | (389.16) | (728.59) | (1,045.40) | (1,679.68) | 3,345.34 | 6,078.12 |
| 7. प्रावधान एवं आकस्मिक व्ययों को छोड़कर कुल व्यय (4+5+6) | 78,073.37 | 74,336.10 | 86,951.26 | 243,955.97 | 278,892.19 | 371,570.53 |
| 8.प्रावधान एंव आकस्मिक व्ययों से पूर्व परिचालन लाभ (3–7) | 23,202.84 | 27,270.23 | 25,665.60 | 124,415.42 | 95,735.41 | 116,249.11 |
| 9. प्रावधान (कर के अलावा) एवं आकस्मिक व्यय | (769.94) | (5,024.44) | 3,731.76 | (102,120.23) | 64,096.54 | 70,252.38 |
| 10. असाधारण मदें# | - | (2,000.34) | - | (2,000.34) | - | - |
| 11. कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से लाभ (+) / हानि (–) (8–9–10) | 23,972.78 | 34,295.01 | 21,933.84 | 228,535.99 | 31,638.87 | 45,996.73 |
| 12. कर व्यय (डीटीए/डीटीएल का निवल) | 5,600.00 | 7,125.00 | (44,015.75) | 56,025.00 | (25,915.75) | (20,315.75) |
| 13. कर के पश्चात सामान्य गतिविधियों से निवल लाभ (+) / हानि (–) (11–12) | 18,372.78 | 27,170.01 | 65,949.59 | 172,510.99 | 57,554.62 | 66,312.48 |
| 14. असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर) | - | - | - | - | - | - |
| 15. अवधि हेतु निवल लाभ (+) / हानि (–) (13–14) | 18,372.78 | 27,170.01 | 65,949.59 | 172,510.99 | 57,554.62 | 66,312.48 |
| 16. चुकता पूंजी (भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में) | 145,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 |
| 17. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित निधि (पिछले लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार) | 834,501.57 | 834,501.57 | 767,936.64 | 834,501.57 | 767,936.64 | 834,501.57 |
| 18. विश्लेषणात्मक अनुपात: | | | | | | |
| (i) भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| (ii) पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात | 15.48% | 15.91% | 12.56% | 15.91% | 12.56% | 12.14% |
| (iii) प्रति शेयर आय (ईपीएस) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (iv) एनपीए अनुपात | | | | | | |
| क) सकल एनपीए की राशि | 153,510.38 | 153,510.38 | 250,284.59 | 153,510.38 | 250,284.59 | 250,284.59 |
| ख) निवल एनपीए की राशि | - | - | - | - | - | - |
| ग) सकल एनपीए का % | 2.11% | 2.12% | 2.99% | 2.12% | 2.99% | 2.91% |
| घ) निवल एनपीए का % | - | - | - | - | - | - |
| v) आस्तियों पर लाभ (कर पश्चात) (वार्षिक) | 0.91% | 1.38% | 3.01% | 2.69% | 0.88% | 0.75% |
| vi) नेटवर्थ | 10,347 | 10,609 | 8,678 | 10,609 | 8,678 | 8,742 |
| vii) बकाया प्रतिदेय वरीयता शेयर | - | - | - | - | - | - |
| viii) पूंजी मोचन आरक्षित | - | - | - | - | - | - |
| ix) डिबेंचर मोचन आरक्षित | - | - | - | - | - | - |
| x) ऋण – इक्विटी अनुपात * | 5.69 | 5.58 | 7.84 | 5.58 | 7.84 | 7.96 |
| xi) कुल आस्तियों के सापेक्ष कुल ऋण (%) * | 82.59% | 83.97% | 79.69% | 83.97% | 79.69% | 86.12% |

*ऋण कुल उधार को दर्शाता है # अनुपातों की गणना के लिए अन्य आय में असाधारण आय पर विचार किया गया है

**टिप्पणियां:**

1. उपरोक्त परिणाम लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षित एवं 13 मई, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।
2. डीएचएफएल खाते के समाधान के तहत, बैंक को पीरामल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ₹1,05,487.67 लाख की राशि प्राप्त हुई। राशि को ₹8,713.45 लाख के ब्याज और शेष ₹96,774.22 लाख के मूल बकाया के बीच प्रभाजित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप किये गए एनपीए प्रावधान को वापस ले लिया गया है।
3. 1991–92 घोटाले के मामले में बैंक को अभिरक्षक से ₹52,318 लाख (ब्याज के साथ दावा राशि) भी प्राप्त हुए। इसमें से बैंक ने ₹42,898 लाख की ब्याज राशि अन्य आय (एकमुश्त असाधारण मद) के रूप में बुक की थी। चूंकि बैंक ने अभिरक्षक को वचनपत्र दिया है, अतः राशि को आकस्मिक देयता के रुप में चिन्हित किया गया है।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक के 04 अगस्त, 2016 के परिपत्र के अनुसार, बैंक निरंतर प्रोफार्मा आईएनडी एएस विवरणी तैयार कर रहा है और नियमित रूप से विनियामक को प्रस्तुत कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 मई, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से यह सलाह दी है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।
5. बैंक के पास नवरोज पाली हिल परिसर को–ऑप सोसाइटी लिमिटेड, पाली हिल, बांद्रा मुंबई में एक संपत्ति / फ्लैट है। बिल्डर के साथ करार कर पूरी संपत्ति को पुनर्विकास हेतु ले लिया गया था। बिल्डर ने रा. आ.बैंक के फ्लैट सहित पूरी संपत्ति पुनर्विकास हेतु ली थी एवं पुनर्विकसित संपत्ति का कब्जा बैंक ने दिसंबर 2021 में लिया था। चूंकि पुरानी एवं पुनर्विकसित संपत्ति के एरिया में भिन्नता है तथा पूर्व वर्षों में नकदी का प्रवाह होता था जिसे उन वर्षों में आय के रूप में लिया जाता था। वर्ष के दौरान, बैंक की बहीयों में पुरानी संपत्ति को अन्य आय में जमा करके बड़े खाते में डाल दिया गया है और पुनर्विकसित फ्लैट के उचित बाजार मूल्य को भूमि और भवन घटकों में पूंजीकृत किया गया है एवं फ्लैट के पुनर्विकास पर आनुमानिक लाभ को अन्य आय में जमा किया गया है जिसे असाधारण मद के रूप में माना जाता है।
6. जहां आवश्यक था वहां पिछले वर्षों के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

ह/–
**एस. के. होता**
**प्रबंध निदेशक**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13 मई, 2022

ह/–
**(सी ए गौरव मित्तल)**
**भागीदार**
सदस्यता सं. 099387

सम तारीख की हमारी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एस.के. मित्तल एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 001135एन

पृष्ठ सज्जा एवं प्रिंटिंगः जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा.लि., नई दिल्ली–110020

**प्रधान कार्यालय**
राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5–ए, भारत पर्यावास केंद्र, 3–5 तल, लोधी रोड नई दिल्ली– 110003
टेली : 011–3918 7000 वेबसाइट : **http://www.nhb.org.in**

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

**क्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय**
नई दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद, बैंगलूरू, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, चेन्नई, लखनऊ, गुवाहाटी